सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
(राजस्व क्षेत्र)
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या–5

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
(राजस्व क्षेत्र)

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या–5

विषय–सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v-vii
अध्याय–I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों का रुझान	1.2	1
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति	1.3	6
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.4	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	8
प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन	1.6	8
अध्याय–II: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	2.1	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	9
दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क (अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	2.3	10
आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि	2.4	12
अध्याय–III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर		
कर प्रशासन	3.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	15
कर की गलत दर का लगाया जाना	3.3	16
टर्नओवर का करनिर्धारण से छूट जाना	3.4	17
स्रोत पर काटे गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर देय ब्याज को प्रभारित नहीं किया गया	3.5	19
व्यापारियों को अननुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता	3.6	20
स्रोत पर टीडीएस की कम कटौती	3.7	21
अध्याय–IV: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	23
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	23
वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना	4.3	24

उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण	4.4	26
राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना	4.5	26
बिना परमिट संचालित वाहनों पर परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति का आरोपण न किया जाना	4.6	27
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित न किया जाना	4.7	28
अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना	4.8	28
अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	5.1	31
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	31
नियामक ढांचे में रिक्तता	5.3	32
खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.4	35
रॉयल्टी एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान का न जमा किया जाना	5.5	35
कार्यदायी संस्थाओं से सम्बन्धित अनियमिततायें	5.6	36
ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी, विनियमन शुल्क, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान की वसूली नहीं किया जाना	5.7	42
परिशिष्टियाँ		**45–76**

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों जिसमें राज्य आबकारी, वाणिज्य कर, परिवहन विभाग और भूतत्व एवं खनिकर्म शामिल है के अनुपालन लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं, जो 2019–20 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। 2019–20 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राज्य आबकारी, बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर तथा खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 18 प्रस्तर शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुल ₹ 502.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसमें से वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹ 19.01 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 47.79 लाख की वसूली की है। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

अध्याय–I: सामान्य

वर्ष 2019–20 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,66,393.18 करोड़ थी जिसमें से राज्य की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 2,04,530.91 करोड़ (55.82 प्रतिशत) थी। भारत सरकार ने ₹ 1,61,862.27 करोड़ (44.18 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें विभाज्य संघीय करों का राज्यांश ₹ 1,17,818.30 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 32.16 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 44,043.97 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 12.02 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक राज्य के अपने कर राजस्व में 51.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखा शीर्षों (सारणी 1.2 एवं 1.3 देखें) के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता इंगित करती है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

अध्याय–II: राज्य आबकारी

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। इन्होंने नियमों के उल्लघंन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि (₹ 6.75 करोड़), अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (₹ 63.83 करोड़) और प्रतिभूति जमा (₹ 32.26 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 102.84 करोड़ के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये, अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

(प्रस्तर 2.3)

आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 6.20 करोड़ छोटी बोतलों पर ₹ 4.30 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि हुई थी।

(प्रस्तर 2.4)

अध्याय–III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 355.54 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, कर की दरों को सत्यापित किये बिना, कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 26.44 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित किया गया।

(प्रस्तर 3.3)

कर निर्धारण प्राधिकारी ₹ 1,571.43 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर का पता लगाने में विफल रहे थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 155.77 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.4)

व्यापारी ने ₹ 5.26 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती को विलम्ब से जमा किया था, जिस पर ₹ 1.18 करोड़ का ब्याज प्रभार्य था, किन्तु कर–निर्धारण के समय प्रभारित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 3.5)

व्यापारियों ने ₹ 99.46 लाख की धनराशि की इनपुट टैक्स क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित कुल ₹ 1.60 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुत्क्रमित रही।

(प्रस्तर 3.6)

कर निर्धारण प्राधिकारी, कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय एक व्यापारी द्वारा ₹ 10.64 करोड़ धनराशि के स्रोत पर कर की कम कटौती का पता लगाने में विफल रहे।

(प्रस्तर 3.7)

अध्याय–IV: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

कुल 13,284 परिवहन वाहन एवं 6,045 निजी वाहन वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संचालित थे एवं फिटनेस शुल्क ₹ 2.03 करोड़ तथा ₹ 9.66 करोड़ अर्थदण्ड आरोपण के लिए उत्तरदायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करने एवं परिवहन वाहनों के परमिट निरस्त करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

(प्रस्तर 4.3)

4,467 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 5.65 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण।

(प्रस्तर 4.4)

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित 1,875 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार शुल्क की धनराशि ₹ 3.28 करोड़ की वसूली न किया जाना।

(प्रस्तर 4.5)

परमिट का नवीनीकरण कराए बिना सड़क पर संचालित 1,960 वाहनों से परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 1.82 करोड़ की वसूली न किया जाना।

(प्रस्तर 4.6)

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 312 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना बसों पर ₹ 2.30 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना।

(प्रस्तर 4.7)

तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये 440 वाहनों के कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 1.44 करोड़ की वसूली करने में कराधान अधिकारी विफल रहे।

(प्रस्तर 4.8)

अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ

वर्तमान नियामक ढांचे के अन्तर्गत, पट्टाधारक को वैध उत्खनन के लिये देय राशि के विपरीत अवैध खनन के लिये कम अर्थदण्ड देना पड़ता है, जो अवैध खनन को प्रोत्साहित करता है।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि सरकार को नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों में खा0 एवं ख0वि0 और वि0 अधिनियम की धारा 21(5) के संदर्भ में 'खनिज मूल्य' और 'रॉयल्टी' को स्पष्ट रूप से परिभाषित/पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा यह भी संस्तुति करता है कि सरकार रॉयल्टी की दरों की समीक्षा कर सकती है जो नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों के पड़ोसी क्षेत्रों जहाँ खनिज मूल्य की बोली पहले ही हो चुकी है, में अवैध खनन के मामलों में लागू होगी।

(प्रस्तर 5.3)

जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में देय अंशदानों को 12 पट्टा विलेखों के प्रतिफल में सम्मिलित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया जाना।

(प्रस्तर 5.4)

59 पट्टेधारकों द्वारा रॉयल्टी ₹ 47.20 करोड़ एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान ₹ 8.22 करोड़ जमा न किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(प्रस्तर 5.5)

खनन विभाग एवं अन्य विभागों की कार्यदायी संस्थाओं के बीच समुचित समन्वय के अभाव में, बिना वैध प्राधिकार के सिविल कार्य करने हेतु खनिजों को उठाने वाले ठेकेदारों से 1,588 मामलों में रॉयल्टी ₹ 3.97 करोड़, 'खनिज मूल्य' ₹ 90.41 करोड़ एवं देय अर्थदण्ड ₹ 3.97 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय सुदृढ़ करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदारों ने खनिजों को वैध पट्टाधारकों से लिया है और वैध पास धारण करते है।

(प्रस्तर 5.6.1)

रॉयल्टी के भुगतान के प्रमाण के रूप में एमएम–11 प्रपत्र प्रस्तुत करने में शामिल कपटपूर्ण गतिविधियों को इंगित करने में विभाग विफल रहा एवं रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' एवं अर्थदण्ड ₹ 4.87 करोड़ की धनराशि ठेकेदारों से वसूल नहीं किया।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग इन मामलों की विस्तार से जाँच करे और यदि कोई गम्भीर चूक पायी जाती है तो वह जिम्मेदारी तय करे एवं उचित कार्रवाई करे।

लेखापरीक्षा यह भी संस्तुति करता है कि एमएम–11 प्रपत्रों के व्यापक दुरूपयोग को रोकने के लिये वैध परिवहन पास के अन्तर्गत खनिजों का परिवहन सुनिश्चित करने के लिये सरकार एक प्रभावी तंत्र स्थापित करे।

(प्रस्तर 5.6.2)

ईंट भट्ठा स्वामियों से 981 मामलों में रॉयल्टी ₹ 7.37 करोड़, विनियमन शुल्क ₹ 4.89 करोड, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 21.34 लाख एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान ₹ 70.73 लाख की वसूली नहीं की गयी, यद्यपि वह सभी एक मुश्त समाधान योजना में विनिर्दिष्ट थे।

(प्रस्तर 5.7)

अध्याय–I: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के राजस्व प्राप्तियों के रूझान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया आदि का एक विहंगावलोकन प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रुझान

1.2.1 वर्ष 2019–20 के दौरान उ0प्र0स0 द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार (भा0स0) से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी–1.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	81,106.26	85,965.92	97,393.00	1,20,121.86	1,22,825.83
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**9.35**	**5.99**	**13.29**	**23.34**	**2.25**
	• करेतर राजस्व	23,134.65	28,944.07	19,794.86	30,100.71	81,705.08
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**16.05**	**25.11**	**(–)31.60**	**52.06**	**171.44**
	योग	**1,04,240.91**	**1,14,909.99**	**1,17,187.86**	**1,50,222.57**	**2,04,530.91**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	90,973.69	1,09,428.29	1,20,939.14	1,36,766.46	1,17,818.30[1]
	• सहायता अनुदान	31,861.34	32,536.87	40,648.45	42,988.48	44,043.97[2]
	योग	**1,22,835.03**	**1,41,965.16**	**1,61,587.59**	**1,79,754.94**	**1,61,862.27**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**2,27,075.94**	**2,56,875.15**	**2,78,775.45**	**3,29,977.51**	**3,66,393.18**
4	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**46**	**45**	**42**	**46**	**56**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

ऊपर की सारणी यह इंगित करती है कि 2015–20 की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की औसतन वार्षिक वृद्धि क्रमशः 10.84 प्रतिशत एवं 46.61 प्रतिशत रही थी।

वर्ष 2019–20 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **चार्ट–1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2019–20 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'अ–कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्ष–0005–केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 0008–एकीकृत माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा 'विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क में राज्य के हिस्से' में शामिल किया गया है।

[2] माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 5,179.52 करोड की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

चार्ट–1.1

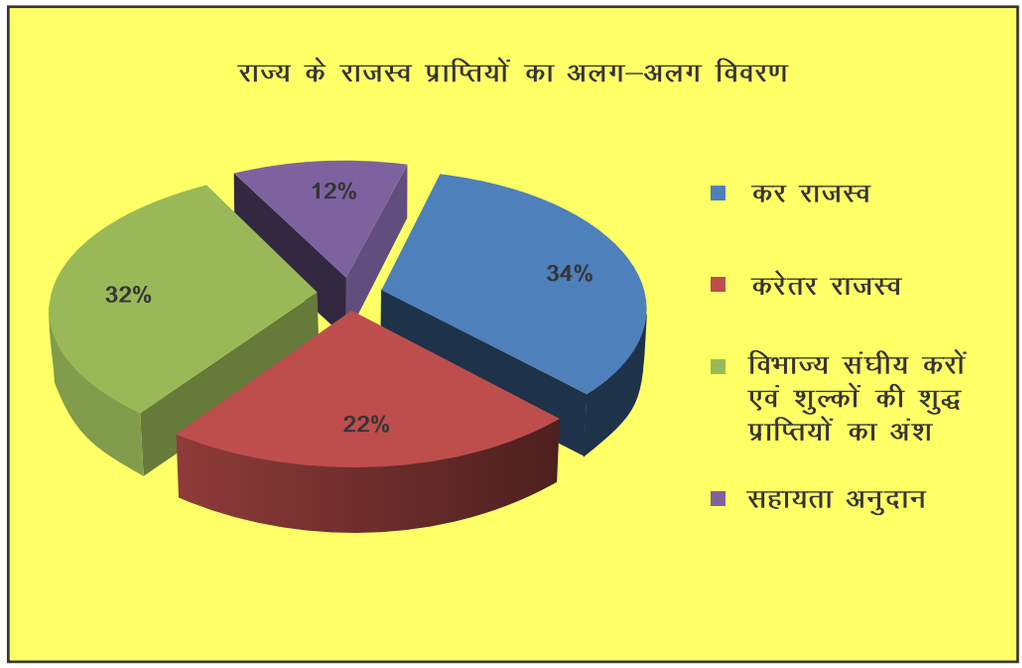

1.2.2 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी–1.2** में दिये गये हैं।

सारणी–1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	की तुलना में वर्ष 2019–20 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2019–20 के ब0अ0	2018–19 के वास्तविक
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	52,670.69 47,692.40	57,940.30 51,882.88	36,397.30 31,112.52	22,078.00 23,797.84	24,660.00 20,517.13	(–) 16.80	(–) 13.79
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)			28,602.70 25,373.96	49,422.00 46,108.03	52,980.10 47,232.41	(–) 10.85	(+) 2.44
2	राज्य आबकारी	17,500.00 14,083.54	19,250.00 14,273.49	20,593.23 17,320.27	23,000.00 23,926.66	31,517.41 27,324.76	(–) 13.30	(+) 14.20
3	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	14,836.00 12,403.72	16,319.60 11,564.02	17,458.34 13,397.57	18,000.00 15,733.03	19,179.07 16,069.80	(–) 16.21	(+) 2.14
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	4,658.00 4,410.53	5,123.80 5,148.37	5,481.20 6,403.69	7,400.00 6,930.02	7,863.42 7,714.88	(–) 1.89	(+) 11.33
5	अन्य[3]	2,250.31 2,516.07	2,622.80 3,097.16	2,969.13 3,784.99	2,800.00 3,626.28	3,976.00 3,966.85	(–) 0.23	(+) 9.39
योग		**91,915.00** **81,106.26**	**1,01,256.50** **85,965.92**	**1,11,501.90** **97,393.00**	**1,22,700.00** **1,20,121.86**	**1,40,176.00** **1,22,825.83**	**(–) 12.38**	**(+) 2.25**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

[3] निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैंः विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि।

वर्ष 2019–20 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.2

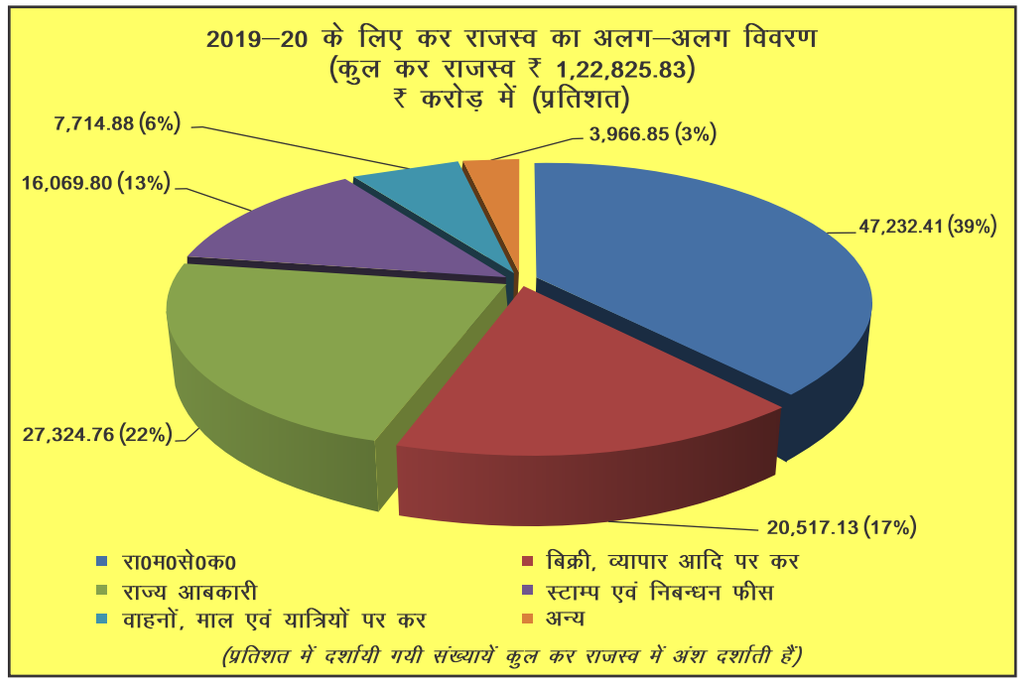

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2019–20 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है :

- वर्ष 2019–20 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 2.25 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य आबकारी' (₹ 3,398.10 करोड़ द्वारा), 'राज्य माल एवं सेवा कर (रा0.मा.से.क.)' (₹ 1,124.38 करोड़ द्वारा), 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' (₹ 336.77 करोड़ द्वारा) तथा 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 784.86 करोड़ द्वारा) के कारण थी।

- बिक्री, व्यापार, आदि पर कर में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 3,280.71 करोड़ की कमी हुई। बिक्री, व्यापार, आदि पर कर के तहत कम राजस्व, मूल्य सवंर्धित कर (विगत वर्ष से ₹ 3,095.30 करोड़ कम) और बिक्री कर (विगत वर्ष से ₹ 147.44 करोड़ कम) से कम प्राप्तियों और बढ़ी हुई वापसी के कारण था।

- वर्ष 2019–20 के दौरान रा.मा.से.क. संग्रह में ₹ 1,124.38 करोड़ की वृद्धि हुई। रा0.मा.से.क. संग्रह में वृद्धि का मुख्य कारण कर शीर्ष के अंर्तगत प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 6,570.40 करोड़), रा.मा.से.क. और एकीकृत मा.से.क. के इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रास उपयोग (₹ 4,212.59 करोड़), एकीकृत मा.से.क. का विभाजन (₹ 633.96 करोड़) एवं ए.मा.से.क. के लिए अग्रिम विभाजन के लिए कम प्राप्तियाँ (₹ 5,763.53 करोड़) तथा अन्य लघु शीर्षों में अंतरण की प्रतीक्षा में प्राप्तियाँ (₹ 4,597.88 करोड़) था।

- राज्य आबकारी' में वृद्धि देशी आसव (₹ 1,471.22 करोड़), माल्ट मदिरा (₹ 483.32 करोड़) एवं विदेशी मदिरा तथा आसव (₹ 1,459.96 करोड़) की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

- 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः न्यायिकेतर स्टाम्प की अधिक बिक्री (₹ 651.65 करोड़) तथा अन्य प्राप्तियों में कमी (₹ 311.42 करोड़) के कारण हुई।

- 'वाहनों पर कर' की प्राप्तियाँ मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम (₹ 1,027.83 करोड़) के तहत अधिक प्राप्तियों एवं भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (₹ 239.29 करोड़) के तहत कम प्राप्तियों के शुद्ध प्रभाव के कारण बढ़ी थी।

- 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' की प्राप्तियों में वृद्धि (वर्ष 2018–19 में ₹ 2,978.22 करोड़ से वर्ष 2019–20 में ₹ 3,452.50 करोड़) विद्युत की बिक्री एवं उपभोग पर अधिक कर संग्रहण (₹ 522.89 करोड़) के कारण हुई।

1.2.3 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारणी–1.3** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.3
करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	की तुलना में वर्ष 2019–20 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2019–20 के ब0अ0	2018–19 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवायें	4,774.00 4,949.22	4,220.61 4,460.40	4,502.00 4,841.11	12,758.33 13,677.57	14,051.00 72,043.54	(+) 412.73	(+) 426.73
2	ब्याज प्राप्तियाँ	1,000.00 632.78	750.00 1,164.94	800.00 1,093.38	843.60 1,712.44	1,200.00 1,469.44	(+) 22.45	(–) 14.19
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	1,500.00 1,222.17	1,650.00 1,548.39	3,200.00 3,258.88	4,000.00 3,165.44	4,400.00 2,180.93	(–) 50.43	(–) 31.10
4	बिजली	2,700.00 1,322.17	2,700.00 2,938.85	4,448.34 4,695.85	5,700.00 5,735.40	4,175.00 1,044.14	(–) 74.99	(–) 81.79
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[4]	11,662.32 15,008.31	10,959.24 18,831.49	5,486.37 5,905.64	5,519.73 5,809.86	6,806.96 4,967.03	(–) 27.03	(–) 14.51
योग		**21,636.32** **23,134.65**	**24,240.85** **28,944.07**	**18,436.71** **19,794.86**	**28,821.66** **30,100.71**	**30,632.96** **81,705.08**	**(+) 166.72**	**(+) 171.44**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण बजट अनुमान के अनुसार।

[4] अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः आवास, लोक निर्माण, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, सड़क एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवायें, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास, आदि।

वर्ष 2019–20 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट–1.3

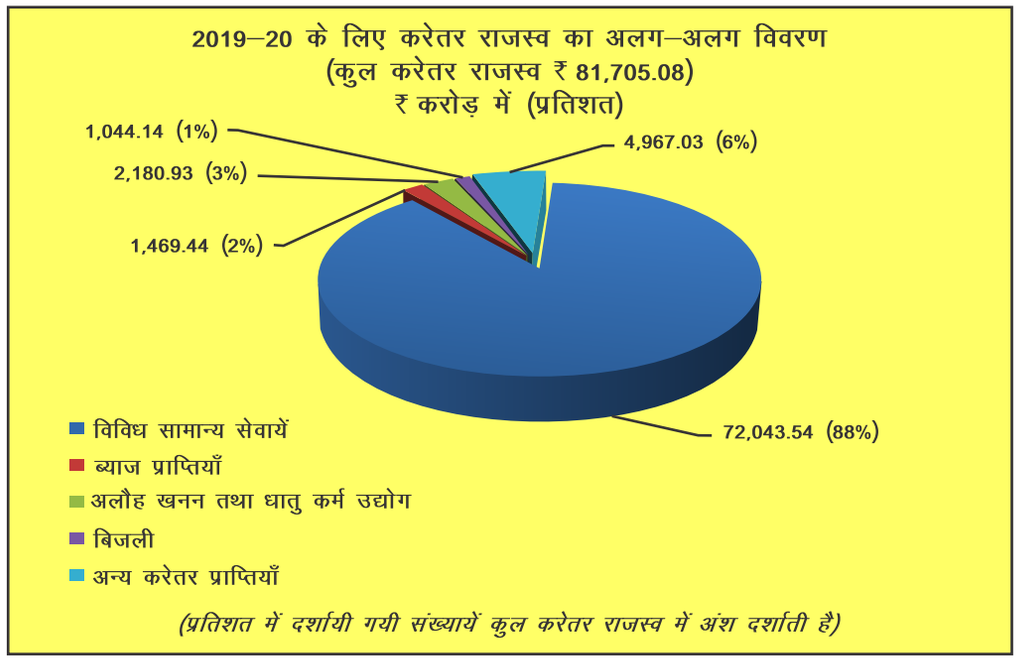

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2019–20 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2018–19 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर प्राप्तियों मे कुल मिलाकर ₹ 51,604.37 करोड़ की वृद्धि हुई (171.44 प्रतिशत), मुख्यतः 'विविध सामान्य सेवायें' शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य रूप से वर्ष 2019–20 के दौरान लोक लेखा के अंर्तगत सिंकिंग फण्ड से समेकित निधि के राजस्व प्राप्तियों में ₹ 71,180.23 करोड़ के अंतरण के कारण था।

  उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में मौजूद सिंकिंग फण्ड के तहत बकाया राशि को नव निर्मित समेकित सिंकिंग फण्ड में अंतरित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने लोक लेखा के अर्न्तगत मौजूद सिंकिंग फण्ड की सम्पूर्ण शेष राशि ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य सरकार के करेतर प्राप्तियों के रूप में स्थानांतरित (30 मार्च 2020) किया। ₹ 71,180.23 करोड़ का यह अंतरण एक बही समायोजन था और इस लेनदेन से राज्य सरकार को कोई नकद प्राप्त नहीं हुआ था। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस मुद्दे पर लेखापरीक्षा अवलोकन का विस्तृत विवरण दिया गया है।

  प्रभावी रूप से, वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर राजस्व के रूप में प्राप्तियां ₹ 10,525 करोड़ (सिंकिंग फण्ड के बही शेष के अंतरण को छोड़कर) थी, जोकि पिछले वर्ष यानी 2018–19 के करेतर राजस्व से 40 प्रतिशत कम थी। अग्रेतर, राज्य की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां, सिंकिंग फण्ड के बही शेष के हस्तांतरण को छोड़कर, ₹ 2,95,213 करोड़ पर आ गई और इस प्रकार राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति की वास्तविक वृद्धि दर वर्ष 2019–20 के दौरान (–) 6.96 प्रतिशत वर्ष 2018–19 की तुलना में थी।

- वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी ₹ 492.41 करोड़[5] के नकद शेष निवेश खाते के तहत कम प्राप्तियों के कारण थी।
- 'अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग' में कमी खनिज रियायत शुल्क, किराये, रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों (₹ 457.81 करोड़) से कम प्राप्तियों (₹ 476.15 करोड़) के कारण थी। अग्रेतर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मोर्रम/बालू के खनन पट्टों की 54 पर्यावरण मंजूरी को रद्द/प्रतिबंधित करने से सरकारी राजस्व प्रवाह प्रभावित हुआ।
- राजस्व लेखा शीर्ष 'बिजली' के अन्तर्गत 81.79 प्रतिशत की कमी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को शेयर पूँजी के लिये भारत सरकार से कम प्राप्तियों (₹ 4,691.25 करोड़) के कारण था।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी–1.2 एवं 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

संस्तुतिः

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। लो0ले0स0 द्वारा वर्ष 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2018 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की गई। इसके अलावा, वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 (मदिरा के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य आबकारी)) एवं 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिये कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (जनवरी 2021) जिन्हें मार्च 2016 और फरवरी 2020 के मध्य राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **सारणी–1.4** में दिया गया है।

सारणी–1.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधान मण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
2	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	00	26
3	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
4	31 मार्च 2018 (अकेले, राज्य आबकारी)	19 जुलाई 2019	08	00	08
5	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	00	17
6	31 मार्च 2019	18 अगस्त 2021	23	देय नहीं	
योग			**120**	**00**	**97**[6]

[5] ₹ 1,088.56 करोड़ (2018–19)- ₹ 596.15 करोड़ (2019–20)।

[6] वाणिज्य कर (24 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (22 प्रस्तरों), परिवहन (19 प्रस्तरों), स्टाम्प एवं निबन्धन (11 प्रस्तरों), भूतत्व एवं खनिकर्म (18 प्रस्तरों) तथा मनोरंजन कर (03 प्रस्तरों)।

वर्ष 2019–20 में, लो0ले0स0 द्वारा वर्ष 2001–02 से 2008–09 एवं 2011–12 तथा 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 51[7] चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की गई। तथापि, इन प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का0आ0) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुई है (जून 2021)।

1.4 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

मार्च 2020 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि जून 2020 के अन्त तक 12,627 नि0प्र0 से सम्बन्धित 45,399 प्रस्तर लम्बित थे। इन नि0प्र0 में प्रकाश में लाया गया प्रभावी वसूली योग्य राजस्व ₹ 11,035.10 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभागवार विवरण **सारणी–1.5** में दिया गया है।

सारणी–1.5
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	5,961	26,146	4,251.12
		मनोरंजन कर	206	490	467.06
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,025	2,173	1,309.87
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,390	6,325	2,309.73
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,776	8,896	793.69
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	269	1,369	1,903.63
योग			**12,627**	**45,399**	**11,035.10**

यहाँ तक कि, नि0प्र0 प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर, समय से प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2019–20 के दौरान जारी किये गये 207 नि0प्र0 में से, लेखापरीक्षा को कार्यालयाध्यक्षों से तीन नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर छः माह के अन्दर तथा सात नि0प्र0 के मामले में छः माह के बाद प्राप्त हुआ। वर्ष 2019–20 के दौरान निर्गत शेष 197 नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नि0प्र0 का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संज्ञान लेने एवं इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/किसी सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य जमीनी स्तर पर दृष्टव्य नहीं हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें, सुधारात्मक कार्यवाही करें।

[7] वाणिज्य कर (22 प्रस्तरों), चिकित्सा (02 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (06 प्रस्तरों), भू–राजस्व (05 प्रस्तरों), ऊर्जा विभाग (01 प्रस्तर), औद्योगिक विकास विभाग (04 प्रस्तरों), गन्ना विभाग (01 प्रस्तर), वित विभाग (02 प्रस्तरों), ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएं (01 प्रस्तर), लोक निर्माण विभाग (06 प्रस्तरों), तथा मनोरंजन कर (01 प्रस्तर)।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के पाँच विभागों[8] को समाविष्ट किया तथा बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस एवं खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,556 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 234 (15 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2018–19 के दौरान इन पाँच विभागों में ₹ 1,19,747.24 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 234 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 23,580.22[9] करोड़ संग्रहीत किया। 234 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिससे 1,00,026 मामलों (3,56,284 नमूना जाँच किये गये मामलों में से) में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल ₹ 983.54 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें नि0प्र0 द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था।

सम्बन्धित विभागों ने 497 मामलों में (पिछले वर्षों में बताये गये मामलें शामिल) ₹ 82.62 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2019 एवं जून 2021 के मध्य) और 300 मामलों में ₹ 9.41 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित किया।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाए।

1.6 प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के 18 प्रस्तर शामिल हैं, जिनमें ₹ 502.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

वाणिज्य कर विभाग ने ₹ 19.01 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 47.79 लाख की वसूली की है। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जुलाई 2021)। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों–II से V तक में की गयी है।

इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

---

[8] वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

[9] वाणिज्य कर विभाग मा0से0क0 लागू होने के पश्चात इकाईवार राजस्व संग्रह लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करा सका और इसलिए इस धनराशि में विभाग की लेखापरीक्षित इकाईयों का राजस्व सम्मिलित नहीं है।

अध्याय–II: राज्य आबकारी

2.1 कर प्रशासन

अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा, जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) विनिर्मित की जाती है। आसवनियों एवं यवासवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर राज्य के आबकारी राजस्व[1] का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन शुल्क[2] भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बने नियमों[3], मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लागू अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं उद्ग्रहण को नियंत्रित करते हैं।

शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव (राज्य आबकारी) राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं जिनको दो अपर आबकारी आयुक्त (अ0आ0आ0) सहायता करते हैं। विभाग के पाँच जोन हैं जिनके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) होते हैं, जिनको 18 उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) सहायता करते हैं। सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) जिले के प्रमुख होते हैं। आबकारी अभिकर और उससे जुड़ी उगाही के आरोपण/संग्रहण का नियंत्रण व विनियमन करने में आबकारी निरीक्षक (आ0नि0) इनकी सहायता करते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला अधिकारी के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आबकारी प्राप्तियों के संग्रह एवं लेखाकरण के प्रभारी होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019–20 के दौरान, विभाग की 128 लेखापरीक्षित इकाइयों में से 59[4] इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में सन्निहित 4,949 मामलों में ₹ 207.93 करोड़ के आबकारी अभिकर/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं जैसा कि **सारणी–2.1** में उल्लिखित किया गया है।

---

1 2018–19 के कुल आबकारी राजस्व में दे0म0 48 प्रतिशत, भा0नि0वि0म0 36 प्रतिशत, बीयर 15 प्रतिशत एवं अन्य एक प्रतिशत था।

2 दे0म0, भा0नि0वि0म0, बीयर, बार, आसवनियों, यवासवनियों, फार्मेसियों, आदि के अनुज्ञापियों और अन्य विनिर्माण इकाइयाँ जो कि अल्कोहल को कच्चा माल के रूप में उपयोग करती हैं, पर अनुज्ञापन शुल्क लागू होता है।

3 उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (बीयर और वाईन को छोड़कर) नियमावली 2001।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (बीयर और वाईन को छोड़कर) (तीसरा संशोधन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा के बंधित गोदाम के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

4 इसमें आबकारी आयुक्त (विभाग के प्रमुख), 34 जिला आबकारी कार्यालयों एवं 24 आसवनियाँ सम्मिलित हैं।

सारणी–2.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी अभिकर का न/कम वसूल होना	121	27.52
2	अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की वसूली न किया जाना	4,335	178.45
3	अन्य अनियमितताएं[5]	493	1.96
योग		**4,949**	**207.93**

वर्ष 2019–20 में इंगित किये गये तीन मामलों को विभाग ने (अप्रैल 2019 एवं जून 2021 के मध्य में) स्वीकार किया। अग्रेतर, वर्ष 2019–20 के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में, विभाग ने (अप्रैल 2019 एवं जून 2021 के मध्य) 171 मामलों में ₹ 55.40 करोड़ की धनराशि को स्वीकार किया तथा 60 मामलों में ₹ 4.90 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

इस अध्याय में ₹ 107.14 करोड़ मूल्य के 2,540 मामलों की विवेचना की गयी है। अक्टूबर 2019 से जून 2020 के मध्य सभी लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग को सूचित/प्रेषित किये गये, फिर भी उनके उत्तर अप्राप्त हैं (जुलाई 2021)। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया जैसा कि **सारणी–2.2** में वर्णित है।

सारणी–2.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	32	3.66	1,007	37.43	14,334	1,297.07	714	58.85	540	15.29	16,627	1,412.30
भा0नि0वि0म0 की छोटी बोतलों के ई0डी0पी0 की गलत गणना के कारण अतिरिक्त आबकारी अभिकर की हानि	–	–	–	–	–	–	–	227.98	7	4.01	7	231.99

2.3 दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क (अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। इन्होंने नियमों के उल्लघंन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि (₹ 6.75 करोड़), अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (₹ 63.83 करोड़) और प्रतिभूति जमा (₹ 32.26 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 102.84 करोड़ के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के लिए उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति प्रावधानित करती हैं कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य

[5] नियमों का अनुपालन न किये जाने के लिये शास्ति का अनारोपण, अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन प्राप्त करने में विफलता के कारण प्रशमन धनराशि का कम आरोपण, ओवर रेटिंग के मामलों में उचित कार्यवाही नहीं की गयीं, व्यवस्थित दुकान से एम0जी0क्यू0 (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा) का समायोजन न किया जाना, न्यूनतम आसवन क्षमता प्राप्त करने के लिये शास्ति का अनारोपण, आदि।

दिवस के अन्दर अनुज्ञापन शुल्क[6] (अ0शु0)/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क[7] (बे0अ0शु0) की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति[8] धनराशि का आधा 10 कार्य दिवस के अन्दर एवं शेष धनराशि 20 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना होगा। वर्ष 2015–16, 2016–17, एवं 2017–18 के लिए आबकारी नीति, यह भी प्रावधानित करती हैं कि दुकानों के नवीनीकरण के मामले में, अ0शु0/बे0अ0शु0 का आधा आवेदन के समय जमा किया जायेगा, प्रतिभूति धनराशि का आधा दुकान के नवीनीकरण के 10 दिन के अन्दर एवं अ0शु0/बे0अ0शु0 तथा प्रतिभूति जमा की शेष राशि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक जमा किया जायेगा। विफलता के मामले में, दुकान का नवीनीकरण/व्यवस्थापन निरस्त कर दिया जायेगा और जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति की धनराशि समपहृत की जायेगी और इन दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

वर्ष 2019–20 की आबकारी नीति यह प्रावधानित करती है कि दुकानों के नवीनीकरण के मामले में बे0 अ0 शु0/अ0शु0 की आधी धनराशि तीन कार्य दिवसों के भीतर जमा करना होगा, बे0 अ0 शु0/अ0शु0 की शेष धनराशि 28 फरवरी 2019 तक जमा किया जायेगा तथा प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि 31 मार्च 2019 तक जमा किया जायेगा। विफलता के माामलों में, दुकानों का व्यवस्थापन निरस्त कर दिया जायेगा और जमा बे0अ0शु0/अ0शु0, नवीनीकरण शुल्क एवं 2018–19 की जमा प्रतिभूति का 15 प्रतिशत/50 प्रतिशत राशि दे0म0 की दुकान/विदेशी, बीयर तथा मॉडल शॉप्स के प्रकरणों में समपहृत की जायेगी और इन दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के प्रस्तर 3.8.8.1 में उजागर किये गये समान मामले पर, लोक लेखा समिति ने शासन को संस्तुति (मई 2015) किया कि चूककर्त्ता अनुज्ञापियों के विरूद्ध कार्यवाही करें एवं यह सुनिश्चित करें कि समान अनियमितता भविष्य में न दोहरायी जाय।

लेखापरीक्षा ने 31 जिला आबकारी कार्यालयों (जि0आ0का0) के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा (अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) कि 31 जनपदों में 5,571 मदिरा की दुकानों में से 2,521 अनुज्ञापियों (जॉच की गयी दुकानों का 45.25 प्रतिशत), जो कि वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान व्यवस्थित या नवीनीकृत की गयी, ने प्रतिभूति जमा एवं अ0शु0/बे0अ0शु0 की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया। विभागीय अभिलेखों (दुकानों के व्यवस्थापन के लिए निर्धारित जी–12 रजिस्टर) की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा विशेष रूप से इसमें जमा की देय तिथि, जमा की वास्तविक तिथि, विलम्ब से जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा इत्यादि की जाँच की और पाया कि दुकानों के व्यवस्थापन के समय अनुज्ञापियों द्वारा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा की केवल आंशिक धनराशि निर्धारित समय सीमा

---

[6] विदेशी मदिरा/बीयर की दुकान के लिए अनुज्ञापन शुल्क का आशय फुटकर दुकान पर विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए एकांतिक विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञापन प्रदान करने के बदले में एक निर्धारित धनराशि से है। देशी मदिरा की दुकान के लिए अनुज्ञापन शुल्क का आशय बेसिक अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एकांति विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञापन प्रदान करने के लिए अनुज्ञापी द्वारा देय प्रतिफल के शेष भाग से है तथा यह धनराशि दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर आरोपणीय प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी।

अ0शु0 की वर्षवार धनराशि– ₹ 227 प्रति बल्क लीटर (बी0एल0) (2015–16) एवं ₹ 226 प्रति बी0एल0 (2016–17 एवं 2017–18) तथा ₹ 222 प्रति बी0एल0 (2018–19 एवं 2019–20)।

[7] बेसिक अनुज्ञापन शुल्क का तात्पर्य है कि देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञापन प्रदान करने हेतु अनुज्ञापी द्वारा उसे अनुज्ञापन दिये जाने से पूर्व देय प्रतिफल का हिस्सा है।

वर्षवार बे0अ0शु0 धनराशि – ₹ 25 प्रति बी0एल0 (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) एवं ₹ 28 प्रति बी0एल0 (2018–19) तथा ₹ 30 प्रति बी0एल0 (2019–20)।

[8] दुकान के लिये निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 10 प्रतिशत।

के भीतर जमा किया गया था। विलम्ब[9] की अवधि 1 से 292 दिनों की थी। यह भी देखा गया कि लेखापरीक्षा में इंगित मामलों में से 10 जि0आ0का0[10] में 199 आवेदकों ने आबकारी नीति के अनुसार वर्ष 2017–18 के दौरान दुकानों के नवीनीकरण के आवेदन के साथ अ0 शु0/बे0अ0शु0 की आधी धनराशि जमा नहीं की। इन आवेदकों के आवेदन आबकारी नीति के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए जि0आ0अ0 द्वारा स्वीकार किये गये थे। नियमों के अन्तर्गत जिसमें कोई छूट अनुमन्य नहीं थी तथापि सम्बन्धित जि0आ0अ0 द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। देय धनराशि के जमा में देरी पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 102.84 करोड़ (नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि ₹ 6.75 करोड़, अ0शु0/बे0अ0शु0 ₹ 63.83 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा ₹ 32.26 करोड़) की धनराशि समपहृत नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–I** में दर्शाया गया है।

संस्तुति :

विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये, अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

2.4 आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि

आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) की 6.20 करोड़ छोटी बोतलों पर ₹ 4.30 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि हुई थी।

भा0नि0वि0म0 के अधिकतम फुटकर मूल्यों (एम0आर0पी0) का निर्धारण सरकार द्वारा वर्षवार निर्गत आबकारी नीतियों में प्रदान किये गये सूत्रों के अनुसार किया जाता है। आबकारी नीति 2018–19 में निर्धारित किया है कि सूत्र द्वारा आगणित एम0आर0पी0 यदि दस के गुणांक में नहीं है, तो एम0आर0पी0 को अगले दस रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में देय होगी। एम0आर0पी0 के विभिन्न घटकों (एक्स आसवनी कीमत (ई0डी0पी0), प्रतिफल शुल्क, थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता का मार्जिन) के किसी स्तर पर गणना/जोड़ने में अनियमितता, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क पर प्रभाव डालती है जो राज्य के राजकोष में एम0आर0पी0 के अगले दस रूपये पर पूर्णांकित होने से जमा होती है।

आबकारी नीति 2018–19 में निर्धारित किया गया है कि भा0नि0वि0म0 की 750 एम0एल0 के बोतलों की प्रतिफल शुल्क की गणना पहले की जायेगी और तदोपरान्त छोटी बोतलों की प्रतिफल शुल्क की गणना समानुपातिक आधार पर की जायेगी। तथापि, छोटी बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना के लिए, यह निर्धारित किया गया कि 750 एम0एल0 की बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना पहले की जायेगी और तदोपरान्त छोटी बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना समानुपातिक आधार (750 एम0एल0 की बोतल से बनने वाली छोटी बोतलों की पूर्ण संख्या के अनुसार) पर 750 एम0एल0 की ई0डी0पी0 में ₹ 2/ ₹ 3 (375 एम0एल0/180 एम0एल0) को जोड़ कर की जायेगी।

आबकारी नीति के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार भा0नि0वि0म0 की 180 एम0एल0 की बोतलों पर प्रतिफल शुल्क का संग्रहण बोतल में मदिरा की वास्तविक मात्रा पर किया गया (जैसे 750 एम0एल0 की बोतल की प्रतिफल शुल्क **X** 180/750) जबकि 180 एम0एल0 की बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना के समय, 750 एम0एल0 की बोतल की

---

[9] 15 दिनों तक बिलम्ब, दुकानें–1288, धनराशि– ₹ 45.60 करोड़; 16 से 30 दिनों के मध्य बिलम्ब, दुकानें–377, धनराशि– ₹ 13.49 करोड़; तथा 30 दिनों से अधिक बिलम्ब, दुकानें–856, धनराशि– ₹ 43.74 करोड़।

[10] आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, फिरोजाबाद, झाँसी, कौशाम्बी, मथुरा, मुरादाबाद, सन्त कबीर नगर एवं वाराणसी।

ई0डी0पी0 में ₹ 3 जोड़कर और फिर उसे चार से भाग देकर ई0डी0पी0 निर्धारित की गयी। इस प्रकार, 180 एम0एल0 की बोतलों के लिए, आसवक को 187.5 एम0एल0 की ई0डी0पी0 प्राप्त हुई (750 एम0एल0 को 4 से विभाजित करके) परन्तु मात्र 180 एम0एल0 की प्रतिफल शुल्क का भुगतान किया गया।

आबकारी नीति की इस विसंगति के प्रभाव ने निजी आसवकों के लाभ में अनुचित वृद्धि कर दी जबकि राजकोष तद्नुरूप अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा ने धामपुर चीनी मिल, लिमिटेड (आसवनी प्रभाग) बिजनौर, मोहन मीकिन्स लिमिटेड, गाजियाबाद और वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड, अलीगढ़ के 2018–19 के सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालयों के 19 ब्रान्ड अनुमोदन फाइलों के अभिलेखों की जाँच की और पाया (अगस्त 2019 एवं नवम्बर 2019 के मध्य) कि 180 एम0एल0 की बोतलों पर अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित करने के बजाय, आसवक के पक्ष में ई0डी0पी0[11] की अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य किया। परिणामस्वरूप आसवक को 6.20 करोड़ छोटी बोतलों की बिक्री पर ₹ 4.30 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–II** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (जून, 2020)। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई, 2021)। पूर्व में, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, 'मदिरा के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण' पर नि0 म0 ले0 प0 के प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.2.1 तथा मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राजस्व क्षेत्र उत्तर प्रदेश में प्रस्तर 2.5 पर, विभाग ने स्वीकार एवं आश्वस्त किया (जुलाई 2018), कि आबकारी नीति में संशोधन के माध्यम से विसंगति को दूर किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस विसंगति को आबकारी नीति 2019–20 में सुधार लिया गया है।

[11] 180 एम0एल0 के बजाय 187.5 एम0एल0 की ई0डी0पी0 की गणना।

अध्याय–III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

3.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर कानून एवं उसके अधीन बने नियमों को अपर मुख्य सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनके/उनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। 1 जुलाई, 2017 से विभाग राज्य में माल और सेवा कर (मा0से0क0) का प्रशासन भी देख रहा है।

माल एवं सेवा कर[1] राज्य के भीतर माल अथवा सेवाओं (मानव उपभोग के लिये मदिरा एवं पाँच विशिष्टीकृत पेट्रोलियम उत्पादों[2] को छोड़कर) की आपूर्ति पर पृथक–पृथक एवं समवर्ती रूप से संघ (के.मा.से.क.) एवं राज्यों (रा.मा.से.क.)/संघ शासित प्रदेश (सं.शा.प्र. मा.से.क.) के द्वारा आरोपित की जाती है। अग्रेतर, नये कर विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत माल अथवा सेवाओं के अन्तर्राज्यीय आपूर्ति (आयात सहित) पर एकीकृत मा.से. क. (ए.मा.से.क.) आरोपित किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019–20 के दौरान, वाणिज्य कर विभाग की कुल 845 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 105 लेखापरीक्षित इकाइयों[3] के अभिलेखों[4] की नमूना जाँच में 544 मामलों में निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें जिनमें ₹ 315.03 करोड़ की धनराशि निहित है, प्रकाश में आयीं, जैसा कि **सारणी–3.1** में सारणीकृत हैं।

सारणी–3.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	कर का अवनिर्धारण	228	266.30
2	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	2	0.02
3	आई0टी0सी0 की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	114	9.58
4	ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना	79	3.78
5	अन्य अनियमितताएं[5]	121	35.35
योग		**544**	**315.03**

विभाग ने (अप्रैल 2019 एवं जून 2021 के मध्य) वर्ष 2019–20 के एक मामले में ₹ 0.49 लाख की धनराशि को स्वीकार किया और इसी मामले में ₹ 0.49 लाख की वसूली प्रतिवेदित की। अग्रेतर, वर्ष 2019–20 से पूर्व के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में विभाग ने (अप्रैल 2019 एवं जून 2021 के मध्य) ₹ 27.21 करोड़ के 321 मामलों को स्वीकार किया और 238 मामलों में ₹ 4.50 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

---

1 केन्द्रीय मा.से.क.: के.मा.से.क. एवं राज्य/संघ शासित प्रदेश मा.से.क.: रा.मा.से.क./संघशा. प्र.मा.से.क.।

2 पेट्रोलियम उत्पादों: कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, वैमानिकी ईंधन एवं प्राकृतिक गैस।

3 इसमें कमिश्नर वाणिज्य कर (विभागाध्यक्ष), आगरा पीठ 1 अभिकरण के सदस्य, 19 ज्वाइण्ट कमिश्नर, 69 खण्ड, 05 सचल दल इकाइयाँ, 4 प्रशासनिक इकाइयाँ एवं 6 मनोरंजन कर अधिकारी सम्मिलित हैं।

4 वैट के मामले एवं मनोरंजन कर के पुराने मामलों के।

5 अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध व्यापारियों द्वारा अधिक धन की वसूली की जब्ती न किये जाने, अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत न किये जाने, वसूले गये राजस्व को कोषागार में विलम्ब से जमा किये जाने, प्रपत्रों/पंजियों के रखरखाव न किये जाने, आदि।

यह अध्याय ₹ 195.62 करोड़ के 19 मामलों की विवेचना करता है। ये मामले उन करनिर्धारण वर्षों से सम्बन्धित हैं जिन पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 लागू होता था। विभाग ने ₹ 19.01 करोड़ धनराशि के 11 मामलों को स्वीकार किया, जिसमें से दो मामलों में विभाग ने ₹ 47.79 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया। इस प्रकार के मामले विगत पाँच वर्षों में बार–बार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद इन अनियमितताओं में से कुछ लगातार बनी रहती हैं, जैसा कि **सारणी–3.2** में वर्णित है।

सारणी–3.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
कर की गलत दर का लगाया जाना	132	7.49	35	2.72	24	2.00	58	12.36	13	1.95	262	26.52
टर्नओवर का करनिर्धारण से छूट जाना	–	–	15	0.82	–	–	–	–	01	12.68	16	13.50
ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना	30	5.31	8	2.17	30	1.53	28	2.56	–	–	96	11.57
अननुमन्य आई0टी0सी0	21	0.87	15	0.77	20	1.18	27	1.01	18	4.52	101	8.35
स्रोत पर कटौती किये गये कर को विलम्ब से जमा किया जाना	25	8.75	14	2.98	28	8.05	69	26.80	25	16.29	161	62.87

अनियमितताओं की पुनरावृत्तीय प्रकृति यह प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष इंगित किये जाने के बाद भी सतत् अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं किये।

संस्तुतिः

विरासत के मू0सं0क0 मामलों का कर निर्धारण अभी प्रक्रिया में है, राज्य सरकार ऐसे मामलों के कालातीत होने से पूर्व, प्रतिवेदित किये गये अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठा सकती है। इस बात की सम्भावना है कि इस स्तर पर राजस्व का अघोषित रिसाव बिना पता लगे ही रह जाये क्योंकि ध्यान जी0एस0टी0 के प्रशासन पर केन्द्रित रहेगा।

3.3 कर की गलत दर का लगाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 355.54 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, कर की दरों को सत्यापित किये बिना, कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 26.44 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित किया गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008, के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुएं अनुसूची I में उल्लिखित हैं तथा वस्तुओं पर लागू कर की दरों के अनुसार कर योग्य वस्तुएं अनुसूची II से IV में उल्लिखित हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त कर के अतिरिक्त, शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने छः वा0क0का0 में 1,575 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) की और देखा कि सात व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2013–14 से 2016–17 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (दिसम्बर 2016 एवं जुलाई 2019 के मध्य), ₹ 355.54 करोड़ के माल की बिक्री पर व्यापारियों द्वारा कर विवरणियों में उल्लिखित शून्य से पाँच प्रतिशत की कर की दर को स्वीकार किया। क0नि0प्रा0 अनुसूची के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर प्रभावी

चार से 15.5 प्रतिशत की दर को सत्यापित और आरोपित करने में विफल रहे। इस प्रकार, धनराशि ₹ 26.44 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ **(परिशिष्ट–III)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (सितम्बर 2019 एवं मई 2020 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (अप्रैल 2021), विभाग ने छः मामलों में ₹ 2.81 करोड़ धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से एक मामले में ₹ 38.71 लाख की वसूली उनके द्वारा प्रतिवेदित की गयी। एक मामले में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया (जुलाई 2021)। इस एक अवशेष मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **सारणी–3.3** में सूचीबद्ध है।

सारणी–3.3

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**डि0कमि0 खण्ड–1 वा0 क0, अम्बेडकरनगरः** उ0प्र0 वैट अधिनियम/नियमावली के नियम 9(1)/9(3) के अन्तर्गत ₹ 31.94 करोड़ मूल्य के माल की मानी गई बिक्री पर करारोपण नहीं किया गया। अतएव, ₹ 23.63 करोड़ का कर आरोपित नहीं हुआ था।	विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण प्रतिप्रेषित वाद के अन्तर्गत एकपक्षीय करनिर्धारण पर था। धारा 32 के अन्तर्गत एकपक्षीय कर निर्धारण को पुनः खोला गया। पुनः खोले गये वाद को ₹ 6.25 करोड़ की मांग के साथ पुनः एकपक्षीय पारित किया गया।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिनांक 28 फरवरी 2019 को पारित किये गये करनिर्धारण आदेश में सृजित ₹ 21.84 करोड़ की मांग को ₹ 6.25 करोड़ तक क्यों घटा दी गई के कारण से अवगत नहीं कराया। यद्यपि कि दोनों कर निर्धारण आदेश (पूर्ववर्ती एवं पुनरीक्षित) एकपक्षीय थे, करयोग्य टर्नओवर को ₹ 293.05 करोड़ से ₹ 80 करोड़ तक घटाने का कारण अभिलेखों पर नहीं पाया गया था। अग्रेतर, न तो व्यापारी प्राप्ति–भुगतान के लेखाभिलेखों द्वारा सत्यापन के लिये उपस्थित हुआ था और न ही माल की बिक्री/अन्तरण का कोई अतिरिक्त ब्यौरा प्रस्तुत किया था।

3.4 टर्नओवर का करनिर्धारण से छूट जाना

कर निर्धारण प्राधिकारी ₹ 1,571.43 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर का पता लगाने में विफल रहे थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 155.77 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008[6] के अन्तर्गत, कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) से अपेक्षित है कि वह व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में रखी जाने वाली पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच के पश्चात् कर निर्धारण सम्पन्न करें।

लेखापरीक्षा ने (जून 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) चार वा0क0का0 के 2,104 व्यापारियों के द्वारा दाखिल व्यापारिक एवं लाभ–हानि खाते तथा वार्षिक तुलनपत्र, वर्तमान एवं विगत वर्षों के कर निर्धारण आदेशों, आदि की नमूना जांच की और पाया कि छः व्यापारियों ने ₹ 1,571.43 करोड़ मूल्य के टर्नओवर को वर्ष 2014–15 से 2015–16 के विवरणियों में क0नि0प्रा0 के समक्ष प्रकट नहीं किया था। टर्नओवर के ब्यौरे व्यापारियों की सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क0नि0प्रा0 ने (मार्च 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय पुस्तकों, खातों, प्रपत्रों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का समुचित परीक्षण नहीं किया फलतः ₹ 1,571.43 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर के परिणामस्वरूप टर्नओवर के कर निर्धारण से छूट जाने के फलस्वरूप ₹ 155.77 करोड़ का कर अनारोपित रहा **(परिशिष्ट–IV)**।

[6] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 28।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2019 एवं मई 2020 के मध्य)। उत्तर में (अप्रैल 2021), विभाग ने दो मामलों में ₹ 4.12 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया। एक मामले में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया (अप्रैल 2021)। मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **सारणी–3.4** में सूचीबद्ध है।

सारणी–3.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**ज्वा0 कमि0 (का0 स0) – प्रथम वा0 क0, कानपुरः** पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (पीवीवीएन एल), वाराणसी द्वारा ₹ 3.53 करोड़ की कटौती लिए जारी स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) के प्रमाणपत्र (फार्म 31) को क0नि0प्रा0 द्वारा अननुमन्य किया गया। स्रोत पर कर की कटौती के प्रमाणपत्र से यह सिद्ध होता है कि व्यापारी ने ₹ 88.31 करोड़ की (टीडीएस का 25 गुना) के बिजली के सामानों की आपूर्ति की गई है। इस प्रकार, टीडीएस के प्रमाणपत्र की अननुमन्यता के द्वारा माल की आपूर्ति को भी 14 प्रतिशत की दर से कराधान किया जाना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि व्यापारी के ₹ 600.42 करोड़ के सकल बिक्री पर पाँच प्रतिशत, 14 प्रतिशत एवं 14.5 प्रतिशत की दर से कुल ₹ 72.53 करोड़ का कर आरोपित किया गया था। बीजकों एवं अनुलग्नक–ख से यह भी स्पष्ट है कि टीडीएस प्रमाणपत्र के विरुद्ध की गई आपूर्ति / बिक्री पर 14 / 14.5 प्रतिशत की क्रमिक दर से कराधान किया गया था।	विभाग का उत्तर निम्नलिखित आधार पर स्वीकार्य नहीं हैः (i) क0नि0प्रा0 ने मार्च 2019 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (पीवीवीएनएल) वाराणसी को की गई बिक्री से सम्बन्धित अनुबन्ध की प्रति देने एवं व्यापारी द्वारा दाखिल टीडीएस प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए व्यापारी को एक नोटिस जारी की थी। प्रत्युत्तर में, व्यापारी ने कहा कि उसने पावर ग्रिड कारपोरेशन के अनुबन्ध के अनुसरण में आपूर्ति / बिक्री की थी। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 34 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने वाले व्यक्ति पर टीडीएस कटौती का दायित्व है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत टीडीएस कटौती से यह स्पष्ट है कि केवल पीवीवीएनएल ने ही उनको की गई आपूर्ति / बिक्री के लिए ही भुगतान किया था। (ii) क0नि0प्रा0 ने दिनांक 15 मार्च 2019 को पारित कर निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया था कि व्यापारी द्वारा दाखिल टीडीएस प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जायेगा एवं यदि कुछ भी विपरीत पाया जाता है तो व्यापारी के विरुद्ध धारा 29(7) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। किन्तु लगभग दो वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस मुद्दे पर विभाग का उत्तर मौन है। (iii) क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, स्पष्ट रूप से यह कहा था कि व्यापारी द्वारा घोषित टर्नओवर विश्वसनीय नहीं था और स्वीकृत टर्नओवर में मात्र पाँच करोड़ की वृद्धि की थी (जो कि उसके सकल टर्नओवर का कठिनाई से एक प्रतिशत था), जबकि विभाग के उत्तर (अप्रैल 2021) में कहा गया कि व्यापारी किसी करापवंचन में लिप्त नहीं थे एवं अपने समस्त टर्नओवर को अपने विवरणी में

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
			प्रदर्शित किया था, जो कि क0नि0प्रा0 द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश के विरोधाभासी है। (iv) विभाग ने कहा कि टीडीएस प्रमाणपत्र के विरुद्ध की गई समस्त आपूर्ति / बिक्री पर कराधान किया गया था, किन्तु कोई समर्थित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

अवशेष ₹ 139.29 करोड़ की धनराशि के तीन मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (जुलाई 2021)।

3.5 स्रोत पर काटे गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर देय ब्याज को प्रभारित नहीं किया गया

व्यापारी ने ₹ 5.26 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती को विलम्ब से जमा किया था, जिस पर ₹ 1.18 करोड़ का ब्याज प्रभार्य था, किन्तु कर–निर्धारण के समय प्रभारित नहीं किया गया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008[7] के अन्तर्गत, ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के प्रयोग में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत, देय धनराशि में से चार प्रतिशत धनराशि की कटौती करेगा। कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को जमा करने में असफल रहने की दशा में, वह काटी गई किन्तु जमा न की गई राशि पर कटौती की तिथि से वास्तविक जमा की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर के साधारण ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

लेखापरीक्षा ने खण्ड 6 वा0क0 वाराणसी के कार्यालय के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2019) की और पाया कि एक व्यापारी ने वर्ष 2013–14 के लिए संविदाकार को भुगतान करते समय स्रोत पर कर ₹ 5.26 करोड़ की धनराशि की कटौती की परन्तु इसे 545 दिनों के विलम्ब से बिना विलम्ब पर देय ब्याज के भुगतान के जमा किया था। स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा किया जाना कर की जमा की अद्यतन तिथि तक ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज को आकृष्ट करता था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2018 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज को प्रभारित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2019)। उत्तर (अप्रैल 2021) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज को प्रभारित कर दिया है।

[7] धारा 34(1) सपठित धारा 34(9)।

3.6 व्यापारियों को अननुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता

व्यापारियों ने ₹ 99.46 लाख की धनराशि की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित कुल ₹ 1.60 करोड़ की आई0टी0सी0 अनुत्क्रमित रही।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008[8] के अन्तर्गत, पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिये कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ राज्य के भीतर व्यापारियों को कर बीजकों के विरुद्ध राज्य के पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे माल पर अदा किये गये कर अथवा अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गये माल पर नकद जमा किये गये कर का लाभ, उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य है। अग्रेतर[9], यदि कोई व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण रीति से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो, आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित होगा।

लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020 के मध्य) चार वा0क0का0 में 367 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि चार व्यापारियों ने वर्ष 2015–16 से 2016–17 के दौरान ₹ 99.46 लाख की आई0टी0सी0 का त्रुटिपूर्ण दावा किया था, जो कि उन्हें अनुमन्य नहीं था। क0नि0प्रा0 से अपेक्षित था कि वे (मई 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय, इस गैर–अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करते एवं व्यापारियों को अनुत्क्रमित आई0टी0सी0 की राशि को साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देते, जो कि उत्क्रमित नहीं की गई थी। ऐसा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.60 करोड़ (आई0टी0सी0 ₹ 99.46 लाख एवं ब्याज ₹ 60.33 लाख) की आई0टी0सी0 का ब्याज सहित उत्क्रमण नहीं हुआ **(परिशिष्ट-V)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य)। उत्तर (अप्रैल 2021) में, विभाग ने एक मामले में ₹ 26.47 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 9.08 लाख की वसूली प्रतिवेदित की गई थी। दो मामलों में, विभाग (अप्रैल 2021) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। इन दो मामलों में विभाग के उत्तरों का विश्लेषण **सारणी–3.5** में सूचीबद्ध है।

सारणी–3.5

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	**ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 बरेली:** व्यापारी द्वारा माल के सकल खरीद ₹ 29,94,70,724 पर अनुमन्य आईटीसी ₹ 1,55,11,355 के विरुद्ध ₹ 1,74,23,828 का अधिक दावा किया था।	विभाग ने बताया कि ₹ 29,94,70,724 की उत्तर प्रदेश से (पंजीकृत) खरीद में सेनवैट की राशि सम्मिलित नहीं थी। तुलन पत्र में प्रदर्शित राशि में भी सेनवैट की राशि सम्मिलित नहीं थी। खरीद में सेनवैट की राशि सम्मिलित करने पर उत्तर प्रदेश	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी एवं व्यापारिक खाते एवं कर निर्धारण के समय उत्तर प्रदेश से पंजीकृत व्यापारियों से खरीद में ₹ 29,94,70,724 की खरीद कर निर्धारण आदेश में भी प्रदर्शित है। अग्रेतर, तुलन पत्र में प्रदर्शित खरीद के द्विविभाजन में भी उत्तर प्रदेश से पंजीकृत व्यापारियों से ₹ 29,94,70,724 की खरीद सुस्थापित थी और इस

[8] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13।
[9] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 14(2) के अन्तर्गत।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
		से (पंजीकृत) खरीद ₹ 33,64,45,089 है इस प्रकार ₹ 1,74,23,828 आई0टी0सी0 अनुमन्य की गयी थी।	प्रकार ₹ 1,55,11,355 की आईटीसी अनुमन्य थी। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार ₹ 31,50,342 की ब्याज सहित आरआईटीसी वसूली योग्य है।
2	**ज्वा0 कमि0 (का0 स0) वा0 क0 रेंज ए नोएडा:** रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जों पर 14 / 14.5 प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 का दावा किया गया था जबकि रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जों पर पाँच प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 अनुमन्य है, जैसा कि यह अनुसूची–II भाग–क, क्रम सं0 105 पर वर्गीकृत है। अतएव, ब्याज सहित आई0टी0सी0 उत्क्रमित की जानी थी।	विभाग ने कहा कि रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जों से सम्बन्धित तैयार उत्पादों की बिक्री रेलवे को अनुसूची–II के अनुसार पाँच प्रतिशत की दर से की गई थी। किन्तु कच्चा माल एवं अतिरिक्त पुर्जे जो कि विभिन्न व्यापारियों से खरीदे गये थे, अवर्गीकृत थे और इसलिए, वे 14 प्रतिशत की दर से खरीदे गए थे। अग्रेतर, उपरोक्त मद पर 14 प्रतिशत की दर से वैट चार्ज किया गया था जो कि रेलवे विभाग से अन्य दूसरे व्यापारियों को बेचे गये हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी (फार्म–LII अनुलग्नक 4) यह स्पष्ट रूप से कहता है कि[10] खरीदा गया माल रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जे हैं। अग्रेतर, विभाग ने कहा कि यदि इन मदों (रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जे) की बिक्री रेलवे से इतर व्यापारियों को की गई है तो वैट 14 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया था। वैट अधिनियम के अनुसार माल की बिक्री पर कर की दर अनुसूची के अनुसार लागू होती है न कि व्यापारियों की श्रेणी के अनुसार। विभाग के दावे को सुस्थापित करने के लिए कोई समर्थक दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए, आई0टी0सी0 को ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाना चाहिए था।

अवशेष ₹ 35.67 लाख की धनराशि के एक मामले में विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (जुलाई 2021)।

3.7 स्रोत पर टीडीएस की कम कटौती

कर निर्धारण प्राधिकारी, कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय एक व्यापारी द्वारा ₹ 10.64 करोड़ धनराशि के स्रोत पर कर की कम कटौती का पता लगाने में विफल रहे।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008[11] के अन्तर्गत, किसी संविदाकार या उप संविदाकार, जैसा भी मामला हो, को संकर्म संविदा के अनुसरण में किसी माल की बिक्री के सम्बन्ध में भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति यदि कटौती की राशि को सुनिश्चित करने में असमर्थ रहता है, अपने कर निर्धारण प्राधिकारी से अधिनियम में सन्दर्भित निर्देश प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भुगतान की सकल धनराशि के चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा।

लेखापरीक्षा ने वा0क0 खण्ड 14 नोएडा के कार्यालय के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2020) की और देखा कि एक व्यापारी ने वर्ष 2015–16 के लिए संविदाकार को ₹ 736.99 करोड़ के टर्नओवर पर भुगतान करते समय स्रोत पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 29.48 करोड़ के बजाय ₹ 18.84 करोड़ की धनराशि की कटौती

[10] क्रम सं0 26 एवं 35 (₹ 2,94,50,280 एवं ₹ 1,51,07,252)।
[11] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 34।

की। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2018, में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय तथ्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.64 करोड़ की स्रोत पर कर की कम कटौती हुई।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2020)। उत्तर (अप्रैल 2021) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और ₹ 10.64 करोड़ की स्रोत पर कर की कम कटौती के लिए ₹ 21.27 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया है।

अध्याय–IV: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) अधिनियम, 1997, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) नियमावली, 1998, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) अधिनियम, 2007, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) नियमावली, 2011, तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों (शा0आ0) के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय पर पाँच अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी[2] (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों तथा फीस के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है।

राज्य में 114 प्रर्वतन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं।

विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर यथा, *वाहन* को वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और फीस का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया (अक्टूबर 2006) था। इस सॉफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों की सूची आदि के प्रतिवेदन को भी उत्पन्न करने की सुविधा है। एक अन्य सॉफ्टवेयर यथा, *सारथी* (जनवरी 2013 में अपनाया गया), को ड्राइविंग लाइसेंस के निर्गमन हेतु व वाहनों के पंजीयन व ड्राइविंग लाइसेंसों के डाटा को राज्य पंजिका में संकलन हेतु किया गया है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019–20 के दौरान, परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 37 इकाइयों[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच में 86,480 मामलो में सन्निहित ₹ 146.55 करोड़ के कर/शास्ति/अतिरिक्त कर की न/कम वसूली, स्वस्थता फीस एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जैसा कि **सारणी–4.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

[1] आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

[2] आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी।

[3] इसमे कार्यालय प्रमुख सचिव/परिवहन आयुक्त, 18 स0प0अ0 एवं 18 स0स0प0अ0 शामिल हैं।

सारणी–4.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलो की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	कर/अतिरिक्त कर की कम वसूली	14,283	55.88
2	बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों का संचालन	26,106	15.40
3	जारी वसूली प्रमाणपत्रों के विरूद्ध वसूली न होना	7,303	48.12
4	यू0पी0एस0आर0टी0सी0 बसों से शास्ति की वसूली न होना	23,945	8.86
5	अन्य अनियमितताएं[4]	14,843	18.29
योग		**86,480**	**146.55**

इस अध्याय में ₹ 26.19 करोड़ की धनराशि की अनियमित्ताओं के 28,383 मामलों की व्याख्या की गयी है। सभी लेखापरीक्षित टिप्पणियों से विभाग को जनवरी 2020 से मई 2020 के मध्य संसूचित किया गया, तथापि उनके उत्तर प्राप्त नही हुए (जुलाई 2021)। इनमें से कुछ अनियमित्ताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया है जैसा कि **सारणी–4.2** में वर्णित है।

सारणी–4.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना	464	30.36	805	35.69	210	1.95	393	2.61	557	4.98	2,429	75.59
परिवहन वाहनों के स्वस्थता प्रमाणपत्र का नवीनीकृत न होना	5,820	2.69	16,246	7.43	9,852	4.48	–	–	–	–	31,918	14.60
बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के प्राइवेट वाहनों का संचालन	–	–	1,805	0.81	–	–	–	–	–	–	1,805	0.81
राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना	105	0.18	440	0.77	–	–	–	–	778	1.36	1,323	2.31

संस्तुतिः

विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित न/कम उदग्रहण किये गये मामलों में अधिक धनराशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

4.3 वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना

कुल 13,284 परिवहन वाहन एवं 6,045 निजी वाहन वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संचालित थे एवं फिटनेस शुल्क ₹ 2.03 करोड़ तथा ₹ 9.66 करोड़ अर्थदण्ड आरोपण के लिए उत्तरदायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करने एवं परिवहन वाहनों के परमिट निरस्त करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

मो0या0 अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मो0या0 नियमावली, 1989 प्रावधानित करता है कि एक परिवहन वाहन को तब तक पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि वह स्वस्थता प्रमाण पत्र से आच्छादित न हो। एक नए पंजीकृत परिवहन वाहन के सम्बन्ध में दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। परिवहन प्राधिकारी ऐसे वाहनों के परमिट को

[4] जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना, अनियमित भुगतान, दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न किया जाना, सेवा कर की गलत गणना एवं ग्रीन टैक्स का गलत प्रयोग, आदि।

ऐसी अवधि के लिए निरस्त अथवा निलम्बित कर सकता है, जो वह उचित समझे। बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित वाहन मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अधिसूचना दिनांक 7 जून 2019 के अन्तर्गत ₹ 5,000 की दर से प्रशमन योग्य है।

के0मो0या0 नियमावली में तिपहिया/हल्के एवं मध्यम वाहनों/भारी वाहनों के लिए परीक्षण शुल्क क्रमशः ₹ 400 एवं ₹ 600 निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क ₹ 200 भी आरोपणीय है। चूक के मामले में, निर्धारित परीक्षण शुल्क के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। अग्रेतर, परिवहन आयुक्त के कार्यालय आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2005 के अनुसार ओमनी बसों (वाहन चालक को छोड़कर छः सीटों से अधिक परन्तु नौ सीटों तक के वाहन) के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2011–12 से 2016–17 में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर फिटनेस शुल्क एवं शास्ति के आरोपण न करने के कारण शासन को राजस्व की लगातार हानि को उजागर किया गया था।

- लेखापरीक्षा ने 31 स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों[5] की जाँच की और पाया (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) कि 63,180 परिवहन वाहनों में से 13,284 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के (दिसम्बर 2016 और जनवरी 2020 के मध्य) सड़क पर संचालित[6] थे, यद्यपि देय कर वाहन स्वामियों से वसूल किया गया था। फिटनेस समाप्ति की तिथि से सम्बन्धित जानकारी *वाहन* डाटाबेस पर उपलब्ध थी। इसके बावजूद, विभाग ने इन प्रकरणों का पता नही लगाया, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में जहाँ कि फिटनेस समाप्त हो गया था, ऐसे वाहन स्वामियों द्वारा कर के भुगतान को रोकने के लिये प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक एप्लीकेशन कन्ट्रोल निर्मित नहीं किया गया था। स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने भी इन वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करने एवं उनका परमिट निरस्त करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप शासन ₹ 1.43 करोड़ के फिटनेस शुल्क एवं ₹ 6.64 करोड़ के अर्थदण्ड से वंचित रहा **(परिशिष्ट–VI)**।

- इसी तरह लेखापरीक्षा ने 24 स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों[7] की जाँच की और पाया (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) कि 21,953 निजी वाहनों में से 6,045 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के (जनवरी 2017 एवं जनवरी 2020 के मध्य) सड़क पर संचालित थे यद्यपि सम्बन्धित वाहन स्वामियों से देय कर वसूल कर लिया गया था। परिणामस्वरूप, फिटनेस शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 3.63 करोड़ की वसूली नहीं हुयी **(परिशिष्ट–VII)**। बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हानिकारक होने के साथ–साथ प्रदूषण के स्तर को बढ़ा सकता है।

---

[5] *वाहन* डाटाबेस, कर स्थिति, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, रसीद पुस्तिकाएं, आदि।

[6] वाहन स्वामियों ने वाहनों के गैर उपयोग के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र को समर्पित नहीं किया था एवं कर वापसी का आवेदन नहीं किया।

[7] *वाहन* डाटाबेस, कर पंजिका/स्थिति, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, आदि।

4.4 उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

4,467 उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 5.65 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण।

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम[8], 1997 के अन्तर्गत, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा नियंत्रित व स्वामित्व वाली कोई भी सार्वजनिक सेवा यान उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक संचालित नहीं किया जायेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा सूचित कर के अलावा उसके सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर की अदायगी न कर दी गयी हो। उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[9], के अन्तर्गत, जहां कर या अतिरिक्त कर की अदायगी निर्दिष्ट अवधि (प्रत्येक कैलेण्डर माह की 15वीं तारीख) में भुगतान नहीं किया जाता है, तो देय कर/अतिरिक्त कर के पाँच प्रतिशत प्रति माह या उसके भाग के लिये, की दर से (लेकिन देय धनराशि से अधिक नहीं) अर्थदण्ड देय होगा। प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) को निर्देशित किया था (फरवरी 2006) कि संग्रहीत किया गया कुल देय अतिरिक्त कर सीधे ही कोषागार में जमा करेंगे और उ0प्र0रा0स0प0नि0 के मुख्यालय को मूल चालान तथा एक प्रति सम्बन्धित स0प0अ0 को जमा करेंगे।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 की अवधि में 13[10] स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों[11] की जाँच की और देखा (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) कि उ0प्र0रा0स0प0नि0 की 4,553 बसों की नमूना जाँच किये गये मामलों में से 4,467 में, उ0प0रा0स0प0नि0 ने देय तिथि के एक से पाँच माह के उपरान्त अतिरिक्त कर जमा किया था। विभाग ने इन 4,467 उ0प0रा0स0प0नि0 बसों से अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड ₹ 5.65 करोड़ का आरोपण व वसूली नहीं किया **(परिशिष्ट–VIII)**।

4.5 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित 1,875 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार शुल्क की धनराशि ₹ 3.28 करोड़ की वसूली न किया जाना।

मो0या0 अधिनियम[12], 1988, के अन्तर्गत एक परमिट, अस्थायी परमिट के अतिरिक्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी। के0मो0या0 नियमावली[13], के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए है। परिवहन आयुक्त के आदेशों (फरवरी 2000) के अनुसार, सम्बन्धित प्राधिकारी परमिट धारक को प्राधिकार समाप्ति के 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी करेगा और उससे स्पष्टीकरण की मांग करेगा कि क्यों न प्राधिकार का नवीनीकरण न कराये जाने के मामले में उनका परमिट रद्द कर दिया जाय तथा निर्धारित समय के अन्दर स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर परमिट रद्द कर देगा। राष्ट्रीय

---

[8] उ0प्र0 मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6(1)।

[9] उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6(1) के साथ उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 9 एवं 24 पढ़ा जाय।

[10] स0प0अ0–अलीगढ़, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज एवं वाराणसी; स0स0प0अ0– मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर तथा रामपुर।

[11] *वाहन* डाटाबेस, उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों का मासिक जमा स्क्रॉल, जमा चालान, यात्री कर पंजिका, अतिरिक्त कर के ऑनलाइन/ऑफलाइन भुगतान के अभिलेख, आदि।

[12] मो0या0 अधिनियम की धारा 81।

[13] के0मो0या0 नियमावली का नियम 87(3)।

परमिट के प्राधिकार हेतु समेकित फीस ₹ 16,500[14] वार्षिक के साथ आवेदन फीस की धनराशि ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

लेखा परीक्षा ने 12 स0प0अ0[15] के अभिलेखों[16] की नमूना जाँच (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) की और देखा कि राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 6,949 माल वाहनों में से 1,875 वाहन वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना, मार्गों पर संचालित (जनवरी 2018 से जनवरी 2020) थे। यह सभी सूचनाएं जैसे प्राधिकार समाप्ति की तिथि, भुगतान किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनों के अन्य विवरण *वाहन* डाटाबेस पर उपलब्ध थे। इसके बावजूद, विभाग द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया गया। स0प0अ0 ने भी इन परमिट धारको को नोटिस जारी करने व परमिट रद्द करने की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। परिणामस्वरूप, समेकित फीस एवं प्राधिकार फीस की धनराशि ₹ 3.28 करोड़ की वसूली नहीं की गयी **(परिशिष्ट–IX)**।

4.6 बिना परमिट संचालित वाहनों पर परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति का आरोपण न किया जाना

परमिट का नवीनीकरण कराए बिना सड़क पर संचालित 1,960 वाहनों से परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 1.82 करोड़ की वसूली न किया जाना।

मो0या0 अधिनियम[17], 1988, के अन्तर्गत एक परमिट अस्थाई परमिट के अतिरिक्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी एवं मोटर वाहन स्वामी वाहन का प्रयोग परिवहन वाहन के रूप में या वाहन के प्रयोग की अनुमति सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिट के नही करेगा। उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[18] में नये परमिट, के जारी करने, इसके नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क की दरें निर्धारित है। अग्रेतर, मो0या0 अधिनियम[19], के अन्तर्गत बिना परमिट के वाहन का संचालन, ₹ 5,000 की दर से प्रशमन योग्य है।

लेखा परीक्षा ने 11 स0प0अ0[20] के अभिलेखों[21] की नमूना जाँच की और देखा (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) कि 14,127 मे से 1,960 वाहन (अनुबन्ध गाड़ी, ऑटो/थ्री व्हीलर, मंजिली वाहन, स्कूल वाहन, टैंकर और माल वाहनों) परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी सड़क पर संचालित (अप्रैल 2017 एवं जनवरी 2020 के मध्य) थे। परमिट के वैधता अवधि समाप्त होने की जानकारी *वाहन* डाटाबेस पर उपलब्ध थी। इसके बावजूद, विभाग द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया गया। वाहन स्वामियों द्वारा भी वाहनों का प्रयोग न करने के लिए कर की वापसी हेतु आवेदन एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण नहीं किया गया। स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने भी इन परमिट धारकों को नोटिस जारी करने की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। परिणामस्वरूप, परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 1.82 करोड़ की वसूली नहीं की गयी **(परिशिष्ट–X)**।

---

[14] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के आदेश सं0 आर टी–16031/6/2010 –टी दिनांक 02 अप्रैल 2012।

[15] स0प0अ0– आगरा, अलीगढ़, बाँदा, बरेली, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।

[16] राष्ट्रीय परमिट *वाहन* का डाटाबेस, सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि।

[17] मो0या0 अधिनियम की धारा 81 एवं 66।

[18] उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली का नियम 125।

[19] मो0या0 अधिनियम की धारा 192ए।

[20] स0प0अ0– अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, प्रयागराज, एवं वाराणसी।

[21] *वाहन* डाटाबेस, परमिट रजिस्टर, रसीद पुस्तिकाएं, आदि।

4.7 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित न किया जाना

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 312 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 2.30 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना।

राज्य परिवहन उपक्रम (रा0प0उ0) का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत, निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। तथापि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा0प0उ0 के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा ने पाँच स0प0अ0 के अभिलेखों[22] की नमूना जाँच वर्ष 2019–20 के दौरान की। लेखापरीक्षा ने नगर निगम क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्दिष्ट मार्गों के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) बसों के सूची की दुबारा जाँच की, और यह पाया गया कि अगस्त 2017 एवं जनवरी 2020 की अवधि के मध्य में चार[23] राज्य परिवहन उपक्रम के अन्तर्गत 661 में से 312 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें इन शहरों के निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहीं थीं, जिसके लिए वे ₹ 2.30 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान के दायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0 ने इन बसों के मार्ग–सारणी की जाँच नहीं की और इनके निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र जैसा कि नगर निगम द्वारा परिभाषित किया गया है, के बाहर संचालित होने पर संज्ञान लेने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 2.30 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया, जैसा कि विस्तृत रूप में **सारणी–4.3** में वर्णित है।

सारणी–4.3

(₹ लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम		रा0प0उ0 के अन्तर्गत बसों की संख्या	मामलों की संख्या जिसमें अनियमितता देखी गयी	आरोपणीय अतिरिक्त कर की अवधि	कुल अतिरिक्त कर
1	स0प0अ0	आगरा	170	36	09/2018 से 11/2019	26.46
2	स0प0अ0	कानपुर नगर	187	49	10/2018 से 11/2019	32.93
3	स0स0प0अ0	मथुरा	59	16	08/2017 से 12/2019	18.79
4	स0प0अ0	मेरठ	126	99	02/2019 से 12/2019	59.29
5	स0प0अ0	प्रयागराज	119	112	10/2018 से 01/2020	92.66
योग			**661**	**312**		**230.13**

4.8 अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये 440 वाहनों के कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 1.44 करोड़ की वसूली करने में कराधान अधिकारी विफल रहे।

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[24], 1998, के अनुसार यदि परिवहन वाहन का स्वामी अपने मोटर वाहन को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग नहीं करता है तो कराधान अधिकारी को पंजीयन प्रमाणपत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की

[22] *वाहन* डाटाबेस, नगर निगम/नगर पालिका परिक्षेत्रों की मार्ग पत्रावलियों (अन्दर तरफ/बाहर तरफ) के अभिलेख, जमा अतिरिक्त कर के अभिलेख, नगर निगम के दर की सूची, आदि।

[23] आगरा मथुरा सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, कानपुर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, मेरठ सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड एवं प्रयागराज सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड।

[24] उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 22।

सूचना स्वीकार नहीं करेगा। तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी, तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि फिर भी ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनः उपनियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन, समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, किसी भी कैलेण्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा, बिना संज्ञान इस बात के कि चाहे कराधान अधिकारी से अभ्यर्पित दस्तावेज वापस लिए गये हो अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा ने 16 स0प0अ0/स0स0प0अ0[25] के अभिलेखों[26] की नमूना जाँच (अक्टूबर 2018 से फरवरी 2020 के मध्य) की और देखा कि 2,247 में से 440 वाहन (जनवरी 2017 से नवम्बर 2019) एक कैलेण्डर वर्ष मे चार माह से लेकर 12 माह की अवधि के लिए अभ्यर्पित किये गये थे। यद्यपि, सम्बन्धित स0प0अ0 द्वारा तीन माह से अधिक के विस्तारित अवधि की स्वीकृति नहीं दी गयी, कराधान अधिकारी उन पर कर/अतिरिक्त कर की वसूली की कार्यवाही किये जाने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, ₹ 1.44 करोड़ की धनराशि की वसूली नहीं की गयी **(परिशिष्ट–XI)**।

[25] स0प0अ0– आजमगढ़, बरेली, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी; स0स0प0अ0– अम्बेडकरनगर, बदायूँ, बिजनौर, इटावा, फिरोजाबाद, हरदोई, कानपुर देहात, रायबरेली एवं शाहजहाँपुर।

[26] समर्पित रजिस्टर, सम्बन्धित पत्रावली, कर जमा अभिलेख इत्यादि।

अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ

5.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन क्रिया–कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा0 एवं ख0वि0 और वि0) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता दो संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी आगे सहायता मुख्य खान अधिकारी द्वारा की जाती है। जिला स्तर, पर जिला खान अधिकारी (जि0खा0अ0) देय एवं भुगतान योग्य रॉयल्टी, भाटक एवं अनुज्ञापत्र शुल्क, आदि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के तहत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखा के प्रभारी है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2019–20 के दौरान, प्रमुख सचिव तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय एवं 75 में से 31 जिलों[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच में रॉयल्टी न/कम वसूल किया जाना एवं अन्य अनियमितताओं में सन्निहित ₹ 298.94 करोड़ धनराशि के 8,026 मामले प्रकाश में आये, जैसा कि **सारणी–5.1** में वर्णित है।

सारणी–5.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	रॉयल्टी न वसूल किया जाना	2,412	117.88
2	पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	89	4.54
3	शास्ति का अनारोपण	167	0.06
4	खनिज मूल्यों की वसूली न किया जाना	3,871	165.22
5	अन्य अनियमितताये[2]	1,487	11.24
योग		**8,026**	**298.94**

इस अध्याय में ₹ 173.13 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 4,046 मामलों को निर्देशित किया गया है। इन सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों को जुलाई 2019 और जून 2020 के मध्य विभाग को सूचित किया गया था तथापि उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2021)। इनमें से, कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया है जैसा कि **सारणी–5.2** में वर्णित है:

---

[1] औरैया, आजमगढ़, बाराबंकी, बिजनौर, बस्ती, बलिया, चन्दौली, फर्रूखाबाद, फैजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, झाँसी, जौनपुर, ललितपुर, लखनऊ, मथुरा, महोबा, मुरादाबाद, मेरठ, मऊ, महाराजगंज, मीरजापुर, प्रयागराज, रायबरेली, सोनभद्र, सम्भल, सन्त कबीर नगर, शाहजहांपुर एवं सुल्तानपुर (समस्त में 31) जनपद के जि0खा0का0।

[2] जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (जि0ख0फा0न्या0) योगदान की धनराशि की वसूली लाइसेंसी/पट्टेधारकों से नही किया जाना, पट्टों से रॉयल्टी के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज प्रभार्य नही किया जाना, ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा रॉयल्टी के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज प्रभार्य न किया जाना, इत्यादि।

सारणी–5.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
'खनिज के मूल्य' की वसूली न किया जाना	311	13.98	3,491	476.06	1,181	193.97	334	26.27	904	116.85	6,221	827.13
पर्यावरण मंजूरी (प.मं) के बिना खनिजों का उत्खनन	–	–	04	66.90	04	33.75	–	–	04	2.99	12	103.64
ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना पत्र शुल्क की वसूली न किया जाना	1,430	6.84	39	0.25	353	6.66	660	7.07	570	8.41	3,052	29.23

5.3 नियामक ढांचे में रिक्तता

वर्तमान नियामक ढांचे के अन्तर्गत, पट्टाधारक को वैध उत्खनन के लिये देय राशि के विपरीत अवैध खनन के लिये कम अर्थदण्ड देना पड़ता है, जो अवैध खनन को प्रोत्साहित करता है।

खा0 एवं ख0वि0 और वि0 अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) प्रावधानित करती है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी उपखनिज को, किसी भूमि से हटाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसे हटाये गये उपखनिज या जहाँ ऐसे उपखनिज का निस्तारण कर लिया गया है, उसकी कीमत और उस अवधि के लिये जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना विधिक प्राधिकार के भूमि कब्जे मे रखी गयी, किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, वसूल कर सकती है।

सरकार ने 15 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश में, स्पष्ट किया है कि 'खनिजों का मूल्य' सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना है। रॉयल्टी की दरें उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के अध्याय III में परिभाषित की गयी है।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 57, यह प्रावधानित करता है कि जो कोई भी नियम 3[3] के उपबन्धों का उल्लघंन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ₹ 25,000 तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। दिनांक 18 मई 2017 के आदेश द्वारा सरकार ने उक्त नियम के अर्थदण्ड के प्रावधानो में संशोधन किया कि कारावास जो पाँच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिये न्यूनतम ₹ दो लाख एवं अधिकतम ₹ पाँच लाख तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 23(1) यह प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्रों को नीलामी द्वारा पट्टे पर दिये जाने की घोषणा कर सकती है। अग्रेतर, नियम 23(3), यह प्रावधानित करता है कि ऐसी घोषणा पर, अध्याय III[4] के उपबन्ध उस क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे जिसके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है।

इस प्रकार, किसी भी अवैध खनन के लिये राज्य सरकार खनिज या उसके मूल्य और प्रासंगिक रॉयल्टी की वसूली कर सकती है। अवैध खनन के लिये अर्थदण्ड मई 2017

[3] खनन संक्रियायें इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञापत्र की शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

[4] रॉयल्टी एवं डेड रेन्ट से संबंधित भुगतान का प्रावधान।

में बढ़ा दिया गया था। जिन क्षेत्रों को नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिये अधिसूचित किया गया है, उनके लिये अध्याय III में रॉयल्टी दर लागू नहीं है।

लेखापरीक्षा ने नीलामी के द्वारा व्यवस्थित अधिसूचित क्षेत्रों के सन्दर्भ में शास्ति प्रावधानों का दो परिदृश्यों के अन्तर्गत विश्लेषण किया: (क) नीलाम किये गये क्षेत्रों में और (ख) नीलाम किये गये क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्रों में अवैध खनन। विश्लेषण के परिणाम नीचे दिये गये हैं:

(क) नीलाम किये गये खनन पट्टा क्षेत्रों के मामलों में 'खनिज मूल्य' परिभाषित न किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 23(3) यह प्रावधानित करता है कि नीलाम किये गये क्षेत्रों के लिये अध्याय III लागू नहीं होगा। अध्याय III निर्धारित करता है कि खनिजों की रॉयल्टी खनिज के खनिमुख मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके आधार पर खनिज मूल्य को साधारणतया रॉयल्टी का पाँच गुना माना जाता है। चूंकि नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये खनन क्षेत्रों के मामलों में अध्याय III लागू नहीं है, ऐसे मामलों में अवैध खनन के मामले में खनिज मूल्य निर्धारित करने के बारे में अस्पष्टता है। यह जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे या तो अध्याय III की दरों या नीलामी के माध्यम से खोजी गयी दरों को अपनाएं।

(ख) नीलाम किये गये क्षेत्रों के आस–पास के क्षेत्रों में अवैध खनन के लिये आरोपित रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' एवं अर्थदण्ड की अपर्याप्त मात्रा

लेखापरीक्षा ने तीन जि0खा0का0[5] के अभिलेखों[6] की नमूना जाँच (जून 2019 एवं जुलाई 2019 के मध्य) की और देखा कि पाँच मामलों में से चार में जहाँ नीलामी के माध्यम से पट्टे दिये गये थे, जिला अधिकारियों के जाँच दल ने चार पट्टेधारकों द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों के आस–पास के क्षेत्रों में 1,62,779 घ0मी0 उप खनिजों (बालू) के अवैध खनन की सूचना दी थी। विवरण **सारणी–5.3** में दिया गया है:

सारणी–5.3
अवैध उत्खनन का विवरण

क्र0 सं0	पट्टेधारक का नाम	पट्टा क्षेत्र	पट्टा / अनुज्ञा अवधि	प्रत्येक वर्ष खनन की जाने वाली मात्रा (घ0मी0 में)	रॉयल्टी की दर प्रति घ0मी0 (₹ में)	बालू की अवैध रूप से खनन की गयी मात्रा (घ0मी0 में)	अवैध खनन के लिये उठायी गयी मांग (₹ में)
1	मे0 नंदिनी इनफ्रास्ट्रक्चर	गाटा सं0 2769, क्षेत्रफल–24 हैक्टेयर, ग्राम– दुर्गागंज, तहसील–तरबगंज, गोण्डा	06.06.2018 से 05.06.2023	5,76,000	197	1,22,779	4.79 करोड़
2	श्रीमती प्रीति सिंह पत्नी देवेन्द्र प्रताप सिंह	गाटा सं0 912, क्षेत्रफल–3.088 हैक्टेयर, ग्राम–माझाकला, तहसील–सोहावल, फैजाबाद	04.01.2018 से 03.01.2023	61,760	767	35,000	1.37 करोड़
3	मे0 सतयुग फूड्स प्रा0 लि0	गाटा सं0 2/1, क्षेत्रफल–2.47 एकड़, ग्राम–समौली, तहसील–माँट, मथुरा	21.06.2017 से 20.12.2017	8,000	1,050	2,000	7.10 लाख
4	मे0 सतयुग फूड्स प्रा0 लि0	गाटा सं0 2/1, क्षेत्रफल–2.47 एकड़, ग्राम–समौली, तहसील–माँट, मथुरा	21.06.2017 से 20.12.2017	8,000	1,050	3,000	9.90 लाख
							योग–₹ 6.33 करोड़

[5] जि0खा0अ0 गोण्डा, फैजाबाद एवं मथुरा।
[6] पट्टा पत्रावलियाँ।

जिला अधिकारियों ने अवैध खनन की मात्रा की गणना की और अवैध खनन के लिये कुल ₹ 1.05 करोड़ रॉयल्टी, ₹ 5.27 करोड़ 'खनिज मूल्य' एवं मात्र ₹ 50,000[7] शास्ति का मांग पत्र जारी किया (अगस्त 2017 एवं मार्च 2019 के मध्य)।

लेखापरीक्षा ने जिलाधिकारी द्वारा वास्तविक आरोपित अर्थदण्ड की मात्रा एवं नीलामी द्वारा खोजी गयी दरों के आधार पर तुलना की। विवरण नीचे **सारणी–5.4** में दिया गया है।

सारणी–5.4
आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि का विश्लेषण

(₹ लाख में सिवाय स्तम्भ 4 एवं 9 के)

प्रकरण संख्या	पट्टेधारक का नाम	अवैध रूप से खनन की गयी मात्रा (घ0मी0 में)	जिलाधिकारी द्वारा वास्तव में आरोपित					नीलामी द्वारा बोली गयी दर के आधार पर (लेखापरीक्षा द्वारा आगणित)				
			रॉयल्टी की दर (प्रति घ0मी0)	रॉयल्टी	खनिज मूल्य	अर्थदण्ड	योग	रॉयल्टी की बोली गयी दर (प्रति घ0मी0)	रॉयल्टी	खनिज मूल्य	अर्थदण्ड	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	मे0 नंदिनी इनफ्रास्ट्रक्चर	1,22,779	65	79.81	399.03	0.00	**478.84**	197	241.87	1,209.37	5.00	**1,456.24**
II	श्रीमती प्रीति सिंह पत्नी देवेन्द्र प्रताप सिंह	35,000	65	22.75	113.75	0.00	**136.50**	767	268.45	1,342.25	5.00	**1,615.70**
III	मे0 सतयुग फूड्स प्रा0 लि0	2,000	55	1.10	5.50	0.50	**7.10**	1,050	21.00	105.00	5.00	**131.00**
IV	मे0 सतयुग फूड्स प्रा0 लि0	3,000	55	1.65	8.25	0.00	**9.90**	1,050	31.50	157.50	5.00	**194.00**

उपरोक्त सारणी के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलाः

(i) अवैध खनन के लिये दण्डात्मक मांग उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के अध्याय III में दी गयी रॉयल्टी की दरों पर आधारित थी जो नीलामी के माध्यम से बोली गयी दरों से काफी कम थी। इस प्रकार, जब अध्याय III में दी गयी रॉयल्टी की दरें ₹ 55 से ₹ 65 तक थीं, नीलामी के माध्यम से बोली गयी दरें ₹ 197 से ₹ 1,050 के बीच थीं। अध्याय III की दरों के आधार पर, इन पट्टेदारों से केवल ₹ 7.10 लाख से ₹ 4.79 करोड़ के बीच की राशि की मांग की गयी। तथापि, यदि नीलामी की दरों पर विचार किया जाता तो इन चार पट्टेदारों को ₹ 1.31 करोड़ से ₹ 16.15 करोड़ की दण्डात्मक राशि का भुगतान करना पड़ता। इसलिये यद्यपि पड़ोसी क्षेत्रों में विभिन्न पट्टेदारों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, विनियमों ने बहुत कम दरों पर रॉयल्टी एवं 'खनिज मूल्य' आरोपित करने की अनुमति दी, जिससे पड़ोसी क्षेत्रों में अवैध खनन को बढ़ावा मिला।

(ii) यद्यपि अर्थदण्ड आरोपित करना आवश्यक था और प्रत्येक मामले में अधिकतम ₹ पांच लाख प्रति हेक्टेयर था, यह देखा गया कि केवल एक मामले में जिला अधिकारियों ने मात्र ₹ 50,000 का अर्थदण्ड आरोपित किया जबकि तीन मामलों में कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

संस्तुतियाँः

1. **सरकार को नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों में खा0 एवं ख0वि0 और वि0 अधिनियम की धारा 21(5) के संदर्भ में 'खनिज मूल्य' और 'रॉयल्टी' को स्पष्ट रूप से परिभाषित/पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है।**
2. **सरकार रॉयल्टी की दरों की समीक्षा कर सकती है जो नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों के पड़ोसी क्षेत्रों जहाँ खनिज मूल्य की बोली पहले ही हो चुकी है, में अवैध खनन के मामलों में लागू होगी।**

[7] उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 59(2)।

5.4 खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (जि0ख0फा0न्या0) में देय अंशदानों को 12 पट्टा विलेखों के प्रतिफल में सम्मिलित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया जाना।

स्टाम्प शुल्क एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान नियमों के अनुसार खनन पट्टों पर लागू है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0स्टा0अ0) की अनुसूची I–ख का अनुच्छेद 35(ख)(एक) प्रावधानित करता है कि जहाँ लीज 30 वर्ष से अधिक नहीं हो, किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहाँ कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है, वहां स्टाम्प शुल्क उसके बराबर प्रभार्य होना चाहिये जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो लीज में उपवर्णित है, के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र पर देय है। अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 के अनुसार इन पट्टा विलेखों पर 2 प्रतिशत प्रतिफल का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 का स्पष्टीकरण (I) कहता है कि जब लीजग्रहीता ऐसे आवर्तक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भूस्वामी के भाग का सेस, या मकान मालिक के भाग के म्यूनिसिपल रेट्स या टैक्स, जो विधि अनुसार लीजदाता से वसूल होते है, अदा करना स्वीकार करे तो वे राशियाँ जिनको अदा करने की सहमति लीजग्रहीता द्वारा की गयी हो, किराये का भाग समझी जायेगी।

उत्तर प्रदेश जि0ख0फा0न्या0 नियमावली, 2017 के नियम 10(2) के अन्तर्गत पट्टेधारकों को रॉयल्टी का 10 प्रतिशत जि0ख0फा0न्या0 में भी भुगतान करना अनिवार्य है।

अग्रेतर, उक्त अधिनियम की धारा 33(1) प्रावधानित करती है कि सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी (पुलिस अधिकारी के सिवाय), प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाय, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हैं और उसे प्रतीत होता है कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पयुक्त नहीं हैं, उसे जब्त करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2019 और जुलाई 2019 के मध्य) कि तीन[8] जि0खा0का0 में नवम्बर 2014 एवं जून 2019 के बीच पाँच वर्ष के लिये निष्पादित किये गये 12 खनन पट्टा विलेखों में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के लिये केवल रॉयल्टी की धनराशि को प्रतिफल में सम्मिलित किया गया था एवं जि0ख0फा0न्या0 मे जमा होने वाले अंशदान की धनराशि को प्रतिफल में शामिल नही किया गया था। प्रतिफल ₹ 448.82 करोड़ पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ₹ 9.63 करोड़ के सापेक्ष इन पट्टा विलेखों में प्रतिफल ₹ 408.02 करोड़ पर स्टाम्प शुल्क ₹ 8.31 करोड़ प्रभारित किया गया था। इस प्रकार स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किये जाने के कारण शासन ₹ 1.32 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा जैसा कि **परिशिष्ट–XII** में दर्शाया गया है।

5.5 रॉयल्टी एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान का न जमा किया जाना

59 पट्टेधारकों द्वारा रॉयल्टी ₹ 47.20 करोड़ एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान ₹ 8.22 करोड़ जमा नहीं किया गया था।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 28(2)(1) एवं (4) प्रावधानित करते हैं कि निविदा/नीलामी की किश्तों की धनराशि चतुर्थ अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक निर्धारित

[8] जि0खा0का0–आजमगढ़, सन्त कबीर नगर एवं प्रयागराज।

की जायेगी। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 58(1) प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, नियमावली, 2017 के नियम 10(2) के अनुसार उप खनिज के मामले में प्रत्येक खनिज परिहार/अनुज्ञा पत्र धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त जिला जिसमे खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास को ऐसी धनराशि का भुगतान करना होगा जो रॉयल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर हो या ऐसी हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

इस प्रकार, खनन पट्टों की रॉयल्टी एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान का भुगतान शासन को त्रैमासिक आधार पर किया जाना आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं किया, जाता तब पट्टा निरस्त किया जा सकता है एवं रॉयल्टी की वसूली नियमों के अनुसार भू राजस्व के बकाया की तरह की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने आठ जि0खा0का0[9] में 119 पट्टा विलेखों के अभिलेखों[10] की नमूना जाँच की और देखा (जनवरी 2018 एवं अप्रैल 2019) कि 59 पट्टा धारकों ने पट्टा विलेखों की भुगतान सूची के अनुसार जनवरी 2018 से अप्रैल 2019 के बीच देय रॉयल्टी ₹ 98.17 करोड़ के सापेक्ष ₹ 50.97 करोड़ जमा किया। इसके अतिरिक्त, इन पट्टा धारकों द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (जि0ख0फा0न्या0) में ₹ 9.81 करोड़ (रॉयल्टी ₹ 98.17 करोड़ का 10 प्रतिशत की दर से) जमा किया जाना आवश्यक था किन्तु उन्होने केवल ₹ 1.59 करोड़ जमा किया। इस प्रकार, पट्टेधारकों द्वारा रॉयल्टी ₹ 47.20 करोड़ एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान ₹ 8.22 करोड़ जमा नहीं किया गया था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 द्वारा भी इन देयों की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 55.42 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XIII** में दर्शाया गया है।

5.6 कार्यदायी संस्थाओं से सम्बन्धित अनियमिततायें

5.6.1 परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों से रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' एवं अर्थदण्ड नहीं वसूला गया

खनन विभाग एवं अन्य विभागों की कार्यदायी संस्थाओं के बीच समुचित समन्वय के अभाव में, बिना वैध प्राधिकार के सिविल कार्य करने हेतु खनिजों को उठाने वाले ठेकेदारों से 1,588 मामलों में रॉयल्टी ₹ 3.97 करोड़, 'खनिज मूल्य' ₹ 90.41 करोड़ एवं देय अर्थदण्ड ₹ 3.97 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 प्रावधानित करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध परिवहन पास (एम0एम0–11[11]/प्रपत्र सी[12]) के किसी खनिज का परिवहन नहीं

---

[9] जि0खा0का0–औरैया, बलिया, गोण्डा, झाँसी, महोबा, प्रयागराज, सन्त कबीर नगर एवं सोनभद्र।

[10] पट्टा विलेखों की पत्रावलियाँ।

[11] खनन पट्टा अथवा क्रशर प्लान्ट धारक द्वारा उप खनिज के परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास (रवन्ना)। इसमें पट्टे धारक का नाम और पता, उपखनिज की प्रकृति एवं मात्रा तथा इसे परिवहन किये जाने वाले वाहन का पंजीयन संख्या अंकित होता है।

[12] खनिजों की भंडारण के लाइसेंस धारक स्टोर से खनिजों के वैध परिवहन के लिये 'प्रपत्र सी' में परिवहन प्रपत्र जारी करेगा।

करेगा। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम[13], 1957 प्रावधानित करता है कि वैध प्राधिकार के बिना उपखनिजों के उठान पर रॉयल्टी के साथ खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। सरकार द्वारा, अपने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में, यह दोहराया था, कि यदि ठेकेदार रॉयल्टी रसीद को प्रपत्र एम0एम0–11 में प्रस्तुत नहीं करता है तो रॉयल्टी के अलावा, 'खनिज मूल्य' (सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी और राजकोष में जमा किया जायेगा (राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2016 से रॉयल्टी की दर में संशोधन किया गया था)।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दिनांक मार्च/अक्टूबर 2006 में दोहराया गया कि लोक निर्माण कार्य निष्पादित करने वाले सम्बन्धित विभागों को, देय रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान सुनिश्चित करना चाहिये और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

इस प्रकार, खनिजों (जैसे बालू, धातु, पत्थर, इत्यादि) का उपयोग करने वाले किसी ठेकेदार द्वारा उत्खनित किये गये खनिज की रॉयल्टी के भुगतान के प्रमाण स्वरूप परिवहन पास (एमएम–11 प्रपत्र/प्रपत्र सी) प्रस्तुत करना आवश्यक है। सुसंगत प्रपत्र प्रस्तुत न करने की दशा में, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी एवं खनिज मूल्य की कटौती करने और सरकारी खाते में जमा करने के लिये जिम्मेदार बनाया गया है।

- लेखापरीक्षा ने सात जि0खा0का0[14] में 1,251 मामलों के अभिलेखों[15] की नमूना जाँच की और देखा (जून 2019 एवं जुलाई 2019 के मध्य) कि 1,048 मामलों में ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों के लिये आवश्यक एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रैल 2015 एवं जून 2019 के मध्य कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी ₹ 10.11 करोड़ की कटौती की और वैसे ही कोषागार में जमा कर दिया या सम्बन्धित जि0खा0अ0 को चेक दिया। सम्बन्धित जि0खा0अ0, ने कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा रॉयल्टी की कटौती की जानकारी होने के बावजूद भी, निर्माण ठेकेदारों से खनिज मूल्य वसूली सुनिश्चित करने के लिये उनके समक्ष मुद्दा नही उठाया और 15 अक्टूबर, 2015 के शासनादेश के अनुसार, जिसमें ठेकेदारों के बिल से 'खनिज मूल्य' (रॉयल्टी का पाँच गुना) की कटौती किये जाने का प्रावधान किया गया है, 'खनिज मूल्य' ₹ 50.57 करोड़ एवं अर्थदण्ड ₹ 2.62 करोड़ की वसूली के लिये कोई भी कार्यवाही करने में विफल रहे जैसा कि **परिशिष्ट–XIV** में दिखाया गया है।

- लेखापरीक्षा ने पाँच जि0खा0का0[16] में 1,494 मामलों की नमूना जाँच की और देखा कि कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों के माध्यम से सिविल कार्यों का निष्पादन (अप्रैल 2015 एवं जून 2019 के मध्य) किया। 540 मामलों में ठेकेदारों ने बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों के लिये आवश्यक एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये। कार्यदायी संस्थाओं ने 357 मामलों में रॉयल्टी की कटौती नहीं की एवं 183 मामलों में संशोधित दर से कुल रॉयल्टी ₹ 7.66 करोड़ की कटौती के बजाय पुराने दर से रॉयल्टी ₹ 6.60 करोड़ की कटौती की। अग्रेतर, कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों से 'खनिज मूल्य' ₹ 39.84 करोड़ एवं अर्थदण्ड ₹ 1.35 करोड़ की वसूली नहीं की क्योंकि ठेकेदारों ने परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने 'खनिज मूल्य', अर्थदण्ड एवं संशोधित दरों से रॉयल्टी की वसूली के लिये कोई

[13] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5)।

[14] जि0खा0का0–बस्ती, बिजनौर, हापुड़, झाँसी, लखनऊ, मेरठ एवं प्रयागराज।

[15] कोषागार प्रपत्र, चालान और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये रॉयल्टी का विवरण।

[16] जि0खा0का0–लखनऊ, मथुरा, मेरठ, प्रयागराज एवं रायबरेली।

प्रयास नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 45.16 करोड़ (रॉयल्टी ₹ 3.97 करोड़, 'खनिज मूल्य' ₹ 39.84 करोड़ एवं अर्थदण्ड ₹ 1.35 करोड़) के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में दर्शाया गया है।

संस्तुतिः

विभाग सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय सुदृढ़ करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदारों ने खनिजों को वैध पट्टाधारकों से लिया है और वैध पास धारण करते है।

5.6.2 कार्यदायी संस्थाओं के समक्ष जाली/अनियमित एमएम–11 प्रपत्र प्रस्तुत करने के कारण रॉयल्टी एवं 'खनिज मूल्य' की वसूली न होना

रॉयल्टी के भुगतान के प्रमाण के रूप में एमएम–11 प्रपत्र प्रस्तुत करने में शामिल कपटपूर्ण गतिविधियों को इंगित करने में विभाग विफल रहा एवं रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' एवं अर्थदण्ड ₹ 4.87 करोड़ की धनराशि ठेकेदारों से वसूल नहीं किया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के अनुसार एमएम–11 प्रपत्र तीन प्रतियों में मुद्रित किया जाना आवश्यक है–(i) कार्यालय प्रति (पट्टा धारक की), (ii) प्रथम प्रति–चेक पोस्ट पर धारण करने के लिये और (iii) द्वितीय प्रति परिवाहक/उपभोक्ता के लिये। एमएम–11 प्रपत्र की केवल उपभोक्ता प्रति (द्वितीय प्रति) ही परिवहन के लिये वैध है और भुगतान की गयी रॉयल्टी के प्रमाण के रूप में माना जाता है। पट्टा धारक द्वारा परिवहन पास जारी करते समय परिवहन पास की तीनों प्रतियों में समस्त सूचनायें भरा जाना अनिवार्य है। अपने आदेश[17] द्वारा सरकार ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी एवं खनिज मूल्य की वसूली के लिये कार्यदायी संस्था उत्तरदायी है यदि ठेकेदार रॉयल्टी की रसीद के रूप में वैध परिवहन पास प्रस्तुत नहीं करता है। ठेकेदारों द्वारा उपभोग किये गये खनिज के विरूद्ध प्रस्तुत एमएम–11 प्रपत्रों की जाँच सम्बन्धित जि0खा0अ0 कर सकता है। मुद्रित एमएम–11 प्रपत्रों के स्थान पर दिनांक 1 अगस्त 2017 से इलेक्ट्रानिक एमएम–11 (ईएमएम–11) प्रपत्र लागू किया गया था। ईएमएम–11 प्रपत्र में 17 अंकों की क्रम संख्या होती है।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 का नियम 5(2) प्रावधानित करता है कि खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञापत्र धारक, भण्डार से विधिपूर्वक परिवहन के लिये प्रपत्र–सी में अभिवहन पास जारी करेगा।

अग्रेतर, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VI के नियम 77 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी (आ0 एवं वि0 अ0) नकद एवं भण्डार, प्राप्ति एवं व्यय के मूल अभिलेखों के समस्त मामलों में शुद्धता के लिये जिम्मेदार हैं।

इस प्रकार, ठेकेदारों के बिल पारित करते समय आ0 एवं वि0 अ0 से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की वास्तविकता का सत्यापन करें।

लेखापरीक्षा ने दो जि0खा0का0[18] में 5,583 मामलों की नमूना जाँच की और देखा (जून 2019 एवं जुलाई 2019 के मध्य) कि 16 कार्यदायी संस्थाओं ने अप्रैल 2015 और जून 2019 के मध्य ठेकेदारों के माध्यम से सिविल कार्यों का निष्पादन किया। 1,402 मामलों में, कार्यदायी संस्थाओं[19] द्वारा कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त खनिजों की आपूर्ति के

---

[17] 15 अक्टूबर 2015, 15 जुलाई 2019 एवं उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 70(3)।

[18] जि0खा0का0–लखनऊ एवं प्रयागराज।

[19] जल निगम प्रयागराज, नगर निगम प्रयागराज, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड प्रयागराज, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद प्रयागराज, सिंचाई विभाग लखनऊ, सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ।

समर्थन में एमएम–11 प्रपत्र स्वीकार किये गये जिनकी वास्तविकता संदिग्ध थी। प्रस्तुत किये गये एमएम–11 में इन अनियमितताओं के विवरण नीचे दिये गये हैं:

क. भुगतान की गयी रॉयल्टी के साक्ष्य के रूप में जाली/प्रतिलिपि/कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति प्रस्तुत करना

लेखापरीक्षा ने कार्यदायी संस्थाओं/विभागों के अभिलेखों[20] की नमूना जाँच की और निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट से प्रति सत्यापन किया तथा देखा कि:

- 12 मामलों में, प्रपत्र क्रमांक अमान्य थे या ऐसे प्रपत्र थे जिनको जारी करने की तिथि निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म की वेबसाइट में उल्लिखित जारी की गयी तिथि से मेल नहीं खाती थी।
- 131 मामलों में, यह देखा गया कि एक प्रपत्र का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया गया था।
- 61 मामलों में, एमएम–11 प्रपत्र की कार्यालय प्रति या चेक पोस्ट प्रति प्रयोग में लायी गयी थी।

इस प्रकार, कार्यदायी संस्थाओं ने प्रस्तुत किये गये एमएम–11 प्रपत्रों की वास्तविकता का सत्यापन सम्बन्धित जि0खा0का0 से नहीं किया। चूंकि एमएम–11 प्रपत्र प्रामाणिक नहीं थे, निर्माण में प्रयुक्त खनिजों को अवैध खनन से प्राप्त किया माना जाना चाहिये था। एमएम–11 प्रपत्रों की जाली/प्रतिलिपि/कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति प्रस्तुत करने के कारण ठेकेदारों पर रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' तथा अर्थदण्ड आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को ₹ 68.49 लाख (रॉयल्टी–₹ 2.96 लाख, 'खनिज मूल्य'–₹ 14.78 लाख तथा अर्थदण्ड–₹ 50.75 लाख) के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दिखाया गया है।

जाली/प्रतिलिपि एमएम–11 प्रपत्रों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

प्रकरण I: कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई, प्रयागराज में एक ठेकेदार द्वारा खनिजों की रॉयल्टी जमा करने के प्रमाण स्वरूप एक ही संख्या **31451709010100228** के चार प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। इन एमएम–11 प्रपत्रों का विवरण **सारणी–5.6** में दिया गया है।

सारणी–5.6

क्रम संख्या	एमएम–11 प्रपत्र संख्या	एमएम–11 प्रपत्र के निर्गम की तिथि एवं समय		एमएम–11 प्रपत्र के अनुसार खनिज का परिवहन करने वाले वाहन की पंजीयन संख्या	वाउचर का विवरण जिसके साथ एमएम–11 प्रपत्र संलग्न था	
		दिनांक	समय		वाउचर संख्या	दिनांक
1	31451709010100228	22.10.2017	07:16:12 पीएम	यू0पी070डीटी9747	123/30	25.02.2018
2	–उपरोक्त–	23.10.2017	09:50:12 पीएम	यू0पी070सीटी5001		
3	–उपरोक्त–	27.10.2017	09:50:12 पीएम	–उपरोक्त–		
4	–उपरोक्त–	28.10.2017	09:50:12 पीएम	–उपरोक्त–		

लेखापरीक्षा ने निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट से एमएम–11 प्रपत्र संख्या **31451709010100228** के विवरणों का प्रति सत्यापन किया एवं देखा कि यह प्रपत्र दिनांक 21.10.2017 को 09:50:12 पीएम पर निर्गम हुआ था एवं जिस वाहन से खनिज को परिवहित किया गया था उसकी पंजीकरण संख्या यू0पी070ईटी5253 थी। इस प्रकार, सभी चार प्रपत्रों में अंकित सूचना असत्य थी।

प्रकरण II: कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रबन्धक, निर्माण खण्ड–3, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रयागराज में समान/विभिन्न ठेकेदार द्वारा खनिजों की रॉयल्टी जमा करने के

[20] एमएम–11 प्रपत्र, वाउचर, चलित देयक तथा ठेकेदार का अन्तिम देयक।

प्रमाण स्वरूप एमएम–11 प्रपत्रों की प्रतिलिपि प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी थीं। विवरण **सारणी–5.7** में दिया गया है।

सारणी–5.7

क्रम संख्या	एमएम–11 प्रपत्र संख्या	वाउचर का विवरण जिसके साथ एमएम–11 प्रपत्र संलग्न था		प्रपत्र प्रस्तुत किया गया
		वाउचर संख्या	दिनांक	
1	31791704001603465	132	27.03.2018	विभिन्न बिलों मे समान ठेकेदार
2	–उपरोक्त–	149	–उपरोक्त–	
3	–उपरोक्त–	138	–उपरोक्त–	दूसरा ठेकेदार
4	31791704006600057	132	27.03.2018	विभिन्न ठेकेदार
5	–उपरोक्त–	133	–उपरोक्त–	
6	–उपरोक्त–	138	–उपरोक्त–	
7	31791704010100329	132	27.03.2018	विभिन्न बिलों मे समान ठेकेदार
8	–उपरोक्त–	149	–उपरोक्त–	
9	–उपरोक्त–	138	–उपरोक्त–	दूसरा ठेकेदार
10	31791704001601071	132	27.03.2018	विभिन्न ठेकेदार
11	–उपरोक्त–	133	–उपरोक्त–	
12	–उपरोक्त–	138	–उपरोक्त–	

लेखापरीक्षा ने प्रति सत्यापन के दौरान देखा कि ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये एमएम–11 प्रपत्रों में उल्लिखित समस्त विवरण जैसे पट्टा/अनुज्ञापत्र धारक का नाम, पट्टे का विवरण, खनिज का प्रकार एवं मात्रा, गंतव्य/आपूर्ति पता, प्रपत्र जारी करने की तिथि एवं समय, इत्यादि का वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण से मिलान किया। **सारणी–5.7** से स्पष्ट है कि समान एमएम–11 प्रपत्र तीन बार प्रयुक्त किये गये थे जो यह दर्शाता है कि ठेकेदारों ने एक ही एमएम–11 प्रपत्र की प्रतिलिपि प्रतियाँ प्रस्तुत की थीं।

ख. एमएम–11 प्रपत्र की तिथियाँ कार्य पूर्ण होने के बाद की थीं

लेखापरीक्षा ने दो कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये 146 एमएम–11 प्रपत्र कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद जारी किये गये थे। इस प्रकार, ये एमएम–11 प्रपत्र प्रथम दृष्टया वास्तविक प्रपत्र नहीं थे। चूंकि एमएम–11 प्रपत्र कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जारी किये गये थे, ठेकेदारों पर रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' एवं अर्थदण्ड आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को ₹ 45.86 लाख (रॉयल्टी– ₹ 1.56 लाख, 'खनिज मूल्य'–₹ 7.80 लाख एवं अर्थदण्ड–₹ 36.50 लाख) के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दिखाया गया है।

ग. एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्य स्थानों के लिये थे

लेखापरीक्षा ने तीन कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये 926 एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्य स्थानों के लिए जारी किये गये थे। चूंकि एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्य स्थानों के लिए जारी किये गये थे, ठेकेदारों पर रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' तथा अर्थदण्ड आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को ₹ 3.31 करोड़ (रॉयल्टी–₹ 16.62 लाख, 'खनिज मूल्य'–₹ 83.09 लाख तथा अर्थदण्ड–₹ 2.31 करोड़) के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दिखाया गया है।

घ. एक से अधिक एमएम–11 प्रपत्र एक ही वाहन पर एक ही समय जारी किये गये थे

एक ही वाहन के लिये एक ही समय में दो या दो से अधिक एमएम–11 प्रपत्र जारी नहीं किया जाना चाहिये। यदि एक ही तिथि और एक ही समय में एक वाहन के लिये एक से अधिक परिवहन पास जारी किये जाते हैं तो यह प्रथम दृष्टया सम्भावित कपटपूर्ण गतिविधि को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा ने दो कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये 156 एमएम–11 प्रपत्रों में देखा कि एक ही समय में एक वाहन के लिये एक से अधिक परिवहन पास जारी किये गये थे। चूंकि एमएम–11 प्रपत्र एक ही समय में एक वाहन के लिये जारी किये गये थे, केवल एक एमएम–11 प्रपत्र प्रामाणिक माना जा सकता है। इस प्रकार, इन 156 एमएम–11 प्रपत्रों में से 110 एमएम–11 प्रपत्र वैध नहीं थे और केवल 46 एमएम–11 प्रपत्र प्रामाणिक रूप में लिये जा सकते थे। ठेकेदारों को भुगतान करते समय कार्यदायी संस्थाएं इसका पता लगाने मे विफल रहीं। इस प्रकार, रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' तथा अर्थदण्ड ₹ 36.00 लाख (रॉयल्टी–₹ 1.42 लाख, 'खनिज मूल्य'–₹ 7.08 लाख एवं अर्थदण्ड–₹ 27.50 लाख) ठेकेदारों पर आरोपणीय था। सरकार को राजस्व की वसूली न किये जाने का विवरण **परिशिष्ट–XVI** में दिया गया है।

एक वाहन के लिये एक ही समय में एक से अधिक एमएम–11 प्रपत्र जारी करने का उदाहरण नीचे दिया गया है:

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ प्रखण्ड में रॉयल्टी के भुगतान के प्रमाण स्वरूप एक ठेकेदार द्वारा एक ही समय में एक वाहन के लिये जारी चार एमएम–11 प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे। इन प्रपत्रों का विवरण **सारणी–5.8** में दिया गया है:

सारणी–5.8

क्रम संख्या	एमएम–11 प्रपत्र संख्या	एमएम–11 प्रपत्र के निर्गम की तिथि एवं समय		एमएम–11 प्रपत्र के अनुसार खनिज का परिवहन करने वाले वाहन की पंजीयन संख्या	वाउचर का विवरण जिसके साथ एमएम–11 प्रपत्र संलग्न था	
		दिनांक	समय		वाउचर संख्या	दिनांक
1	769446	01.11.2014	12:45 पीएम	यू0पी032ईएन4242	10	08.02.2016
2	769447					
3	823336					
4	823337					

ङ. निरस्त किये गये एमएम–11 प्रपत्रों का प्रस्तुत किया जाना

ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवहन पास पर अनुबन्ध संख्या/कार्य का नाम अंकित किया जाता है। ठेकेदारों द्वारा इन परिवहन पासों का पुनः उपयोग/पुनः प्रस्तुत करने से बचने के लिये बिलों का भुगतान करने के उपरान्त इन परिवहन पासों को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने एक कार्यदायी संस्था के अभिलेखों में देखा कि ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी के भुगतान के प्रमाण स्वरूप निरस्त किये गये 16 एमएम–11 प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को ₹ 5.49 लाख (रॉयल्टी–₹ 24,960, 'खनिज मूल्य'–₹ 1.24 लाख तथा अर्थदण्ड–₹ 4.00 लाख) के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दिखाया गया है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा जाँच में खनिजों के परिवहन के साक्ष्य के रूप में (अप्रैल 2015 और जून 2019 के मध्य) अनियमित और/या सम्भवतः जाली एमएम–11 प्रपत्र प्रस्तुत करने के 1,402 मामले प्रकाश में आये जिनका सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पता नहीं लगाया गया था, जो उनके स्तर पर उचित प्रयास की कमी/कर्तव्यों की लापरवाही को इंगित करता है। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 4.87 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

संस्तुतियाँ:

1. **विभाग इन मामलों की विस्तार से जाँच करे और यदि कोई गम्भीर चूक पायी जाती है तो वह जिम्मेदारी तय करे एवं उचित कार्रवाई करे।**
2. **एमएम–11 प्रपत्रों के व्यापक दुरूपयोग को रोकने के लिये वैध परिवहन पास के अन्तर्गत खनिजों का परिवहन सुनिश्चित करने के लिये सरकार एक प्रभावी तंत्र स्थापित करे।**

5.7 ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी, विनियमन शुल्क, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान की वसूली नहीं किया जाना

ईंट भट्ठा स्वामियों से 981 मामलों में रॉयल्टी ₹ 7.37 करोड़, विनियमन शुल्क ₹ 4.89 करोड़, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 21.34 लाख एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान ₹ 70.73 लाख की वसूली नहीं की गयी, यद्यपि वह सभी ए0मु0स0यो0 में विनिर्दिष्ट थे।

शासन द्वारा समय समय पर घोषित, ईंट भट्ठों के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ए0मु0स0यो0), अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क के साथ निर्धारित दरों पर रॉयल्टी की समेकित धनराशि के भुगतान के लिये प्रावधानित करती है। यह रॉयल्टी, शुल्क या शासन को देय अन्य धनराशि के विलम्बित भुगतान पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रभारण भी प्रावधानित करती है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 के ए0मु0स0यो0 में, ईंट बनने में प्रयुक्त होने वाली पलोथन[21] मिट्टी के लिए रॉयल्टी का 10 प्रतिशत[22] अतिरिक्त आरोपित किया जाना था। जि0ख0फा0न्या0 नियमावली 2017, प्रावधानित करता है कि प्रत्येक खनन का अनुज्ञा धारक, रॉयल्टी के अतिरिक्त, जिले के ट्रस्ट जिसमें खनन संक्रियाएं हो रही हैं, रॉयल्टी के 10 प्रतिशत समतुल्य राशि का भुगतान करेगा जो 2015–16 से आरोपणीय है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के प्रावधान के अनुसार (यथा संशोधित)[23] भट्ठा वर्ष 2018–19 के लिये रॉयल्टी के स्थान पर ईंट भट्ठों पर विनियमन शुल्क आरोपित किया गया है।

- लेखापरीक्षा ने सात जि0खा0का0[24] में 1,100 ईंट भट्ठा स्वामियों के अभिलेखों[25] की नमूना जाँच की और देखा (जून 2019 एवं जुलाई 2019 के मध्य) कि 580 ईंट भट्ठा स्वामियों ने भट्ठा वर्ष[26] 2014–15 से 2017–18 के लिए कोई रॉयल्टी, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न तो व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की न ही देय धनराशि ₹ 8.21 करोड़ (रॉयल्टी ₹ 7.37 करोड़, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 13.32 लाख एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान ₹ 70.73 लाख) की वसूली करने का कोई प्रयास किया जैसा कि **परिशिष्ट–XVII** में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, देय राशि के भुगतान में विलम्ब के लिये ब्याज भी आरोपणीय है।

- लेखापरीक्षा ने सात जि0खा0का0[27] के 628 ईंट भट्ठा स्वामियों के अभिलेखों[28] की नमूना जाँच की और देखा (जून 2019 एवं जुलाई 2019 के मध्य) कि 401

---

[21] बलुई मिट्टी।
[22] वर्ष 2015–16 के लिये 20 प्रतिशत।
[23] 46वां संशोधन दिनांक 06.03.2019।
[24] जि0खा0का0–औरैया, बिजनौर, गाजीपुर, गोण्डा, मऊ, रायबरेली एवं सुल्तानपुर।
[25] भट्ठा पंजिका, चालान एवं चलन में ईंट भट्ठों की सूची।
[26] अक्टूबर से सितम्बर।
[27] जि0खा0का0–औरैया, बिजनौर, गोण्डा, मथुरा, मीरजापुर, मुरादाबाद एवं रायबरेली।
[28] भट्ठा पंजिका एवं चालान, संचालित ईंट भट्ठों की सूची।

ईंट भट्ठा स्वामियों ने भट्ठा वर्ष 2018–19 के लिये कोई विनियमन शुल्क एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न तो व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की न ही देय धनराशि ₹ 4.97 करोड़ (विनियमन शुल्क ₹ 4.89 करोड़ एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 8.02 लाख) की वसूली करने का कोई प्रयास किया जैसा कि **परिशिष्ट–XVIII** में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, देय राशि के भुगतान में विलम्ब के लिये ब्याज भी आरोपणीय है।

(राजकुमार)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक 20 अक्टूबर 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 22 OCT 2021

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट–I

दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क (अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 2.3)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0 शु0 के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0 शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
15 दिनों तक बिलम्ब													
1	जि0आ0का0 आगरा	2019–20	देशी मदिरा	307	150	16	6 से 15	2 से 12	2 से 15	6,50,000	86,57,200	16,11,678	1,09,18,878
		2019–20	देशी मदिरा	272	170	3	1 से 4	3 से 9	1 से 9	0	1,20,160	0	1,20,160
		2019–20	विदेशी मदिरा	224	125	44	2 से 15	5 से 15	2 से 15	23,05,000	1,80,15,000	15,74,750	2,18,94,750
		2019–20	विदेशी मदिरा	172	125	1	0	11	11	0	21,00,000	0	21,00,000
		2019–20	मॉडल शॉप	26	15	2	2	5	2 से 5	0	0	0	0
2	जि0आ0का0 अलीगढ़	2019–20	देशी मदिरा	224	55	4	5 से 12	0	5 से 12	2,00,000	0	5,15,168	7,15,168
		2019–20	विदेशी मदिरा	102	25	7	2 से 13	0	2 से 13	4,30,000	0	5,08,500	9,38,500
3	जि0आ0का0 आजमगढ़	2019–20	देशी मदिरा	300	135	51	1 से 15	1	1 से 15	17,10,000	51,53,400	74,19,110	1,42,82,510
		2017–18	देशी मदिरा	299	100	5	9 से 14	0	9 से 14	0	0	54,89,135	54,89,135
		2018–19	देशी मदिरा	300	128	13	0	1 से 15	1 से 15	0	17,68,165	0	17,68,165
4	जि0आ0का0 बदायूँ	2018–19	बीयर	44	25	16	5 से 9	0	5 से 9	0	4,37,000	0	4,37,000
		2019–20	बीयर	44	25	13	1 से 7	0	1 से 7	4,95,000	14,70,000	90,000	20,55,000
		2018–19	देशी मदिरा	253	51	34	1 से 15	2 से 15	1 से 15	0	53,11,959	0	53,11,959
		2019–20	देशी मदिरा	252	51	32	2 से 10	0	2 से 10	11,60,000	32,08,860	28,74,546	72,43,406
		2018–19	विदेशी मदिरा	59	25	8	4 से 9	8	4 से 9	0	9,15,000	0	9,15,000
		2019–20	विदेशी मदिरा	58	25	8	2 से 7	0	2 से 7	4,70,000	58,90,000	4,31,250	67,91,250
5	जि0आ0का0 बरेली	2019–20	देशी मदिरा	357	72	4	3 से 11	1 से 4	1 से 11	0	4,65,650	2,15,520	6,81,170
6	जि0आ0का0 बिजनौर	2019–20	बीयर	67	25	4	2 से 15	0	2 से 15	2,20,000	8,62,500	1,22,750	12,05,250
		2019–20	देशी मदिरा	186	40	7	7 से 9	0	7 से 9	4,90,000	12,54,600	21,21,747	38,66,347
		2019–20	विदेशी मदिरा	90	25	2	8 से 13	0	8 से 13	1,50,000	13,82,500	3,67,000	18,99,500
7	जि0आ0का0 चित्रकूट	2016–17	देशी मदिरा	57	30	1	2 से 12	12	2 से 12	0	0	10,77,342	10,77,342
		2017–18	देशी मदिरा	57	30	4	3 से 6	6	3 से 6	0	2,92,200	11,77,234	14,69,434
		2015–16	विदेशी मदिरा	28	28	1	12	0	12	0	2,00,000	0	2,00,000
		2016–17	विदेशी मदिरा	29	29	4	11	5	5 से 11	0	36,00,000	89,000	36,89,000

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0 शु0 के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0 शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
8	जि0आ0का0 फर्रूखाबाद	2018–19	बीयर	43	25	2	3 से 6	0	3 से 6	0	57,000	0	57,000
		2019–20	बीयर	43	25	4	2 से 6	0	2 से 6	1,30,000	11,70,500	60,250	13,60,750
		2018–19	देशी मदिरा	192	46	18	1 से 9	8	1 से 9	0	34,50,952	0	34,50,952
		2019–20	देशी मदिरा	192	45	3	2 से 7	0	2 से 7	1,65,000	19,80,900	3,93,167	25,39,067
		2018–19	विदेशी मदिरा	57	25	12	1 से 9	0	1 से 9	0	42,94,000	0	42,94,000
		2019–20	विदेशी मदिरा	57	25	4	2 से 8	0	2 से 8	1,15,000	26,99,000	1,42,750	29,56,750
9	जि0आ0का0 फिरोज़ाबाद	2017–18	देशी मदिरा	267	55	8	1 से 15	0	1 से 15	0	4,08,125	28,28,910	32,37,035
		2019–20	देशी मदिरा	278	70	11	2 से 13	0	2 से 13	5,25,000	53,87,100	8,00,695	67,12,795
		2018–19	देशी मदिरा	308	265	4	7 से 13	0	7 से 13	0	20,04,975	0	20,04,975
		2018–19	विदेशी मदिरा	156	145	5	2 से 11	0	2 से 11	0	48,78,000	98,500	49,76,500
10	जि0आ0का0 गौतम बुद्ध नगर	2019–20	बीयर	129	26	12	2 से 8	0	2 से 8	6,50,000	13,40,000	2,40,250	22,30,250
		2019–20	देशी मदिरा	216	43	18	5 से 15	5	5 से 15	10,00,000	1,04,67,790	20,17,222	1,34,85,012
		2019–20	विदेशी मदिरा	115	25	9	11 से 12	4	4 से 12	5,70,000	64,11,000	6,36,500	76,17,500
		2018–19	विदेशी मदिरा	115	24	23	1 से 7	0	1 से 7	0	1,10,77,500	0	1,10,77,500
		2019–20	मॉडल शॉप	23	23	5	5 से 8	0	5 से 8	4,50,000	2,09,93,020	11,67,500	2,26,10,520
		2018–19	मॉडल शॉप	23	23	21	5 से 7	0	5 से 7	0	98,07,000	0	98,07,000
11	जि0आ0का0 गाजियाबाद	2019–20	देशी मदिरा	191	39	27	7	0	7	16,50,000	0	35,76,955	52,26,955
12	जि0आ0का0 गाजीपुर	2019–20	देशी मदिरा	205	45	22	1 से 12	0	1 से 12	5,55,000	18,52,600	36,34,308	60,41,908
13	जि0आ0का0 गोरखपुर	2019–20	देशी मदिरा	280	56	4	1 से 12	5	1 से 12	1,50,000	6,15,000	3,79,380	11,44,380
		2019–20	विदेशी मदिरा	115	35	5	5 से 12	11	5 से 12	3,95,000	0	3,01,500	6,96,500
		2019–20	मॉडल शॉप	12	7	2	8	0	8	55,000	0	2,00,000	2,55,000
14	जि0आ0का0 हापुड़	2018–19	देशी मदिरा	131	40	20	0	2 से 14	2 से 14	0	50,40,735	0	50,40,735
		2018–19	विदेशी मदिरा	52	30	17	0	6 से 9	6 से 9	0	49,71,000	0	49,71,000
		2018–19	मॉडल शॉप	9	7	7	0	9	9	0	28,98,500	0	28,98,500
15	जि0आ0का0 हरदोई	2019–20	देशी मदिरा	374	80	2	1 से 3	12	1 से 12	0	7,20,900	0	7,20,900
		2018–19	देशी मदिरा	374	80	8	2 से 9	0	2 से 9	0	9,09,572	0	9,09,572
16	जि0आ0का0 जौनपुर	2019–20	देशी मदिरा	272	55	45	1 से 6	0	1 से 6	24,75,000	29,38,320	66,54,605	1,20,67,925
		2018–19	देशी मदिरा	0	54	41	4 से 9	4 से 9	4 से 9	0	50,60,630	18,22,175	68,82,805
		2019–20	विदेशी मदिरा	107	26	19	2 से 6	0	2 से 6	13,00,000	26,86,500	10,74,500	50,61,000

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	27	29	6 से 9	0	6 से 9	0	33,10,500	0	33,10,500
17	जि0आ0का0 झाँसी	2019–20	बीयर	57	25	5	4	3	3 से 4	3,25,000	10,22,500	1,17,000	14,64,500
		2017–18	देशी मदिरा	233	50	20	1 से 15	0	1 से 15	0	0	1,74,46,298	1,74,46,298
		2017–18	विदेशी मदिरा	72	25	14	2 से 13	0	2 से 13	0	0	18,10,500	18,10,500
18	जि0आ0का0 कानपुर नगर	2018–19	देशी मदिरा	341	70	22	2 से 9	2 से 15	2 से 15	0	41,38,949	0	41,38,949
		2019–20	देशी मदिरा	341	70	26	11 से 15	2 से 5	2 से 15	14,45,000	0	47,98,640	62,43,640
		2018–19	विदेशी मदिरा	221	50	20	7 से 9	2 से 12	2 से 12	0	55,44,500	0	55,44,500
		2019–20	विदेशी मदिरा	221	48	15	2 से 15	2 से 11	2 से 15	10,00,000	13,98,000	12,60,250	36,58,250
		2018–19	मॉडल शॉप	10	10	6	8 से 9	3 से 12	3 से 12	0	22,37,000	0	22,37,000
19	जि0आ0का0 लखनऊ	2019–20	विदेशी मदिरा	177	40	20	7 से 12	1 से 10	1 से 12	1,70,000	23,00,000	11,98,500	36,68,500
20	जि0आ0का0 मथुरा	2017–18	देशी मदिरा	178	45	16	6	2 से 14	2 से 14	0	16,78,375	63,23,617	80,01,992
		2019–20	देशी मदिरा	171	74	18	1 से 13	9	1 से 13	7,90,000	17,73,750	10,28,251	35,92,001
		2019–20	विदेशी मदिरा	200	64	5	7	2 से 9	2 से 9	2,80,000	15,47,000	1,35,000	19,62,000
21	जि0आ0का0 मेरठ	2019–20	बीयर	97	42	35	2 से 5	2	2 से 5	14,35,000	99,87,600	7,02,750	1,21,25,350
		2019–20	देशी मदिरा	167	74	70	4 से 7	2 से 5	2 से 7	24,65,000	2,92,22,246	55,58,138	3,72,45,384
		2019–20	विदेशी मदिरा	105	32	28	1 से 5	2 से 8	1 से 8	16,35,000	2,44,87,500	16,15,250	2,77,37,750
22	जि0आ0का0 मुरादाबाद	2017–18	देशी मदिरा	157	39	32	8	0	8	0	0	2,96,04,644	2,96,04,644
		2019–20	देशी मदिरा	156	39	30	5 से 14	0	5 से 14	11,40,000	37,24,792	0	48,64,792
		2019–20	विदेशी मदिरा	60	25	21	7	0	7	14,40,000	0	17,02,500	31,42,500
23	जि0आ0का0 मुजफ्फरनगर	2019–20	बीयर	67	40	27	1 से 4	2 से 7	1 से 7	6,65,000	5,52,000	3,32,750	15,49,750
		2019–20	बीयर	0	40	6	7	7 से 14	7 से 14	4,96,500	1,000	0	4,97,500
		2019–20	देशी मदिरा	161	80	2	7 से 10	8	7 से 10	59,250	0	0	59,250
		2019–20	विदेशी मदिरा	67	40	21	2 से 4	2 से 6	2 से 6	10,00,000	25,45,000	12,36,750	47,81,750
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	40	4	5 से 7	7 से 14	5 से 14	7,70,500	2,62,500	0	10,33,000
		2019–20	मॉडल शॉप	7	7	4	5 से 12	7 से 11	5 से 12	23,36,000	0	0	23,36,000
24	जि0आ0का0 प्रयागराज	2019–20	बीयर	190	60	9	1 से 7	3 से 15	1 से 15	80,000	9,81,750	1,48,250	12,10,000
		2019–20	विदेशी मदिरा	199	80	16	5 से 15	2 से 8	2 से 15	0	9,80,000	3,99,750	13,79,750

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
25	जि0आ0का0 सहारनपुर	2019–20	बीयर	79	25	1	0	10	10	0	4,85,000	0	4,85,000
26	जि0आ0का0 श्रावस्ती	2016–17	देशी मदिरा	62	25	7	8	15	8 से 15	49,000	0	14,08,538	14,57,538
		2018–19	देशी मदिरा	62	25	1	0	12	12	0	3,05,727	0	3,05,727
		2019–20	विदेशी मदिरा	28	25	6	6 से 12	8 से 11	6 से 12	1,15,000	22,43,000	30,750	23,88,750
27	जि0आ0का0 सिद्धार्थनगर	2018–19	देशी मदिरा	148	30	18	1 से 9	2 से 13	1 से 13	0	35,30,924	3,40,000	38,70,924
		2018–19	मॉडल शॉप	4	4	3	0	2 से 10	2 से 10	0	5,82,000	0	5,82,000
28	जि0आ0का0 वाराणसी	2019–20	देशी मदिरा	308	80	1	4	15	4 से 15	75,000	1,020	1,24,436	2,00,456
		2018–19	देशी मदिरा	308	80	41	5 से 15	2 से 13	2 से 15	0	51,79,643	0	51,79,643
		2018–19	विदेशी मदिरा	167	49	27	6 से 9	2 से 14	2 से 14	0	54,68,500	0	54,68,500
योग				**12,964**	**4,532**	**1,288**			**1 से 15**	**3,62,36,250**	**29,07,15,589**	**12,90,36,459**	**45,59,88,298**
15 दिनों से 30 दिनों के मध्य बिलम्ब													
*	जि0आ0का0 आगरा	2019–20	देशी मदिरा	0	0	16	1 से 25	11 से 29	1 से 29	7,00,000	91,96,980	10,69,629	1,09,66,609
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	4	2 से 16	18 से 29	2 से 29	0	67,356	0	67,356
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	16	13 से 16	2 से 29	2 से 29	8,65,000	62,72,000	5,74,750	77,11,750
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
*	जि0आ0का0 आजमगढ़	2019–20	देशी मदिरा	0	0	16	16 से 27	1	1 से 27	6,25,000	2,00,160	21,94,250	30,19,410
		2016–17	देशी मदिरा	290	100	9	16	16	16	0	22,10,750	1,40,92,160	1,63,02,910
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	10	0	7 से 29	7 से 29	0	18,98,504	0	18,98,504
*	जि0आ0का0 बदायूँ	2018–19	देशी मदिरा	0	0	4	1 से 5	17 से 30	1 से 30	0	0	0	0
29	जि0आ0का0 बस्ती	2018–19	मॉडल शॉप	3	3	1	0	18	18	0	1,80,500	0	1,80,500
		2017–18	देशी मदिरा	187	42	5	24 से 30	5 से 21	5 से 30	0	0	49,60,248	49,60,248
		2018–19	देशी मदिरा	187	42	8	4 से 12	1 से 26	1 से 26	0	11,86,681	0	11,86,681
*	जि0आ0का0 चित्रकूट	2016–17	देशी मदिरा	0	0	5	0	16	16	0	31,42,400	27,43,068	58,85,468
		2017–18	देशी मदिरा	0	0	2	0	23 से 25	23 से 25	0	10,06,300	9,94,852	20,01,152
*	जि0आ0का0 फर्रूखाबाद	2019–20	बीयर	0	0	1	27	0	27	0	80,000	0	80,000
		2017–18	देशी मदिरा	192	46	1	15 से 19	0	15 से 19	0	0	8,08,764	8,08,764
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	1	2	1 से 23	1 से 23	0	20,62,972	0	20,62,972
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	1	0	22	22	0	2,18,000	0	2,18,000
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	2	27	0	27	0	8,54,000	0	8,54,000

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
*	जि0आ0का0 फिरोज़ाबाद	2017–18	देशी मदिरा	0	0	2	18 से 25	27	18 से 27	0	0	15,06,820	15,06,820
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	3	16 से 18	0	16 से 18	0	17,22,440	0	17,22,440
		2019–20	विदेशी मदिरा	154	44	3	16	0	16	1,90,000	22,36,500	1,59,750	25,86,250
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	7	18 से 21	0	18 से 21	0	49,40,995	0	49,40,995
*	जि0आ0का0 गौतम बुद्ध नगर	2019–20	बीयर	0	0	6	16	0	16	3,40,000	3,87,500	2,05,750	9,33,250
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	1	16	0	16	75,000	20,12,040	3,30,869	24,17,909
		2019–20	मॉडल शॉप	0	0	2	19	0	19	1,80,000	0	4,33,500	6,13,500
		2018–19	मॉडल शॉप	0	0	1	25	0	25	0	4,67,000	0	4,67,000
*	जि0आ0का0 गोरखपुर	2019–20	देशी मदिरा	0	0	17	2 से 25	2 से 30	2 से 30	7,65,000	10,29,000	22,99,232	40,93,232
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	13	12 से 27	10	10 से 27	10,45,000	0	9,94,250	20,39,250
		2019–20	मॉडल शॉप	0	0	2	5 से 17	11	5 से 17	1,45,000	12,50,000	2,00,000	15,95,000
*	जि0आ0का0 हरदोई	2019–20	देशी मदिरा	0	0	1	1	16	1 से 16	0	3,35,160	0	3,35,160
*	जि0आ0का0 जौनपुर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	6	22 से 27	22 से 27	22 से 27	0	6,35,611	0	6,35,611
*	जि0आ0का0 झाँसी	2019–20	बीयर	0	0	1	4	24	4 से 24	65,000	0	30,250	95,250
		2017–18	देशी मदिरा	0	0	6	19 से 21	0	19 से 21	0	0	32,94,502	32,94,502
*	जि0आ0का0 कानपुर नगर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	25	2 से 9	2 से 28	2 से 28	0	65,73,706	0	65,73,706
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	17	5 से 30	2 से 30	2 से 30	5,70,000	0	19,61,982	25,31,982
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	22	7 से 9	4 से 30	4 से 30	0	50,96,500	0	50,96,500
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	9	21 से 30	2	2 से 30	3,70,000	0	4,81,250	8,51,250
		2018–19	मॉडल शॉप	0	0	2	9	18 से 20	9 से 20	0	7,05,000	0	7,05,000
*	जि0आ0का0 लखनऊ	2019–20	देशी मदिरा	502	100	47	2 से 30	0	2 से 30	0	0	75,58,203	75,58,203
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	2	12	20 से 23	12 से 23	0	0	1,47,500	1,47,500
*	जि0आ0का0 मथुरा	2017–18	देशी मदिरा	0	0	8	16	18	16 से 18	0	2,64,750	44,22,806	46,87,556
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	3	8 से 12	10 से 17	8 से 17	1,45,000	3,95,000	1,50,500	6,90,500
*	जि0आ0का0 मेरठ	2019–20	देशी मदिरा	0	0	1	5	25	5 से 25	75,000	17,02,000	3,40,180	21,17,180
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	1	1	16	1 से 16	30,000	5,57,500	39,750	6,27,250
*	जि0आ0का0 मुजफ्फरनगर	2019–20	बीयर	0	0	7	5 से 13	16 से 27	5 से 27	5,76,052	0	0	5,76,052
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	8	7 से 26	9 से 29	7 से 29	12,02,814	0	14,48,320	26,51,134
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	1	29	2	2 से 29	55,000	0	52,750	1,07,750

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	3	5 से 12	19	5 से 19	3,63,945	0	0	3,63,945
		2019–20	मॉडल शॉप	0	0	2	5 से 11	23 से 25	5 से 25	10,66,797	0	0	10,66,797
*	जि0आ0का0 प्रयागराज	2019–20	बीयर	0	0	8	23 से 30	2 से 30	2 से 30	65,000	5,46,500	1,04,500	7,16,000
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	14	27 से 30	2 से 15	2 से 30	30,000	0	4,92,750	5,22,750
*	जि0आ0का0 सहारनपुर	2019–20	विदेशी मदिरा	85	25	2	0	21 से 22	21 से 22	0	81,55,000	0	81,55,000
*	जि0आ0का0 श्रावस्ती	2016–17	देशी मदिरा	0	0	2	16	16	16	0	0	10,10,610	10,10,610
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	2	2 से 9	11 से 17	2 से 17	0	1,71,800	73,260	2,45,060
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	3	12 से 26	16	12 से 26	60,000	6,93,000	23,000	7,76,000
*	जि0आ0का0 सिद्धार्थनगर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	4	2 से 9	16 से 17	2 से 17	0	3,62,880	0	3,62,880
*	जि0आ0का0 वाराणसी	2019–20	देशी मदिरा	0	0	2	1 से 26	0	1 से 26	1,50,000	0	5,26,023	6,76,023
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	5	4 से 21	4 से 19	4 से 21	0	2,46,557	0	2,46,557
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	1	8	18	8 से 18	0	3,94,000	0	3,94,000
योग				**1,600**	**402**	**377**			**30 तक**	**97,54,608**	**6,94,57,042**	**5,57,26,028**	**13,49,37,678**
30 दिनों से अधिक बिलम्ब													
*	जि0आ0का0 आगरा	2019–20	देशी मदिरा	0	0	26	1 से 16	11 से 239	1 से 239	14,00,000	1,86,00,580	25,17,222	2,25,17,802
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	89	1 से 54	13 से 243	1 से 243	0	46,60,606	0	46,60,606
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	16	8 से 30	10 से 200	8 से 200	10,30,000	1,60,37,500	6,64,250	1,77,31,750
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	35	6 से 51	33 से 185	6 से 185	0	43,87,000	50,000	44,37,000
		2019–20	मॉडल शॉप	0	0	5	2 से 5	42 से 122	2 से 122	0	27,89,500	0	27,89,500
*	जि0आ0का0 अलीगढ़	2019–20	देशी मदिरा	0	0	10	1 से 12	61 से 115	1 से 115	3,55,000	13,62,240	9,71,202	26,88,442
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	9	5 से 11	36 से 79	5 से 79	4,25,000	12,96,000	7,63,500	24,84,500
*	जि0आ0का0 आजमगढ़	2019–20	देशी मदिरा	0	0	2	3 से 113	1	1 से 113	50,000	0	2,81,398	3,31,398
		2017–18	देशी मदिरा	0	0	12	9 से 14	34 से 103	9 से 103	0	0	1,53,65,694	1,53,65,694
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	13	0	1 से 141	1 से 141	0	37,27,631	2,82,917	40,10,548
*	जि0आ0का0 बदायूँ	2018–19	देशी मदिरा	0	0	3	3 से 5	38 से 39	3 से 39	0	4,25,796	0	4,25,796
*	जि0आ0का0 बरेली	2019–20	देशी मदिरा	0	0	1	0	45	45	0	30	27,72,960	27,72,990
*	जि0आ0का0 बस्ती	2019–20	देशी मदिरा	0	0	2	4 से 12	1 से 50	1 से 50	0	1,13,534	0	1,13,534

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2017–18	मॉडल शॉप	3	3	1	31	89	31 से 89	0	32,85,000	1,83,140	34,68,140
		2018–19	मॉडल शॉप	0	0	1	53	36	36 से 53	0	4,67,000	0	4,67,000
*	जि0आ0का0 बिजनौर	2019–20	बीयर	0	25	1	0	89 से 114	89 से 114	55,000	6,65,000	25,500	7,45,500
		2019–20	देशी मदिरा	0	40	1	0	32 से 111	32 से 111	0	22,50,000	0	22,50,000
		2019–20	देशी मदिरा	0	40	1	0	79	79	70,000	14,39,100	2,80,319	17,89,419
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	25	2	0	36 से 112	36 से 112	1,50,000	52,35,000	1,90,000	55,75,000
*	जि0आ0का0 चित्रकूट	2015–16	देशी मदिरा	53	25	14	37 से 42	25 से 38	25 से 42	0	49,78,200	47,00,460	96,78,660
		2017–18	देशी मदिरा	0	0	6	3	31 से 43	3 से 43	0	14,50,800	37,12,366	51,63,166
		2015–16	विदेशी मदिरा	0	0	6	37 से 49	29 से 39	29 से 49	0	27,02,500	2,60,000	29,62,500
*	जि0आ0का0 फर्रूखाबाद	2018–19	बीयर	0	0	20	32 से 197	0	32 से 197	0	8,58,000	0	8,58,000
		2017–18	देशी मदिरा	0	0	5	15 से 64	70 से 161	15 से 161	0	41,525	31,52,689	31,94,214
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	20	7 से 205	7 से 187	7 से 205	0	14,01,933	0	14,01,933
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	9	197 से 280	0	197 से 280	0	10,16,000	0	10,16,000
*	जि0आ0का0 फिरोज़ाबाद	2018–19	देशी मदिरा	0	0	5	2 से 191	0	2 से 191	0	34,13,093	2,95,310	37,08,403
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	2	197	0	197	1,70,000	25,92,000	1,07,500	28,69,500
*	जि0आ0का0 गौतम बुद्ध नगर	2019–20	देशी मदिरा	0	0	13	3 से 15	89 से 122	3 से 122	8,05,000	88,11,740	17,78,756	1,13,95,496
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	6	1 से 12	111 से 135	1 से 135	5,00,000	1,02,60,000	6,23,250	1,13,83,250
*	जि0आ0का0 गाजीपुर	2019–20	देशी मदिरा	0	0	1	134	0	134	0	0	45,000	45,000
*	जि0आ0का0 गोरखपुर	2019–20	देशी मदिरा	0	0	11	6 से 89	31 से 76	6 से 89	5,75,000	44,92,320	20,02,090	70,69,410
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	6	16 से 19	36 से 75	16 से 75	5,10,000	0	6,14,250	11,24,250
		2019–20	मॉडल शॉप	0	0	3	12 से 19	45 से 171	12 से 171	2,70,000	0	4,62,000	7,32,000
*	जि0आ0का0 हरदोई	2019–20	देशी मदिरा	0	0	1	0	51	51	0	2,62,200	0	2,62,200
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	2	9	31 से 37	9 से 37	0	36,960	73,394	1,10,354
*	जि0आ0का0 झाँसी	2019–20	बीयर	0	0	4	4	37 से 64	4 से 64	2,60,000	0	1,10,750	3,70,750
		2017–18	देशी मदिरा	0	0	4	19 से 101	40	19 से 101	0	0	41,84,156	41,84,156
		2019–20	देशी मदिरा	225	50	44	1 से 38	36 से 292	1 से 292	25,35,000	1,92,69,260	39,08,832	2,57,13,092
*	जि0आ0का0 कानपुर नगर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	8	2 से 149	2 से 47	2 से 149	0	18,45,413	0	18,45,413
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	13	11 से 31	2 से 131	2 से 131	5,70,000	0	14,44,520	20,14,520
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	8	7 से 9	31 से 88	7 से 88	0	11,64,500	0	11,64,500
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	4	31	2	2 से 31	3,40,000	0	3,80,250	7,20,250

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0 शु0 के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0 शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2018–19	मॉडल शॉप	0	0	2	39 से 68	4 से 30	4 से 68	0	9,14,000	0	9,14,000
30	जि0आ0का0 कौशाम्बी	2017–18	देशी मदिरा	68	40	22	1 से 20	34 से 123	1 से 123	0	36,75,625	40,43,297	77,18,922
*	जि0आ0का0 लखनऊ	2019–20	देशी मदिरा	0	0	1	39	0	39	0	0	1,18,681	1,18,681
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	6	5 से 12	43 से 85	5 से 85	0	0	1,81,000	1,81,000
*	जि0आ0का0 मथुरा	2019–20	बीयर	215	46	19	2 से 35	80 से 253	2 से 253	0	56,91,420	0	56,91,420
		2019–20	बीयर	0	40	28	7 से 12	9 से 232	7 से 232	10,65,000	39,14,500	4,79,500	54,59,000
		2017–18	देशी मदिरा	0	0	3	16	178 से 190	16 से 190	0	0	6,71,324	6,71,324
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	55	2 से 28	50 से 244	2 से 244	23,45,000	90,70,520	29,67,106	1,43,82,626
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	41	2 से 13	12 से 232	2 से 232	22,85,000	77,80,224	18,43,000	1,19,08,224
*	जि0आ0का0 मेरठ	2019–20	बीयर	0	0	1	5	138	5 से 138	35,000	1,25,000	8,500	1,68,500
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	3	5	79 से 141	5 से 141	75,000	5,09,120	63,144	6,47,264
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	2	1 से 2	32 से 38	1 से 38	1,15,000	17,92,510	1,28,000	20,35,510
*	जि0आ0का0 मुजफ्फरनगर	2019–20	बीयर	0	0	4	35 से 36	0	35 से 36	1,80,000	0	66,750	2,46,750
		2019–20	बीयर	0	0	6	5 से 10	55 से 84	5 से 84	3,38,138	6,30,911	0	9,69,049
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	14	7 से 13	42 से 153	7 से 153	20,82,750	26,25,000	23,03,901	70,11,651
		2019–20	देशी मदिरा	0	50	1	34	43	34 से 43	0	55,37,700	0	55,37,700
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	6	7 से 10	27 से 139	7 से 139	14,81,276	0	0	14,81,276
		2019–20	मॉडल शॉप	0	0	1	10	35	10 से 35	2,17,500	0	0	2,17,500
*	जि0आ0का0 प्रयागराज	2019–20	बीयर	0	0	17	3 से 30	8 से 173	3 से 173	30,000	3,06,000	1,50,250	4,86,250
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	29	2 से 45	3 से 178	2 से 178	30,000	7,62,000	6,38,500	14,30,500
*	जि0आ0का0 सहारनपुर	2019–20	बीयर	0	0	12	1 से 4	47 से 133	1 से 133	0	52,51,118	0	52,51,118
		2019–20	देशी मदिरा	151	40	17	0	28 से 180	28 से 180	0	1,67,52,195	0	1,67,52,195
		2019–20	देशी मदिरा	0	40	8	0	128 से 181	128 से 181	0	2,48,85,720	0	2,48,85,720
		2019–20	देशी मदिरा	0	40	8	0	71 से 225	71 से 225	5,80,000	1,62,16,200	15,00,780	1,82,96,980
		2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	13	0	34 से 161	34 से 161	0	2,59,02,816	0	2,59,02,816
		2019–20	मॉडल शॉप	3	3	2	0	37 से 158	37 से 158	0	70,81,250	0	70,81,250

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के बिलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
31	जि0आ0का0 संत कबीर नगर	2017–18	देशी मदिरा	107	25	8	0	35 से 166	35 से 166	0	0	79,26,928	79,26,928
		2016–17	देशी मदिरा	107	25	6	0	52 से 128	52 से 128	0	19,55,750	12,45,188	32,00,938
*	जि0आ0का0 श्रावस्ती	2019–20	विदेशी मदिरा	0	0	1	0	113	113	30,000	1,50,000	5,250	1,85,250
*	जि0आ0का0 सिद्धार्थनगर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	1	9	53	9 से 53	0	1,22,170	0	1,22,170
*	जि0आ0का0 वाराणसी	2017–18	देशी मदिरा	312	80	59	5 से 15	15 से 249	5 से 249	0	23,84,750	5,99,77,102	6,23,61,852
		2019–20	देशी मदिरा	0	0	9	18 से 27	2 से 31	2 से 31	5,25,000	11,88,720	13,63,064	30,76,784
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	6	5 से 21	4 से 108	4 से 108	0	15,16,966	0	15,16,966
योग				**1,244**	**637**	**856**			**1 से 292**	**2,14,84,664**	**27,80,80,146**	**13,78,84,940**	**43,74,49,750**
महायोग				**15,808**	**5,571**	**2,521**			**1 से 292**	**6,74,75,522**	**63,82,52,777**	**32,26,47,427**	**1,02,83,75,726**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–II

आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 2.4)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	आसवनी का नाम	ब्राण्ड का नाम	भा0नि0 वि0म0 की श्रेणी	द्वारा गणना की गई	धारिता (एम0 एल0 में)	ई0डी0पी0 (प्रति बोतल)	प्रतिफल शुल्क (प्रति बोतल)	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	एम0आर0 पी0 बिना राउन्ड किये (7+8+9 +10)	एम0आर0 पी0 जो कि अगले दस रूपये में राउन्ड किया गया	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (12–11)	शुद्ध (8+13)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का कम आरोपण (प्रति 180 एम0एल0 बोतल)	प्रेषित मात्रा बोतलों में	कम आरोपित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (15X16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	मेसर्स धामपुर चीनी मिल लि0 एफ.एल. 3ए (आसवनी प्रभाग) बिजनौर	आफिसर्स च्वायस ओरिजनल व्हिस्की	इकोनॉमी	विभाग	750	54.20	280.65	5.38	70.84	411.07	420	8.93	289.58			
					180	14.30	67.36	1.29	17.00	99.95	100	0.05	67.41			
				लेखापरीक्षा	180	13.73	67.36	1.29	17.00	99.38	100	0.62	67.98	0.57	21,27,168	12,12,486
2		आफिसर्स च्वायस ब्ल्यू ग्रेन ओरिजनल व्हिस्की	मीडियम	विभाग	750	82.67	327.79	6.31	76.53	493.30	500	6.70	334.49			
					180	21.42	78.67	1.51	18.37	119.96	120	0.04	78.71			
				लेखापरीक्षा	180	20.56	78.67	1.51	18.37	119.11	120	0.89	79.56	0.85	65,27,184	55,48,106
3		स्टर्लिंग रिजर्व बी 7 स्पेशल ब्लेन्डेड व्हिस्की	मीडियम	विभाग	750	121.67	359.77	7.41	84.33	573.18	580	6.82	366.59			
					180	31.17	86.34	1.78	20.24	139.53	140	0.47	86.81			
				लेखापरीक्षा	180	29.92	86.34	1.78	20.24	138.28	140	1.72	88.06	1.25	12,56,736	15,70,920
4		स्टर्लिंग रिजर्व बी 10 सुपीरियर ब्लेन्डेड व्हिस्की	रेगुलर	विभाग	750	244.50	462.94	10.85	99.45	817.74	820	2.26	465.20			
					180	61.88	111.11	2.60	23.87	199.45	200	0.55	111.66			
				लेखापरीक्षा	180	59.40	111.11	2.60	23.87	196.98	200	3.02	114.13	2.47	1,42,800	3,52,716
5	मोहन मीकिन लि0 गाजियाबाद	सोलन न. 1 ब्लैक रेयर एण्ड प्रीमियम व्हिस्की	मीडियम	विभाग	750	110.00	350.20	7.08	82.00	549.28	550	0.72	350.92			
					180	28.25	84.05	1.70	19.68	133.68	140	6.32	90.37			
				लेखापरीक्षा	180	27.12	84.05	1.70	19.68	132.55	140	7.45	91.50	1.13	52,176	58,959

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	आसवनी का नाम	ब्राण्ड का नाम	भा0नि0 वि0म0 की श्रेणी	द्वारा गणना की गई	धारिता (एम0 एल0 में)	ई0डी0पी0 (प्रति बोतल)	प्रतिफल शुल्क (प्रति बोतल)	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	एम0आर0 पी0 बिना राउन्ड किये (7+8+9 +10)	एम0आर0 पी0 जो कि अगले दस रूपये में राउन्ड किया गया	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (12–11)	शुद्ध (8+13)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का कम आरोपण (प्रति 180 एम0एल0 बोतल)	प्रेषित मात्रा बोतलों में	कम आरोपित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (15X16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6		ओल्ड मान्क ह्वाइट रम	मीडियम	विभाग	750	94.57	337.55	6.65	78.91	517.68	520	2.32	339.87			
					180	24.39	81.01	1.60	18.94	125.94	130	4.06	85.07			
				लेखापरीक्षा	180	23.42	81.01	1.60	18.94	124.97	130	5.03	86.04	0.97	81,984	79,524
7		ओल्ड मान्क दी लेजेण्ड रम वेरी ओल्ड वेटेड	रेगुलर	विभाग	750	181.10	410.31	9.07	93.11	693.59	700	6.41	416.72			
					180	46.03	98.47	2.18	22.35	169.02	170	0.98	99.45			
				लेखापरीक्षा	180	44.18	98.47	2.18	22.35	167.18	170	2.82	101.29	1.84	2,34,288	4,31,090
8		7 ईयर ओल्ड ब्लेण्डेड ओल्ड मान्क मेचर्ड थ्री एक्स प्रीमियम रम वेरी ओल्ड वेटेड	मीडियम	विभाग	750	81.05	326.46	6.27	76.21	489.99	490	0.01	326.47			
					180	21.01	78.35	1.50	18.29	119.15	120	0.85	79.20			
				लेखापरीक्षा	180	20.17	78.35	1.50	18.29	118.31	120	1.69	80.04	0.84	86,88,576	72,98,404
9		सोलन न. 1 व्हिस्की	मीडियम	विभाग	750	82.66	327.78	6.31	76.53	493.28	500	6.72	334.50			
					180	21.42	78.67	1.51	18.37	119.96	120	0.04	78.71			
				लेखापरीक्षा	180	20.56	78.67	1.51	18.37	119.11	120	0.89	79.56	0.85	86,880	73,848
10		ट्रिपल फिल्टर नाईट राइडर प्रीमियम वोदका	मीडियम	विभाग	750	85.32	329.96	6.39	77.06	498.73	500	1.27	331.23			
					180	22.08	79.19	1.53	18.49	121.29	130	8.71	87.90			
				लेखापरीक्षा	180	21.20	79.19	1.53	18.49	120.41	130	9.59	88.78	0.88	98,688	86,845
11		ओल्ड मान्क गोल्ड रिजर्व प्रीमियम रम	मीडियम	विभाग	750	94.16	337.21	6.64	78.83	516.84	520	3.16	340.37			
					180	24.29	80.93	1.59	18.92	125.73	130	4.27	85.20			
				लेखापरीक्षा	180	23.32	80.93	1.59	18.92	124.76	130	5.24	86.17	0.97	6,06,336	5,88,146

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	आसवनी का नाम	ब्राण्ड का नाम	भा0नि0 वि0म0 की श्रेणी	द्वारा गणना की गई	धारिता (एम0 एल0 में)	ई0डी0पी0 (प्रति बोतल)	प्रतिफल शुल्क (प्रति बोतल)	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	एम0आर0 पी0 बिना राउन्ड किये (7+8+9 +10)	एम0आर0 पी0 जो कि अगले दस रूपये में राउन्ड किया गया	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (12–11)	शुद्ध (8+13)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का कम आरोपण (प्रति 180 एम0एल0 बोतल)	प्रेषित मात्रा बोतलों में	कम आरोपित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (15X16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12		ओल्ड मान्क लेमन रम	रेगुलर	विभाग	750	138.00	374.54	7.86	88.80	609.20	610	0.80	375.34			
					180	35.25	89.89	1.89	21.31	148.34	150	1.66	91.55			
				लेखापरीक्षा	180	33.84	89.89	1.89	21.31	146.93	150	3.07	92.96	1.41	19,440	27,410
13	वेव आसवनी एवं यवासवनी लि0 अलीगढ़	बैग पाइपर सुपीरियर व्हिस्की	इकोनॉमी	विभाग	750	54.28	280.71	5.38	70.86	411.23	420	8.77	289.48			
					180	14.32	67.37	1.29	17.01	99.99	100	0.01	67.38			
				लेखापरीक्षा	180	13.75	67.37	1.29	17.01	99.42	100.00	0.58	67.95	0.57	2,59,70,016	1,48,02,909
14		मैकडावेल ग्रीन लेबल दा रिच ब्लेण्ड व्हिस्की	इकोनॉमी	विभाग	750	70.00	292.50	5.85	74.00	442.35	450	7.65	300.15			
					180	18.25	70.20	1.40	17.76	107.61	110	2.39	72.59			
				लेखापरीक्षा	180	17.52	70.20	1.40	17.76	106.88	110.00	3.12	73.32	0.73	25,38,144	18,52,845
15		ह्वाइट मिस्चीफ अल्ट्रा प्योर वोदका	इकोनॉमी	विभाग	750	70.00	292.50	5.85	74.00	442.35	450	7.65	300.15			
					180	18.25	70.20	1.40	17.76	107.61	110	2.39	72.59			
				लेखापरीक्षा	180	17.52	70.20	1.40	17.76	106.88	110.00	3.12	73.32	0.73	5,34,912	3,90,486
16		इवनिंग स्पेंशल प्रीमियम व्हिस्की	इकोनॉमी	विभाग	750	54.28	280.71	5.38	70.86	411.23	420	8.77	289.48			
					180	14.32	67.37	1.29	17.01	99.99	100	0.01	67.38			
				लेखापरीक्षा	180	13.75	67.37	1.29	17.01	99.42	100.00	0.58	67.95	0.57	28,52,928	16,26,169
17		राफेल्स मेच्योर्ड थ्री एक्स रम	इकोनॉमी	विभाग	750	54.28	280.71	5.38	70.86	411.23	420	8.77	289.48			
					180	14.32	67.37	1.29	17.01	99.99	100	0.01	67.38			
				लेखापरीक्षा	180	13.75	67.37	1.29	17.01	99.42	100.00	0.58	67.95	0.57	12,64,896	7,20,991

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	आसवनी का नाम	ब्राण्ड का नाम	भा0नि0 वि0म0 की श्रेणी	द्वारा गणना की गई	धारिता (एम0 एल0 में)	ई0डी0पी0 (प्रति बोतल)	प्रतिफल शुल्क (प्रति बोतल)	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	एम0आर0 पी0 बिना राउन्ड किये (7+8+9 +10)	एम0आर0 पी0 जो कि अगले दस रूपये में राउन्ड किया गया	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (12–11)	शुद्ध (8+13)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का कम आरोपण (प्रति 180 एम0एल0 बोतल)	प्रेषित मात्रा बोतलों में	कम आरोपित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (15X16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
18		राफेल्स ग्रेन वोदका	इकोनॉमी	विभाग	750	54.28	280.71	5.38	70.86	411.23	420	8.77	289.48			
					180	14.32	67.37	1.29	17.01	99.99	100	0.01	67.38			
				लेखापरीक्षा	180	13.75	67.37	1.29	17.01	99.42	100.00	0.58	67.95	0.57	11,78,064	6,71,496
19		मैकडावेल न. 1 सेलीब्रेशन थ्री एक्स रम	इकोनॉमी	विभाग	750	70.00	292.50	5.85	74.00	442.35	450	7.65	300.15			
					180	18.25	70.20	1.40	17.76	107.61	110	2.39	72.59			
				लेखापरीक्षा	180	17.52	70.20	1.40	17.76	106.88	110.00	3.12	73.32	0.73	77,17,776	56,33,976
योग														**0.57 से 2.47**	**6,19,78,992**	**4,30,27,328**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

नोट– **(1) आबकारी नीति के अनुसार, 180 एम0एल0 बोतल के ई0डी0पी0 की गणना 750 एम0एल0 बोतल के ई0डी0पी0 में ₹ तीन जोड़ने के पश्चात की जाती है।**

(2) प्रतिफल शुल्क (प्रति 750 एम0एल0 बोतल) -
रेगुलर – ₹ 260 + ई0डी0पी0 का 83 प्रतिशत
मीडियम – ₹ 260+ ई0डी0पी0 का 82 प्रतिशत
इकोनॉमी – ₹ 240+ ई0डी0पी0 का 75 प्रतिशत

(3) थोक विक्रेता का मार्जिन-
रेगुलर/मीडियम – ₹ 4 + ई0डी0पी0 का 2.80 प्रतिशत
इकोनॉमी – ₹ 3.75 + ई0डी0पी0 का 3.00 प्रतिशत

(4) फुटकर विक्रेता का मार्जिन-
रेगुलर – ₹ 75 + ई0डी0पी0 का 10 प्रतिशत
मीडियम/इकोनॉमी – ₹ 60+ ई0डी0पी0 का 20 प्रतिशत

परिशिष्ट–III

कर की गलत दर का लगाया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.3)

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	डिप्टी कमि0 खण्ड 1 वा0क0 अम्बेडकरनगर	1	2016–17 (फरवरी 2019)	गिट्टी एवं मोरम	7,413.25	5.0	0	635.28
				ब्लैक मेटल	4,335.42			
				एमबीसीबी	77.00			
				सीमेंट पाइप	440.00			
				टक्कर रोधक	440.00			
				लोहा एवं इस्पात	10,065.97	4.0	0	404.18
				कोयला	22.00			
				खाद्यान्न	16.50			
				बिटूमिन	627.00	14.5	0	102.08
				इमल्शन सीसीएस	77.00			
				सीमेंट	7,879.69	15.5	0	1,221.35
2	ज्वा0 कमि0 (का0 स0) वा0क0 गौतम बुद्ध नगर	1	2016–17 (मई 2018)	एएसी ब्लाक	395.89	14.5	5	37.61
3	डिप्टी कमि0 खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	1	2015–16 (मार्च 2019)	गढ़े हुये रेल उपरिगामी सेतु के गर्डर	722.25	14.0	5	65.00
		1	2015–16 (मार्च 2019)	कटे हुये छुहारे एवं छुहारे का चूर्ण	529.06	14.0	5	47.62
4	ज्वा0 कमि0 (का0 स0) वा0क0 मेरठ	1	2014–15 (जुलाई 2017)	नवीकृत ऊर्जा प्रमाणपत्र	774.27	5.0	0	38.71
5	डिप्टी कमि0 वा0क0 कानपुर देहात	1	2013–14 (दिसम्बर 2016)	खाद्यान्नों को बीज माना गया	676.84	4.0	0	27.07
			2015–16 (मार्च 2017)	खाद्यान्नों को बीज माना गया	616.82	4.0	0	24.67
6	डिप्टी कमि0 खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	1	2015–16 (जुलाई 2019)	सौन्दर्य प्रसाधन	444.94	14.0	5	40.04
योग		**7**			**35,553.90**			**2,643.61**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–IV
टर्नओवर का करनिर्धारण से छूट जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर सख्या 3.4)

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	छूटा हुआ आवर्त	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित/ अनारोपित कर
1	ज्वा0 कमि0 (का0 स0) प्रथम वा0क0 कानपुर	1	2015–16 (मार्च 2019)	बिजली का सामान	8,831.58	14.0	1,236.42
2	ज्वा0 कमि0 (का0 स0) द्वितीय वा0क0 कानपुर	1	2014–15 (मार्च 2018)	एमएस इंगट एवं एमएस बार	443.76	4.0	17.75
			2015–16 (मार्च 2019)		321.15	4.0	12.85
		1	2015–16 (जनवरी 2019)	कपड़ा धोने का साबुन	74,307.00	14.0	10,403.00
				अन्य	69,386.00	5.0	3,469.00
3	डिप्टी कमि0 खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	1	2015–16 (मार्च 2019)	सकर्म संविदा के विरुद्ध प्राप्त भुगतान	750.38		26.16
4	डिप्टी कमि0 खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	1	2015–16 (मार्च 2019)	सीमेंट	706.68	15.5	109.54
				इस्पात	405.75	4.0	16.23
				कंक्रीट	14.40	14.5	2.09
		1	2015–16 (अगस्त 2018)	सकर्म संविदा के विरुद्ध प्राप्त भुगतान	511.14	14.0	71.56
					1,464.77	14.5	212.39
योग		**6**			**1,57,142.61**		**15,576.99**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–V
व्यापारियों को अननुमन्य आईटीसी की अनुमन्यता
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.6)

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	अनियमित तौर पर अनुमन्य आईटीसी की धनराशि	अननुमन्यता का कारण	ब्याज की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय ब्याज
1	ज्वा0 कमि0 (का0 स0) वा0क0 बरेली	1	2015–16 (जनवरी 2019)	19.12	आईटीसी का अधिक दावा	01.10.2015 से 22.01.2020 (1,575)	12.38
2	ज्वा0 कमि0 (का0 स0) वा0कर गौतम बुद्ध नगर	1	2016–17 (जुलाई 2018)	9.57	पूँजीगत माल पर दावा की गई आईटीसी का उसी वर्ष में समायोजन	01.10.2016 से 20.11.2019 (1,146)	4.51
			2015–16 (जून 2018)	7.64	पूँजीगत माल पर दावा की गई आईटीसी का उसी वर्ष में समायोजन	01.10.2015 से 20.11.2019 (1,512)	4.75
3	डिप्टी कमि0 खण्ड 5 वा0क0 गाजियाबाद	1	2015–16 (जून 2018)	22.27	आईटीसी का अधिक दावा	01.10.2015 से 03.10.2019 (1,464)	13.40
4	ज्वा0 कमि0 (का0 स0) वा0क0 रेंज ए नोएडा	1	2015–16 (मई 2018)	40.86	आईटीसी का उच्चतर दर से दावा	01.10.2015 से 14.11.2019 (1,506)	25.29
योग		**4**		**99.46**			**60.33**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–VI

परिवहन वाहनों का स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न कराया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.3, प्रथम बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम		पंजीकृत वाहनों की सं0	लेखा परीक्षा द्वारा जाँच की गयी वाहनों की सं0	वाहनों की सं0 जिसमें आपत्ति पायी गयी	फिटनेस समाप्त होने की अवधि	भारी वाहन (भा0वा0) (₹ 600+ ₹ 600+ ₹ 200) प्रति वाहन	भारी वाहन में निहित धनराशि	मध्यम वाहन (म0वा0) (₹ 600+ ₹ 600+ ₹ 200) प्रति वाहन	मध्यम वाहन में निहित धनराशि	हल्के वाहन (ह0वा0) वाणिज्यिक एवं तिपहिया (₹ 400+ ₹ 400+ ₹ 200) प्रति वाहन	हल्के वाहन वाणिज्यिक एवं तिपहिया (थ्री0 व्ही0) में निहित धनराशि	कुल वाहन	(भा0वा0+ म0वा0+ ह0वा0+ थ्री0व्ही0) में निहित धनराशि	अर्थदण्ड (₹ 5,000 प्रति वाहन)	कुल निहित धनराशि
1	स0प0अ0	अलीगढ़	29,739	2,450	530	10/17 से 11/19	233	3,26,200	12	16,800	285	2,85,000	530	6,28,000	26,50,000	32,78,000
2	स0स0प0अ0	अम्बेडकर नगर	6,687	3,330	389	01/18 से 12/19	3	4,200	0	0	386	3,86,000	389	3,90,200	19,45,000	23,35,200
3	स0प0अ0	आजमगढ़	26,835	5,370	416	04/17 से 11/19	80	1,12,000	9	12,600	327	3,27,000	416	4,51,600	20,80,000	25,31,600
4	स0स0प0अ0	बदायूँ	1,607	352	173	12/16 से 12/19	40	56,000	29	40,600	104	1,04,000	173	2,00,600	8,65,000	10,65,600
5	स0स0प0अ0	बलिया	5,211	2,353	882	04/17 से 11/19	0	0	0	0	882	8,82,000	882	8,82,000	44,10,000	52,92,000
6	स0प0अ0	बाँदा	1,385	635	475	02/17 से 12/19	0	0	0	0	475	4,75,000	475	4,75,000	23,75,000	28,50,000
7	स0प0अ0	बरेली	26,441	2,720	366	11/18 से 11/19	152	2,12,800	20	28,000	194	1,94,000	366	4,34,800	18,30,000	22,64,800
8	स0प0अ0	बस्ती	8,147	3,260	173	01/17 से 12/19	49	68,600	36	50,400	88	88,000	173	2,07,000	8,65,000	10,72,000
9	स0स0प0अ0	चित्रकूट	3,232	994	463	12/17 से 12/19	57	79,800	10	14,000	396	3,96,000	463	4,89,800	23,15,000	28,04,800
10	स0स0प0अ0	फतेहपुर	1,328	1,328	278	10/17 से 12/19	7	9,800	0	0	271	2,71,000	278	2,80,800	13,90,000	16,70,800
11	स0स0प0अ0	जी0बी0 नगर	6,570	999	86	12/18 से 11/19	33	46,200	53	74,200	0	0	86	1,20,400	4,30,000	5,50,400
12	स0प0अ0	गाजियाबाद	6,885	799	423	10/18 से 11/19	45	63,000	21	29,400	357	3,57,000	423	4,49,400	21,15,000	25,64,400
13	स0स0प0अ0	गाजीपुर	17,493	5,229	639	01/17 से 01/20	152	2,12,800	14	19,600	473	4,73,000	639	7,05,400	31,95,000	39,00,400
14	स0प0अ0	गोरखपुर	26,104	5,242	214	02/19 से 01/20	15	21,000	2	2,800	197	1,97,000	214	2,20,800	10,70,000	12,90,800
15	स0स0प0अ0	हाथरस	2,880	608	143	01/17 से 11/19	49	68,600	4	5,600	90	90,000	143	1,64,200	7,15,000	8,79,200
16	स0स0प0अ0	जौनपुर	4,029	4,029	1,055	08/17 से 12/19	29	40,600	0	0	1,026	10,26,000	1,055	10,66,600	52,75,000	63,41,600

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम		पंजीकृत वाहनों की सं0	लेखा परीक्षा द्वारा जाँच की गयी वाहनों की सं0	वाहनों की सं0 जिसमें आपत्ति पायी गयी	फिटनेस समाप्त होने की अवधि	भारी वाहन (भा0वा0) (₹ 600+ ₹ 600+ ₹ 200) प्रति वाहन	भारी वाहन में निहित धनराशि	मध्यम वाहन (म0वा0) (₹ 600+ ₹ 600+ ₹ 200) प्रति वाहन	मध्यम वाहन में निहित धनराशि	हल्के वाहन (ह0वा0) वाणिज्यिक एवं तिपहिया (₹ 400+ ₹ 400+ ₹ 200) प्रति वाहन	हल्के वाहन वाणिज्यिक एवं तिपहिया (थ्री0 व्ही0) में निहित धनराशि	कुल वाहन	(भा0वा0+ म0वा0+ ह0वा0+ थ्री0व्ही0) में निहित धनराशि	अर्थदण्ड (₹ 5,000 प्रति वाहन)	कुल निहित धनराशि
17	स0प0अ0	झाँसी	885	410	297	05/17 से 11/19	0	0	0	0	297	2,97,000	297	2,97,000	14,85,000	17,82,000
18	स0प0अ0	कानपुर नगर	31,099	6,439	438	10/18 से 11/19	309	4,32,600	99	1,38,600	30	30,000	438	6,01,200	21,90,000	27,91,200
19	स0प0अ0	लखनऊ	1,886	300	159	12/18 से 01/20	15	21,000	103	1,44,200	41	41,000	159	2,06,200	7,95,000	10,01,200
20	स0स0प0अ0	महाराजगंज	11,030	2,501	431	09/17 से 01/20	53	74,200	19	26,600	359	3,59,000	431	4,59,800	21,55,000	26,14,800
21	स0स0प0अ0	मथुरा	9,337	2,406	483	08/17 से 12/19	197	2,75,800	147	2,05,800	139	1,39,000	483	6,20,600	24,15,000	30,35,600
22	स0स0प0अ0	मऊ	7,619	2,140	693	07/17 से 01/20	0	0	0	0	693	6,93,000	693	6,93,000	34,65,000	41,58,000
23	स0प0अ0	मेरठ	2,655	1,345	789	01/19 से 12/19	15	21,000	0	0	774	7,74,000	789	7,95,000	39,45,000	47,40,000
24	स0प0अ0	मीरजापुर	6,646	1,565	501	09/17 से 12/19	97	1,35,800	4	5,600	400	4,00,000	501	5,41,400	25,05,000	30,46,400
25	स0प0अ0	मुरादाबाद	2,300	300	91	02/19 से 12/19	42	58,800	0	0	49	49,000	91	1,07,800	4,55,000	5,62,800
26	स0स0प0अ0	मुजफ्फर नगर	1,578	320	229	03/18 से 07/19	0	0	0	0	229	2,29,000	229	2,29,000	11,45,000	13,74,000
27	स0प0अ0	प्रयागराज	2,309	1,155	605	11/18 से 01/20	0	0	0	0	605	6,05,000	605	6,05,000	30,25,000	36,30,000
28	स0स0प0अ0	रामपुर	8,278	1,686	215	08/17 से 12/19	18	25,200	3	4,200	194	1,94,000	215	2,23,400	10,75,000	12,98,400
29	स0स0प0अ0	शाहजहाँपुर	10,443	845	279	03/17 से 12/19	124	1,73,600	16	22,400	139	1,39,000	279	3,35,000	13,95,000	17,30,000
30	स0स0प0अ0	सोनभद्र	2,030	1,070	938	09/17 से 12/19	0	0	0	0	938	9,38,000	938	9,38,000	46,90,000	56,28,000
31	स0प0अ0	वाराणसी	7,796	1,000	431	03/19 से 07/19	0	0	0	0	431	4,31,000	431	4,31,000	21,55,000	25,86,000
योग			**2,80,464**	**63,180**	**13,284**	**12/16 से 01/20**	**1,814**	**25,39,600**	**601**	**8,41,400**	**10,869**	**1,08,69,000**	**13,284**	**1,42,50,000**	**6,64,20,000**	**8,06,70,000**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–VII

निजी वाहनों का स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संचालन

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.3, द्वितीय बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम		पंजीकृत वाहनों की संख्या	लेखा परीक्षा द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	फिटनेस समाप्ति की अवधि	हल्के निजी वाहन (₹ 400+ ₹ 400+ ₹ 200) प्रति वाहन	हल्के वाहनों में निहित धनराशि	अर्थदण्ड की धनराशि प्रति वाहन ₹ 5,000 की दर से	कुल निहित धनराशि
1	स0प0अ0	आगरा	800	400	286	01/2019 से 11/2019	286	2,86,000	14,30,000	17,16,000
2	स0प0अ0	अलीगढ़	82,468	1,170	406	10/2017 से 11/2019	406	4,06,000	20,30,000	24,36,000
3	स0प0अ0	आजमगढ़	30,295	6,070	203	04/2017 से 11/2019	203	2,03,000	10,15,000	12,18,000
4	स0स0प0अ0	बदायूँ	305	305	302	04/2017 से 12/2019	302	3,02,000	15,10,000	18,12,000
5	स0स0प0अ0	बलिया	529	529	249	04/2017 से 12/2019	249	2,49,000	12,45,000	14,94,000
6	स0प0अ0	बरेली	82,468	1,170	245	11/2018 से 11/2019	245	2,45,000	12,25,000	14,70,000
7	स0स0प0अ0	चित्रकूट	121	121	113	07/2017 से 11/2019	113	1,13,000	5,65,000	6,78,000
8	स0स0प0अ0	जी0बी0नगर	300	200	103	12/2018 से 11/2019	103	1,03,000	5,15,000	6,18,000
9	स0प0अ0	गाजियाबाद	350	200	118	10/2018 से 11/2019	118	1,18,000	5,90,000	7,08,000
10	स0स0प0अ0	हाथरस	500	300	194	01/2017 से 11/2019	194	1,94,000	9,70,000	11,64,000
11	स0स0प0अ0	जौनपुर	1,298	1,298	361	08/2017 से 12/2019	361	3,61,000	18,05,000	21,66,000
12	स0प0अ0	झाँसी	587	350	174	01/2018 से 10/2019	174	1,74,000	8,70,000	10,44,000
13	स0प0अ0	कानपुर नगर	19,475	4,003	508	10/2018 से 11/2019	508	5,08,000	25,40,000	30,48,000
14	स0प0अ0	लखनऊ	873	530	376	12/2018 से 01/2020	376	3,76,000	18,80,000	22,56,000
15	स0स0प0अ0	मथुरा	2,740	600	238	08/2017 से 04/2019	238	2,38,000	11,90,000	14,28,000
16	स0स0प0अ0	मऊ	482	482	174	07/2017 से 11/2019	174	1,74,000	8,70,000	10,44,000
17	स0प0अ0	मेरठ	110	110	85	02/2019 से 12/2019	85	85,000	4,25,000	5,10,000
18	स0प0अ0	मीरजापुर	1,625	601	198	09/2017 से 12/2019	198	1,98,000	9,90,,000	11,88,000
19	स0प0अ0	मुरादाबाद	154	154	72	02/2019 से 07/2019	72	72,000	3,60,000	4,32,000
20	स0प0अ0	प्रयागराज	1,594	800	363	11/2018 से 11/2019	363	3,63,000	18,15,000	21,78,000
21	स0स0प0अ0	रामपुर	353	171	149	08/2017 से 12/2019	149	1,49,000	7,45,000	8,94,000
22	स0प0अ0	सहारनपुर	1,550	1,550	749	07/2017 से 11/2019	749	7,49,000	37,45,000	44,94,000
23	स0स0प0अ0	शाहजहाँपुर	33,151	460	206	03/2017 से 11/2019	206	2,06,000	10,30,000	12,36,000
24	स0प0अ0	वाराणसी	379	379	173	03/2019 से 12/2019	173	1,73,000	8,65,000	10,38,000
योग			**2,62,507**	**21,953**	**6,045**	**01/2017 से 01/2020**	**6,045**	**60,45,000**	**3,02,25,000**	**3,62,70,000**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–VIII

उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.4)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	कुल प्रकरणों की सं0	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये प्रकरणों की सं0	उन प्रकरणों की सं0 जिसमें आपत्ति पायी गयी	अवधि (अतिरिक्त कर पर देय अर्थदण्ड)	विलम्ब से जमा (महीनो में)	अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड की कुल धनराशि
1	स0प0अ0 गाजियाबाद	573	573	573	10/2018 से 12/2019	01 से 05	72,82,976
2	स0प0अ0 मीरजापुर	74	74	74	09/2017 से 12/2019	01 से 02	14,69,895
3	स0प0अ0 मुरादाबाद	533	533	481	02/2019 से 12/2019	01 से 01	32,48,153
4	स0प0अ0 कानपुर नगर	475	475	450	10/2018 से 11/2019	01 से 01	50,61,350
5	स0प0अ0 झाँसी	242	242	241	04/2018 से 11/2019	01 से 01	33,61,886
6	स0स0प0अ0 मुजफ्फर नगर	84	84	78	01/2018 से 12/2019	01 से 01	15,18,910
7	स0प0अ0 लखनऊ	141	141	141	12/2018 से 12/2019	01 से 03	26,80,676
8	स0प0अ0 प्रयागराज	386	386	386	10/2018 से 01/2020	01 से 02	59,87,850
9	स0स0प0अ0 शाहजहाँपुर	168	168	168	07/2017 से 12/2019	01 से 01	36,00,360
10	स0प0अ0 अलीगढ	740	740	740	10/2017 से 12/2019	01 से 02	99,91,084
11	स0प0अ0 मेरठ	610	610	608	02/2019 से 12/2019	01 से 02	68,13,947
12	स0स0प0अ0 रामपुर	57	57	57	08/2017 से 12/2019	01 से 01	12,27,881
13	स0प0अ0 वाराणसी	470	470	470	03/2019 से 12/2019	01 से 01	42,59,000
योग		**4,553**	**4,553**	**4,467**	**07/2017 से 01/2020**	**01 से 05**	**5,65,03,968**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–IX

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.5)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम		राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित कुल वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये माल वाहनों की संख्या	माल वाहनों की सं0 जिसमें आपत्ति पायी गयी	प्राधिकार समाप्त होने की अवधि	प्रति वाहन समेकित शुल्क	प्रति वाहन नवीनीकरण शुल्क	कुल शुल्क प्रति वाहन	निहित कुल राजस्व
1	स0प0अ0	आगरा	3,386	396	285	09/2018 से 11/2019	16,500	1,000	17,500	49,87,500
2	स0प0अ0	बरेली	8,680	570	128	02/2019 से 11/2019	16,500	1,000	17,500	22,40,000
3	स0प0अ0	झाँसी	275	98	84	01/2018 से 10/2019	16,500	1,000	17,500	14,70,000
4	स0प0अ0	कानपुर नगर	8,071	2,080	182	01/2019 से 11/2019	16,500	1,000	17,500	31,85,000
5	स0प0अ0	सहारनपुर	202	60	58	12/2018 से 11/2019	16,500	1,000	17,500	10,15,000
6	स0प0अ0	अलीगढ	6,118	1,711	236	06/2018 से 12/2019	16,500	1,000	17,500	41,30,000
7	स0प0अ0	बाँदा	709	150	77	10/2018 से 12/2019	16,500	1,000	17,500	13,47,500
8	स0प0अ0	गाजियाबाद	4,517	600	102	01/2019	16,500	1,000	17,500	17,85,000
9	स0प0अ0	लखनऊ	6,972	300	237	12/2018 से 01/2020	16,500	1,000	17,500	41,47,500
10	स0प0अ0	मेरठ	1,972	500	282	02/2019 से 11/2019	16,500	1,000	17,500	49,35,000
11	स0प0अ0	मुरादाबाद	1,116	195	60	03/2019 से 04/2019	16,500	1,000	17,500	10,50,000
12	स0प0अ0	वाराणसी	289	289	144	03/2019 से 12/2019	16,500	1,000	17,500	25,20,000
योग			**42,307**	**6,949**	**1,875**	**01/2018 से 01/2020**				**3,28,12,500**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–X

बिना परमिट संचालित वाहनों पर परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति का आरोपण न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.6)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	वाहन का प्रकार	वाहनों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये वाहनों की सं0	वाहनों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	आवेदन शुल्क प्रति वाहन	आरोपणीय परमिट शुल्क प्रति वाहन	शास्ति प्रति वाहन	वसूल न किया गया राजस्व (₹ में)
1	स0प0अ0 अलीगढ़	मालवाहन	1,711	840	94	1,200	7,500	5,000	12,87,800
2	स0प0अ0 बरेली	मालवाहन	1,277	819	59	1,200	7,500	5,000	8,08,300
3	स0प0अ0 फैजाबाद	स्कूल बस	250	250	96	1,200	4,500	5,000	10,27,200
		स्कूल मैक्सी कैब			66	600	4,500	5,000	6,66,600
4	स0प0अ0 गाजियाबाद	मंजिली वाहन	660	200	03	1,200	7,500	5,000	41,100
		मालवाहन	6,521	500	10	1,200	7,500	5,000	1,37,000
		टैंकर	669	200	07	1,200	7,500	5,000	95,900
5	स0प0अ0 गोरखपुर	तिपहिया	15,919	3,197	205	600	2,000	5,000	15,58,000
6	स0प0अ0 कानपुर नगर	स्कूल बस	1,238	250	20	1,200	4,500	5,000	2,14,000
		मंजिली वाहन	1,102	222	28	1,200	7,500	5,000	3,83,600
		मालवाहन	11,049	2,250	59	1,200	7,500	5,000	8,08,300
		टैंकर	1,957	395	07	1,200	7,500	5,000	95,900
		तिपहिया	3,914	792	93	600	2,000	5,000	7,06,800
7	स0प0अ0 लखनऊ	स्कूल बस	235	100	28	600	4,500	5,000	2,82,800
		स्कूल मैक्सी कैब							
		मालवाहन	7,634	873	121	1,200	7,500	5,000	16,57,700
		टैंकर	720	300	13	1,200	7,500	5,000	1,78,100
8	स0प0अ0 मेरठ	तिपहिया	1,153	300	189	600	2,000	5,000	14,36,400

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	वाहन का प्रकार	वाहनों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये वाहनों की सं0	वाहनों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	आवेदन शुल्क प्रति वाहन	आरोपणीय परमिट शुल्क प्रति वाहन	शास्ति प्रति वाहन	वसूल न किया गया राजस्व (₹ में)
9	स0प0अ0 प्रयागराज	तिपहिया	1,778	440	260	600	2,000	5,000	19,76,000
10	स0प0अ0 मीरजापुर	स्कूल बस	601	125	3	1,200	4,500	5,000	32,100
		स्कूल मैक्सी कैब			6	600	4,500	5,000	60,600
		मालवाहन	4,424	889	40	1,200	7,500	5,000	5,48,000
		तिपहिया	4,618	925	303	600	2,000	5,000	23,02,800
11	स0प0अ0 वाराणसी	तिपहिया	1,049	260	250	600	2,000	5,000	19,00,000
योग			**68,479**	**14,127**	**1,960**				**1,82,05,000**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XI

अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.8)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	समर्पित वाहनों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	वाहनों का प्रकार	समर्पित वाहनों की अवधि	आरोपणीय कर की अवधि	देय कर
1	स0प0अ0 बरेली	385	293	65	माल वाहन/यात्री वाहन	07/2017 से 08/2019	11/2017 से 11/2019	6,78,792
2	स0स0प0अ0 इटावा	72	72	28	माल वाहन/यात्री वाहन	03/2017 से 06/2018	06/2017 से 11/2018	6,97,061
3	स0स0प0अ0 फिरोजाबाद	138	138	14	माल वाहन/यात्री वाहन	01/2017 से 10/2017	04/2017 से 09/2018	3,63,315
4	स0स0प0अ0 हरदोई	230	230	09	माल वाहन/यात्री वाहन	05/2017 से 06/2018	09/2017 से 01/2019	6,05,406
5	स0प0अ0 कानपुर नगर	65	65	34	माल वाहन/यात्री वाहन	05/2017 से 05/2018	09/2017 से 09/2018	6,75,267
6	स0स0प0अ0 कानपुर देहात	117	117	09	माल वाहन/यात्री वाहन	04/2017 से 04/2018	08/2017 से 09/2018	3,12,458
7	स0प0अ0 लखनऊ	302	302	83	माल वाहन/यात्री वाहन	06/2017 से 06/2019	10/2017 से 01/2020	29,52,835
8	स0प0अ0 मेरठ	312	312	31	माल वाहन/यात्री वाहन	11/2017 से 09/2018	03/2018 से 01/2019	4,77,293
9	स0स0प0अ0 रायबरेली	56	56	20	माल वाहन/यात्री वाहन	06/2017 से 06/2018	10/2017 से 12/2018	4,41,383
10	स0प0अ0 वाराणसी	444	444	14	माल वाहन/यात्री वाहन	02/2018 से 08/2018	06/2018 से 02/2019	2,57,401
11	स0स0प0अ0 अम्बेडकरनगर	24	24	6	माल वाहन/यात्री वाहन	06/2017 से 08/2019	10/2017 से 12/2019	5,37,560
12	स0प0अ0 आजमगढ़	58	12	10	माल वाहन/यात्री वाहन	09/2017 से 05/2019	01/2018 से 11/2019	5,47,807
13	स0स0प0अ0 बदायूँ	588	34	14	माल वाहन/यात्री वाहन	03/2017 से 05/2018	07/2017 से 12/2019	14,94,349
14	स0स0प0अ0 बिजनौर	140	54	52	माल वाहन/यात्री वाहन	06/2017 से 08/2019	11/2017 से 12/2019	13,43,885
15	स0प0अ0 झाँसी	132	55	16	माल वाहन/यात्री वाहन	05/2017 से 05/2019	10/2017 से 11/2019	11,55,425
16	स0स0प0अ0 शाहजहाँपुर	45	39	35	माल वाहन/यात्री वाहन	02/2017 से 11/2019	06/2017 से 12/2019	18,34,364
योग		**3,108**	**2,247**	**440**		**01/2017 से 11/2019**	**04/2017 से 01/2020**	**1,43,74,601**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XII

खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 5.4)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	आपत्तियों की संख्या	पांच वर्षों में वसूली योग्य कुल रॉयल्टी	पांच वर्षों में वसूली योग्य कुल जि0ख0फा0 में अंशदान	रॉयल्टी एवं जि0ख0फा0 में अंशदान की कुल धनराशि	स्टाम्प शुल्क के आगणन के लिये हजार में पूर्णांकित	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क दो प्रतिशत की दर से	अदा स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क का अन्तर
1	जि0खा0का0 आजमगढ़	2	53,44,39,234	5,34,43,923	58,78,83,157	58,78,83,000	1,17,57,660	68,51,100	49,06,560
2	जि0खा0का0 सन्त कबीर नगर	3	1,90,86,28,563	19,08,62,856	2,09,94,91,419	2,09,94,91,000	4,19,89,820	3,81,74,050	38,15,770
3	जि0खा0का0 प्रयागराज	7	1,63,71,43,616	16,37,14,362	1,80,08,57,978	1,80,08,58,000	4,25,85,348	3,81,06,203	44,79,145
योग		**12**	**4,08,02,11,413**	**40,80,21,141**	**4,48,82,32,554**	**4,48,82,32,000**	**9,63,32,828**	**8,31,31,353**	**1,32,01,475**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XIII

रॉयल्टी एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान का न जमा किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 5.5)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये कुल पट्टों की सं0	आपत्तिगत पट्टों की संख्या	देय रॉयल्टी	रॉयल्टी की अवधि	अदा रॉयल्टी	रॉयल्टी के अन्तर की धनराशि	जि0ख0फा0 न्या0 में दिया जाने वाला अंशदान	जि0ख0फा0 न्या0 में दिया गया अंशदान	जि0ख0फा0 न्या0 में अंशदान के अन्तर की धनराशि	कुल देय रॉयल्टी एवं जि0ख0फा0 न्या0 में अंशदान
1	जि0खा0का0 औरैया	2	2	10,10,24,825	07/2018 से 04/2019	9,14,49,412	95,75,413	1,01,02,483	11,84,350	89,18,133	1,84,93,546
2	जि0खा0का0 बलिया	1	1	3,19,39,600	01/2019 से 04/2019	0	3,19,39,600	31,93,960	0	31,93,960	3,51,33,560
3	जि0खा0का0 गोण्डा	3	3	11,80,35,720	01/2018 से 04/2019	10,67,92,840	1,12,42,880	1,18,03,572	0	1,18,03,572	2,30,46,452
4	जि0खा0का0 झाँसी	25	18	7,46,60,651	12/2018 से 04/2019	6,51,91,030	94,69,621	74,66,065	0	74,66,065	1,69,35,686
5	जि0खा0का0 महोबा	31	20	2,07,10,676	04/2019	0	2,07,10,676	20,71,068	0	20,71,068	2,27,81,744
6	जि0खा0का0 प्रयागराज	25	7	13,90,93,500	01/2019 से 04/2019	14,00,000	13,76,93,500	1,39,09,350	0	1,39,09,350	15,16,02,850
7	जि0खा0का0 सन्त कबीर नगर	3	3	24,48,96,776	01/2018 से 04/2019	24,48,96,776	0	2,44,89,678	1,47,55,606	97,34,072	97,34,072
8	जि0खा0का0 सोनभद्र	29	5	25,13,22,138	04/2019	0	25,13,22,138	2,51,32,214	0	2,51,32,214	27,64,54,352
योग		**119**	**59**	**98,16,83,886**	**01/2018 से 04/2019**	**50,97,30,058**	**47,19,53,828**	**9,81,68,390**	**1,59,39,956**	**8,22,28,434**	**55,41,82,262**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XIV

परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों से रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' एवं अर्थदण्ड नहीं वसूला गया

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 5.6.1, प्रथम बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	कुल मामलों की सं0	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये मामलों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	रॉयल्टी की अवधि	अदा रॉयल्टी	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड	देय कुल धनराशि
1	जि0खा0का0 बस्ती	140	41	41	11/2016 से 01/2019	10,84,464	54,22,320	10,25,000	64,47,320
2	जि0खा0का0 बिजनौर	135	135	135	06/2017 से 05/2019	11,04,308	55,21,540	33,75,000	88,96,540
3	जि0खा0का0 हापुड़	160	41	41	05/2015 से 12/2018	26,31,345	1,31,56,725	10,25,000	1,41,81,725
4	जि0खा0का0 झाँसी	236	236	40	11/2018 से 06/2019	10,85,116	54,25,580	10,00,000	64,25,580
5	जि0खा0का0 लखनऊ	1,215	144	137	04/2015 से 05/2019	3,28,37,430	16,41,87,150	34,25,000	16,76,12,150
6	जि0खा0का0 मेरठ	791	224	224	04/2016 से 05/2019	95,23,323	4,76,16,615	56,00,000	5,32,16,615
7	जि0खा0का0 प्रयागराज	1,296	430	430	04/2015 से 06/2019	5,28,69,351	26,43,46,755	1,07,50,000	27,50,96,755
योग		**3,973**	**1,251**	**1,048**		**10,11,35,337**	**50,56,76,685**	**2,62,00,000**	**53,18,76,685**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XV

खनिजों के अवैध परिवहन पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों से रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' एवं अर्थदण्ड नहीं वसूला गया

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 5.6.1, द्वितीय बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये मामलों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	बिल से काटी गयी रॉयल्टी (कम दर से)	काटी जाने वाली रॉयल्टी	रॉयल्टी का अन्तर	देय खनिज मूल्य	अर्थदण्ड	देय कुल धनराशि
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जि0खा0का0 लखनऊ	245	10	2,71,80,880	2,85,37,088	13,56,208	14,26,85,440	2,50,000	14,42,91,648
2	जि0खा0का0 मथुरा	305	60	18,01,435	28,57,079	10,55,644	1,42,85,395	15,00,000	1,68,41,039
3	जि0खा0का0 मेरठ	94	28	0	36,49,218	36,49,218	1,82,46,089	7,00,000	2,25,95,307
4	जि0खा0का0 प्रयागराज	820	414	55,15,292	1,19,40,999	64,25,707	5,97,04,995	1,03,50,000	7,64,80,702
5	जि0खा0का0 रायबरेली	30	28	55,15,513	3,26,93,379	2,71,77,866	16,34,66,896	7,00,000	19,13,44,762
योग		**1,494**	**540**	**4,00,13,120**	**7,96,77,763**	**3,96,64,643**	**39,83,88,815**	**1,35,00,000**	**45,15,53,458**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XVI

कार्यदायी संस्थाओं के समक्ष जाली/अनियमित एमएम–11 प्रपत्र प्रस्तुत करने के कारण रॉयल्टी एवं 'खनिज मूल्य' की वसूली न होना

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 5.6.2)

भुगतान की गयी रॉयल्टी के साक्ष्य के रूप में जाली/प्रतिलिपि/कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति प्रस्तुत करना (प्रस्तर का भाग 'क')

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	नमूना जाँच किये गये प्रकरणों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	मात्रा घ0मी0 में	देय रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	रॉयल्टी का अन्तर	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड	देय कुल धनराशि
1	जि0खा0का0 प्रयागराज	675	197	3,643.50	2,88,210	0	2,88,210	14,41,050	49,00,000	66,29,260
2	जि0खा0का0 लखनऊ	135	7	86.00	7,370	0	7,370	36,850	1,75,000	2,19,220
योग		**810**	**204**	**3,729.50**	**2,95,580**	**0**	**2,95,580**	**14,77,900**	**50,75,000**	**68,48,480**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

एमएम–11 प्रपत्र की तिथियाँ कार्य पूर्ण होने के बाद की थीं (प्रस्तर का भाग 'ख')

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	नमूना जाँच किये गये प्रकरणों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	मात्रा घ0मी0 में	देय रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	रॉयल्टी का अन्तर	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड	देय कुल धनराशि
1	जि0खा0का0 प्रयागराज	395	104	908.56	1,07,075	0	1,07,075	5,35,375	26,00,000	32,42,450
2	जि0खा0का0 लखनऊ	220	42	377.70	48,915	0	48,915	2,44,575	10,50,000	13,43,490
योग		**615**	**146**	**1,286.26**	**1,55,990**	**0**	**1,55,990**	**7,79,950**	**36,50,000**	**45,85,940**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्य स्थानों के लिये थे (प्रस्तर का भाग 'ग')

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	नमूना जाँच किये गये प्रकरणों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	मात्रा घ0मी0 में	देय रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	रॉयल्टी का अन्तर	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड	देय कुल धनराशि
1	जि0खा0का0 प्रयागराज	240	24	297.84	41,721	0	41,721	2,08,605	6,00,000	8,50,326
2	जि0खा0का0 लखनऊ	1,233	902	11,399.50	16,20,019	0	16,20,019	81,00,095	2,25,50,000	3,22,70,114
योग		**1,473**	**926**	**11,697.34**	**16,61,740**	**0**	**16,61,740**	**83,08,700**	**2,31,50,000**	**3,31,20,440**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

एक से अधिक एमएम–11 प्रपत्र एक ही वाहन पर एक ही समय जारी किये गये थे (प्रस्तर का भाग 'घ')

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	नमूना जाँच किये गये प्रकरणों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	मात्रा घ0मी0 में	देय रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	रॉयल्टी का अन्तर	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड	देय कुल धनराशि
1	जि0खा0का0 प्रयागराज	210	36	417	48,000	0	48,000	2,40,000	9,00,000	11,88,000
2	जि0खा0का0 लखनऊ	320	74	843	93,660	0	93,660	4,68,300	18,50,000	24,11,960
योग		**530**	**110**	**1,260**	**1,41,660**	**0**	**1,41,660**	**7,08,300**	**27,50,000**	**35,99,960**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

निरस्त किये गये एमएम–11 प्रपत्रों का प्रस्तुत किया जाना (प्रस्तर का भाग 'ङ')

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	नमूना जाँच किये गये प्रकरणों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	मात्रा घ0मी0 में	देय रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	रॉयल्टी का अन्तर	देय खनिज मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड	देय कुल धनराशि
1	जि0खा0का0 प्रयागराज	60	16	156	24,960	0	24,960	1,24,800	4,00,000	5,49,760
योग		**60**	**16**	**156**	**24,960**	**0**	**24,960**	**1,24,800**	**4,00,000**	**5,49,760**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XVII

ईट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान की वसूली नहीं किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 5.7, प्रथम बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	ईंट भट्ठा की श्रेणी	लेखापरीक्षा द्वारा किये गये नमूना जाँच के मामलों की सं0	आपत्तियों की संख्या	रॉयल्टी की अवधि	देय रॉयल्टी	पलोथन मिट्टी पर देय रॉयल्टी	कुल देय रॉयल्टी	देय अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क	जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान किये जाने हेतु	ईट भट्ठा स्वामियों से कुल देय रॉयल्टी, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क एवं जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान
1	जि0खा0का0 औरैया	अ	150	34	2014–15 से 2017–18	66,98,700	7,67,610	74,66,310	86,000	4,54,005	80,06,315
2	जि0खा0का0 बिजनौर	अ	100	60	2017–18	89,64,000	8,96,400	98,60,400	1,20,000	9,86,040	1,09,66,440
3	जि0खा0का0 गाजीपुर	स	240	179	2016–17 एवं 2017–18	1,45,44,900	14,54,490	1,59,99,390	3,66,000	15,99,939	1,79,65,329
4	जि0खा0का0 गोण्डा	स	110	56	2017–18	44,65,800	4,46,580	49,12,380	1,12,000	4,91,238	55,15,618
5	जि0खा0का0 मऊ	स	85	58	2017–18	42,44,400	4,24,440	46,68,840	1,16,000	4,66,884	52,51,724
6	जि0खा0का0 रायबरेली	ब	300	87	2015–16 से 2017–18	1,70,50,500	23,44,950	1,93,95,450	2,78,000	19,39,545	2,16,12,995
7	जि0खा0का0 सुल्तानपुर	स	115	106	2016–17 एवं 2017–18	1,03,22,100	10,32,210	1,13,54,310	2,54,000	11,35,431	1,27,43,741
योग			**1,100**	**580**		**6,62,90,400**	**73,66,680**	**7,36,57,080**	**13,32,000**	**70,73,082**	**8,20,62,162**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XVIII

ईट भट्ठा स्वामियों से विनियमन फीस एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0. 5.7, द्वितीय बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	ईंट भट्ठा की श्रेणी	लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गये मामलों की सं0	आपत्तियों की संख्या	विनियमन फीस की अवधि	देय विनियमन फीस	देय अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क	कुल देय विनियमन फीस एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क
1	जि0खा0का0 औरैया	अ	30	27	2018–19	44,19,900	54,000	44,73,900
2	जि0खा0का0 बिजनौर	अ	90	46	2018–19	69,82,200	92,000	70,74,200
3	जि0खा0का0 गोण्डा	स	110	71	2018–19	56,18,700	1,42,000	57,60,700
4	जि0खा0का0 मथुरा	अ	52	34	2018–19	55,24,200	68,000	55,92,200
5	जि0खा0का0 मीरजापुर	स	96	96	2018–19	89,42,400	1,92,000	91,34,400
6	जि0खा0का0 मुरादाबाद	अ	150	62	2018–19	95,36,400	1,24,000	96,60,400
7	जि0खा0का0 रायबरेली	ब	100	65	2018–19	78,92,100	1,30,000	80,22,100
योग			**628**	**401**		**4,89,15,900**	**8,02,000**	**4,97,17,900**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in